23 वीं वार्षिक रिपोर्ट
23rd Annual Report
2010-11

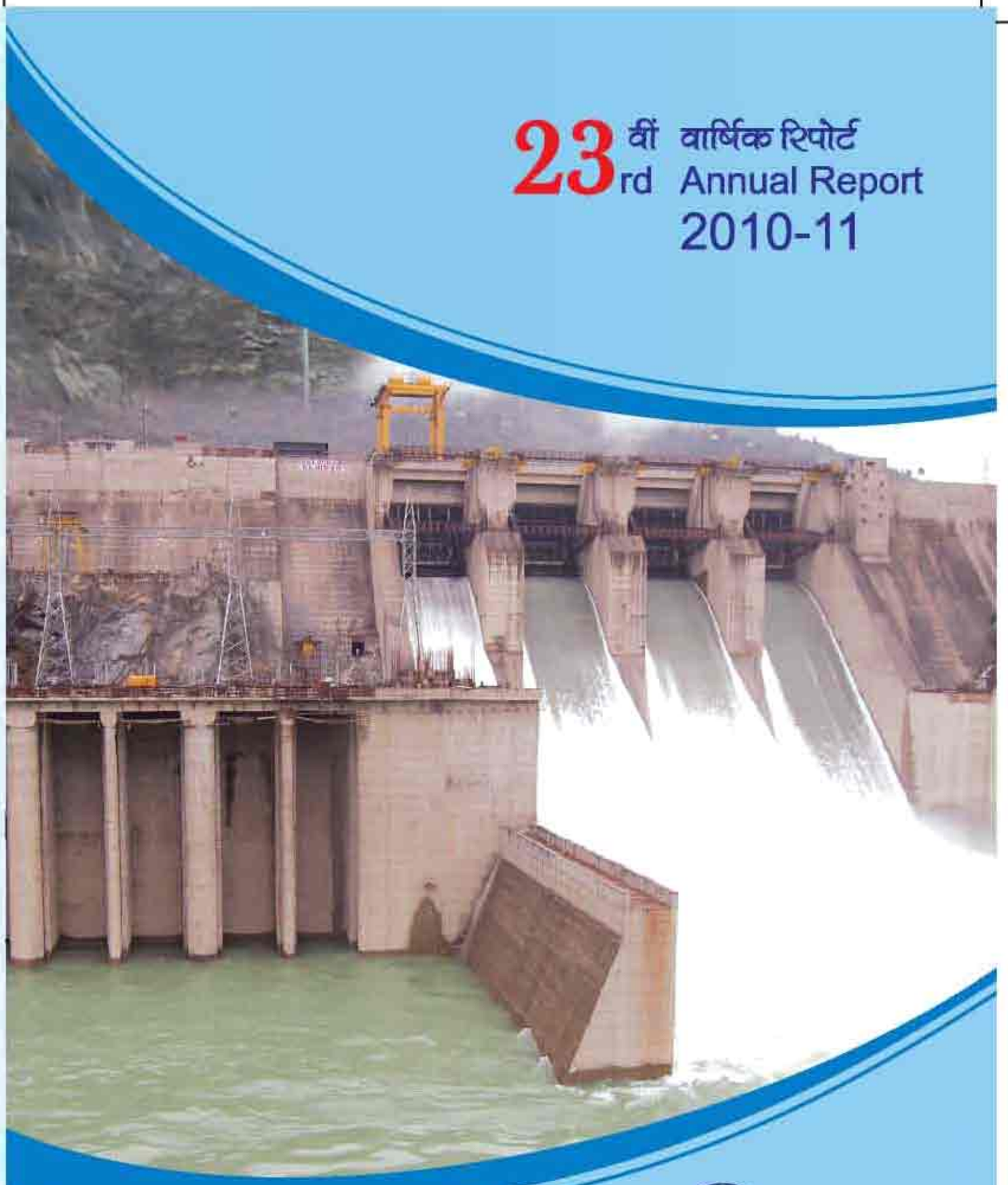

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

विषय सूची
Contents

निदेशक मंडल Board of Directors	**3**
अध्यक्ष का अभिभाषण Chairman's Address	**5**
निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	**8**
सामाजिक उत्तरदायित्व की रिपोर्ट Report on Corporate Social Responsibility	**27**
कारपोरेट सुशासन की रिपोर्ट Report on Corporate Governance	**35**
महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण Statements of Significant Accounting Policies	**46**
तुलन - पत्र Balance Sheet	**50**
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report	**80**
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां Comments of C & AG	**86**

सूचना

सूचित किया जाता है कि टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की **23वीं वार्षिक आम सभा दिनांक 26.09.2011 को सायं 5.30 बजे टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, प्लाट नं. 20 सेक्टर 14, कौशाम्बी, गाजियाबाद (उ.प्र.), (दूरभाष सं. 0120–2776491)** में होगी, जिसमें निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन किया जाएगा :

साधारण कार्य निष्पादन

1. 31 मार्च, 2011को समाप्त हुए वर्ष के लिए कॉरपोरेशन की लेखापरीक्षक रिपोर्ट एवं निदेशकों की रिपोर्ट के साथ लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे को प्राप्त करना, विचार करना तथा पारित करना।
2. 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सांविधिक लेखा–परीक्षकों के शुल्क का निर्धारण करना।
3. वर्ष 2010–2011 के लिए अंतरिम लाभांश की पुष्टि करना एवं अंतिम लाभांश की घोषणा करना।

विशेष कार्य निष्पादन

4. प्रदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित राशि के अतिरिक्त बोर्ड की ऋण लेने की शक्ति को अनुमोदित करना।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव
एम–9412998458

सेवा में :

- **टीएचडीसीआईएल के सभी सदस्यगण**
- **टीएचडीसीआईएल के सभी निदेशक**
- **सांविधिक लेखापरीक्षक** – मैसर्स एचडीएसजी एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली – 110014

स्थान : ऋषिकेश
दिनांक : 19.09.2011

पंजीकृत कार्यालय

भगीरथ भवन (टॉप टेरिस), भगीरथीपुरम,
टिहरी गढ़वाल – 249001 (उत्तराखण्ड)

अन्य कार्यालय

ऋषिकेश
प्रगतिपुरम, बाई–पास रोड, ऋषिकेश – 249201 (उत्तराखण्ड)

एन सी आर
प्लाट नं.–20, सेक्टर–14, कौशाम्बी, गाज़ियाबाद – 201010 (उत्तर प्रदेश)

देहरादून
26, ई. सी. रोड, देहरादून – 248001 (उत्तराखण्ड)

लखनऊ
101, राज अपार्टमेंट, 7 जॉपलिंग रोड, लखनऊ – 226001 (उत्तर प्रदेश)

मुम्बई
ट्रांजिट कैम्प–फ्लैट नं. 101–102, गुरू महिमा हाइट्स,
प्लाट नं. 12, सैक्टर–14, सनपाड़ा, नवी मुम्बई–400705

चंडीगढ़
प्रथम तल, एससीओ–27, सैक्टर–11, पंचकुला–134112 (हरियाणा)

भूटान
एच–2/33, ब्लॉक नं. 5, शिमालखा कॉलोनी, पो.–सिमाशम, चुखा, भूटान

कम्पनी सचिव

एस. क्यू. अहमद

सांविधिक लेखा-परीक्षक

मैसर्स एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
डी–36, बेसमेंट, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110014

बैंकर

पंजाब नेशनल बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
भारतीय स्टेट बैंक
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

(यह रिपोर्ट 26.09.2011 को कॉरपोरेशन की 23वीं वार्षिक आम सभा में पारित की गई)

निदेशक मंडल

26.09.2011 के अनुसार

श्री आर.एस.टी. शाई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री सुधीर कुमार
संयुक्त सचिव (जल विद्युत),
विद्युत मंत्रालय
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री किशन सिंह अटोरिया
प्रधान सचिव (सिंचाई), उ.प्र. शासन
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री नवनीत कुमार सहगल
अध्यक्ष, उ.प्र.पा.कॉ.लि.
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री ए.एस. बिष्ट
निदेशक (कार्मिक)

श्री सी.पी. सिंह
निदेशक (वित्त)

श्री डी.वी. सिंह
निदेशक (तकनीकी)

हमारी अभिदृष्टि

- विद्युत क्षेत्र में एक बड़ी विश्वस्तरीय भूमिका, पर्यावरणीय, पारिस्थितिकीय तथा सामाजिक मूल्यों की प्रतिबद्धता के साथ गुणवत्तापूर्ण, समर्थपूर्ण तथा धारणीय विद्युत उपलब्ध कराना।
- व्यवसायिकीकरण तथा उत्कृष्टता की उपलब्धि के द्वारा विकास की कार्य संस्कृति सृजित करना।

हमारा मिशन

- कमीशनिंग की अवधारणा से जल विद्युत तथा अन्य ऊर्जा संसाधनों की योजना बनाना, उन्नतीकरण करना, विकास करना तथा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखते हुए बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग को प्राप्त करने के लिए विद्युत स्टेशनों का परिचालन करना, जिससे राष्ट्रीय समृद्धता में वृद्धि हो सके।
- मानवीय दृष्टि से परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन सहित कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को स्वीकार करना।
- गत्यात्मक परिवर्तित व्यापारिक परिवेश चुनौतियों का सामना करना तथा वैश्विक बेंचमार्क निर्धारित करना।
- पारस्परिक लाभ एवं उन्नति के लिए अंशधारकों से धारणीय और मूल्य आधारित संबंध बनाना।
- संगठनात्मक ज्ञान एवं आपसी विश्वास के परिवेश में समर्पित कार्यबल को प्रोत्साहित करते हुए उत्कृष्ट निष्पादन प्राप्त करना।

श्री आर.एस.टी. शाई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अध्यक्ष का अभिभाषण

देवियों और सज्जनों,

कंपनी की 23वीं वार्षिक आम सभा में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है।

इस अवसर पर मैं अपनी शुभ कामनाएं व्यक्त करता हूं तथा आपके सतत प्रोत्साहन और सहयोग के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपने हममें जो विश्वास और सद्भाव व्यक्त किया है, उससे हमें अपार शक्ति मिलती है और हम अपनी कंपनी के विजन, मिशन तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होते हैं।

आपकी कंपनी के बोर्ड ने 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 125 करोड़ के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त ₹ 56 करोड़ के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। इस वर्ष की सकल आय 18.64% की वृद्धि के साथ ₹ 1689.27 करोड़ हो गई है। कर पूर्व लाभ में 38.42% की वृद्धि हुई और यह ₹ 679.20 करोड़ हो गया जबकि निवल लाभ ₹ 600.48 करोड़ हुआ जो 25.11% वृद्धि को दर्शाता है।

मुझे इस बात का संतोष है कि आपकी कंपनी विद्युत क्षेत्र की बहु परियोजना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में उभरी है। आपकी कंपनी के पिछले 5 वर्षों के निष्पादन पर सम्यक ध्यान दिया गया है तथा भारत सरकार द्वारा इसे मिनी रत्न ओर अनुसूची 'ए' स्तर प्रदान किया गया है।

धारणीय व्यापारिक पारिस्थितिकी और अनन्य वृद्धि

अनुकूल जनसांख्यिकीय घटक सहित उदीयमान अर्थव्यवस्था के रूप में हमारे देश का प्रयास दो अंकों में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) प्राप्त करना है ताकि इसकी विशाल जनसंख्या से गरीबी हटाई जा सके। हमारी अर्थव्यवस्था पहले से ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। तेजी से हो रही वृद्धि के पथ को जारी रखने के लिए अनुकूल व्यापारिक माहौल बनाए रखना सुनिश्चित करना होगा। भावी वृद्धि की सीमाएं सामाजिक असमानताओं, पर्यावरणीय अपकर्ष और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली असमानताओं से परिभाषित होंगी।

"ग्लोबल वार्मिंग" और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जैसी पर्यावरणीय चिंताओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती। पर्यावरणीय क्षीणता पर ध्यान न देकर आर्थिक वृद्धि की गणना की परंपरागत पद्धति को अब जारी नहीं रखा जा सकता। माल और सेवाओं का मूल्य निर्धारण करते समय पर्यावरणीय क्षीणता और जैव–विविधता को होने वाली हानि की कीमत पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ऐसे परिदृश्य में, मैं हाइड्रो सेक्टर को स्पष्ट विकल्प मानता हूं।

यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 169 देशों में भारत का 119 वां स्थान है। लगभग 55% भारतीय अनेक कारणों से वंचित

हैं। लगभग 421 मिलियन लोग घोर गरीबी में जी रहे हैं। देश की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 17% है। वर्ष 2050 तक भारत की जनसंख्या, नवीनतम जनसंख्या आंकड़े 1.21 बिलियन की तुलना में 1.7 बिलियन हो जाने की संभावना है। 500 मिलियन लोगों के जुड़ने से सीमित संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा। आमदनी बढ़ने और शहरीकरण के कारण इस अवधि में ऊर्जा की आवश्यकता घातांकीय रूप से बढ़ेगी। स्पष्ट है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए भोजन, ईंधन और पानी की आवश्यकता होगी, जिससे बुनियादी सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव बढ़ेगा। देश की उपलब्ध भूमि के आधे हिस्से में पहले से ही पानी की कमी है। नदियों के पानी को काम में लाना एममात्र दीर्घकालिक विकल्प हो सकता है जिससे निरंतर बढ़ती पानी, खाना और बिजली की जरूरतें पूरी हो सकेगी। आमतौर पर उप महाद्वीप में 70% वर्षा मानसून के 2–3 महीनों में होती है और सतह का पानी बह कर समुद्र में चला जाता है। जरूरत इस बात की है कि हम प्रकृति से प्राप्त इस कीमती उपहार का उपयोग अपनी सूखी जमीन की सिंचाई करने और हमारी बढ़ती जनसंख्या की प्यास बुझाने तथा उनके जीवन में प्रकाश करने के लिए सुविधाएं जुटाने के लिए करें। समेकित नदी बेसिन प्रबंधन पर बिलकुल ध्यान न देकर नदियों को संविभाजित कर विकासकों को आबंटित करना उचित नहीं है। अलग–अलग विचारधाराओं के होते हुए भी अर्थशास्त्री और विधिवेत्ता इस बात पर सहमत हैं कि आम जनता के स्वामित्व वाले

श्री आर.एस.टी. शाई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीएचडीसीआईएल एवं श्री पी. उमाशंकर, सचिव (विद्युत), भारत सरकार, समझौता ज्ञापन दस्तावेजों का आदान–प्रदान करते हुए।

प्रयोजन जनता की पहुंच में होने चाहिए। यह स्मरण करना उचित होगा कि "वी द प्युपल" की संकल्पना में भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा अपने

महामहिम राष्ट्रपति, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से श्री पी. चिदंबरम, माननीय गृह मंत्री एवं श्री जितेन्द्र सिंह, माननीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार की उपस्थिति में श्री आर.एस.टी. शाई, "इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड" प्राप्त करते हुए।

सभी नागरिकों को सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का संकल्प किया गया है।

रणनीतिक सीएसआरः

औद्योगिक प्रयोजनों से भूमि अधिग्रहण के लिए ब्रिटिश कालीन कानूनों पर निर्भरता होने से सिविल समाज से घोर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इससे विद्युत क्षेत्र और खानों का विकास सीधे तौर पर प्रभावित होता है। सुरक्षा की आशंका के कारण नाभिकीय विद्युत का विरोध बढ़ रहा है। आपकी कंपनी ने परियोजना प्रभावित परिवारों की चिंताओं के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता महसूस की है। टिहरी बांध परियोजना के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पर ₹ 1380 करोड़ व्यय हुए जो परियोजना लागत का 16.4% है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में ₹ 103 करोड़ की राशि पर सहमति बनी है। यह सीएसआर के तहत वार्षिक आबंटनों के अतिरिक्त है।

आपकी कंपनी का व्यापार क्षेत्र दूर–दराज के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है जहां घोर गरीबी है। आपकी कंपनी भी सीधे तौर पर ऐसी सार्थक सीएसआर गतिविधियों में संलग्न है जिनसे दीर्घकालिक जीविका के साधन तैयार होंगे और प्रकृति के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। आपकी कंपनी ने इस प्रयोजन से बजट के माध्यम से जिस वित्तीय सहायता का आबंटन किया, महत्व इस बात का नहीं हैं। आस–पास के क्षेत्र में मौजूद समर्पित मानव संसाधन की परिवर्तन लाने की अपार क्षमता कार्य को संपन्न कर सकती है और वित्तीय परिव्यय के आर्थिक तथा सामाजिक मूल्य को बढ़ा सकती है। अपने सीएसआर के महत्व को समझ कर आपकी कंपनी ने टिहरी जलाशय के आस–पास टिहरी गढ़वाल में अपने प्रयासों को

26 सितम्बर, 2011 को आयोजित 23वीं वार्षिक आम बैठक का दृश्य

संकेन्द्रित किया। आपकी कंपनी ने दिल्ली विश्वविद्यालय और एचएनबी श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय के सहयोग से स्थानीय केन्द्र स्थापित किए। आपकी कंपनी ने सद्भाव के रास्ते से ऐसे क्षेत्र में लाभ अर्जित किया है जो कि टिहरी बांध विरोधी क्षेत्र माना जाता था।

धारणीय रिपोर्टिंग :

आपकी कंपनी ने जीआरआई और आईएचए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप वार्षिक आधार पर धारणीय रिपोर्टिंग स्वैच्छिक आधार पर अपनाई है। वर्ष 2009–10 के लिए द्वितीय धारणीय रिपोर्ट जारी की जा चुकी है। हाल ही में कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश जारी किए है। तृतीय धारणीय रिपोर्ट में भी इन दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

निष्कर्ष :

हमारी कंपनी विद्युत परियोजनाओं के विकास और विद्युत के उत्पादन में संलग्न रही है और इसका उद्देश्य सेक्टर के अन्तर्गत ही परिवर्तन लाना है। आपकी कंपनी महसूस करती है कि ऊर्जा की मांग बहुत अधिक है और उत्पादन के सभी स्रोतों की तलाश की जानी चाहिए। आपकी कंपनी नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करने तथा सावधानीपूर्वक प्रौद्योगिकीय क्षमता को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है। बड़ी–बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की डिजाइन तैयार करने और निर्माण करने में विश्वस्तरीय सुविज्ञता आपकी कंपनी की मुख्य शक्ति है। इसी प्रतिस्पर्धी शक्ति के कारण हमारे अंदर आत्म विश्वास आता है जब हम उत्कृष्ट कार्य की दिशा में आगे बढ़ते हैं।

जब मैं 23वीं वार्षिक आम सभा की बैठक समाप्त कर रहा हूं, ओएंडएम चरण – I में कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना का पारगमन देखना संतोषप्रद है। मैं आपकी कंपनी के लक्ष्यों को पूरा करने में कठिन परिश्रम करने वाले कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके मेरा साथ देने से आपकी कंपनी अपने मिशन और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तैयार है।

हमारे मिशन और लक्ष्यों को पूरा करने में आप लोगों ने जो समर्थन और सहयोग प्रदान किया है उसके लिए मैं आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं।

धन्यवाद देवियों और सज्जनों

(आर.एस.टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 26.09.2011
स्थान : नई दिल्ली

निदेशकों की रिपोर्ट–2010–11

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लेखा–परीक्षित वार्षिक लेखों तथा सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ कम्पनी की 23वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रचालनों के वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है:

(₹ मिलियन में)

विवरण	2010–11	2009–10
आय		
विद्युत बिक्री	16700.41	14167.03
परामर्शी सेवाओं से प्राप्ति	131.28	0.00
अन्य आय (आंतरिक रूप से उपभोग की गई विद्युत सहित)	61.02	72.03
कुल आय (क)	**16892.71**	**14239.06**
व्यय		
कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं लाभ	1505.26	775.35
उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य खर्च	1055.25	880.35
परामर्शी सेवाओं पर व्यय	143.92	0.00
ब्याज एवं वित्त प्रभार	3913.30	4183.91
मूल्यह्रास	3495.15	3458.34
प्रावधान	7.91	22.11
पूर्वावधि समायोजन	(20.08)	12.39
कुल व्यय (ख)	**10100.71**	**9332.45**

विवरण	2010–11	2009–10
कर पूर्व लाभ (क)–(ख)	**6792.00**	**4906.61**
कर	787.21	107.10
कर पश्चात लाभ	**6004.79**	**4799.51**
जोड़ें : पिछले वर्ष के आधिक्य शेष को अग्रेनीत किया गया	8478.46	5375.38
विनियोजन हेतु उपलब्ध शेष	**14483.25**	**10174.89**
विनियोजन :		
लाभांश		
अंतरिम	1250.00	600.00
अंतिम प्रस्तावित	560.00	850.00
लाभांश पर कर		
अंतरिम	207.61	101.97
अंतिम प्रस्तावित	93.00	144.46
तुलन–पत्र में ले जाया गया शेष	**12372.64**	**8478.46**

वित्तीय निष्पादन

राजस्व

वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान आपकी कंपनी की कुल आय ₹ 16892.71 मिलियन (गत वर्ष ₹ 14239.06 मिलियन) रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18.64% की वृद्धि है।

लाभ

आपकी कंपनी ने वर्ष 2010–11 के दौरान ₹ 6004.79 मिलियन निवल लाभ (गत वर्ष ₹ 4799.51 मिलियन) अर्जित किया है। इस प्रकार यह करोपरांत लाभ में 25.11% की वृद्धि है। चालू वर्ष 2010–11 में प्रति इक्विटी शेयर (ईपीएस) अर्जन ₹ 182.10 (गत वर्ष ₹ 145.55) रहा।

1000 मेगावाट के टिहरी एचपीपी के भूमिगत विद्युत गृह का एक दृश्य

लाभांश

आपकी कंपनी ने मार्च, 2011 में हर शेयर पर ₹ 37.91 का अंतरिम लाभांश दिया था। इसके अलावा, आपके निदेशकों ने वर्ष 2010–11 के दौरान ₹ 16.98 प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। इस प्रकार हर इक्विटी शेयर के पीछे कुल लाभांश ₹ 54. 89 बैठता है। वर्ष के दौरान लाभांश में कुल ₹ 1810 मिलियन खर्च होंगे, जो चुकता शेयर पूंजी के 5.49% और कर पश्चात लाभ के 30.14% के बराबर बैठते हैं। अंतिम लाभांश का भुगतान वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के पश्चात किया जाएगा।

टिहरी बांध एवं जलाशय का दृश्य

परिचालन निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान टिहरी विद्युत गृह (4 x 250 मेगावाट) ने 3116.03 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया जबकि लक्ष्य 2797 मिलियन यूनिट (गत वर्ष 2116.79 मिलियन यूनिट) का था। वर्ष 2010 के मानसूनी मौसम के दौरान काफी वर्षा हुई और परिणामस्वरूप टिहरी बांध के निचले हिस्से में रहने वाली जनसंख्या पर पड़ने वाले भागीरथी नदी के बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए टिहरी जलाशय को प्रचालित किया गया। इस अवधि के दौरान चारों यूनिटें 24 घंटे प्रचालनरत रहीं तथा अधिकतम संभव सीमा तक बाढ़ का प्रवाह जलाशय में एकत्र किया गया तथा उसके बाद विनियमित रीति से जल का प्रवाह छोड़ा गया। संयंत्र में 74.08% का "प्लांट अवेलिबिलिटी फैक्टर" (पीएएफ) का लक्ष्य प्राप्त किया गया जबकि सीईआरसी प्रशुल्क विनियम, 2009 के अनुसार टिहरी एचपीपी के लिए निर्धारित नारमेटिव एनुअल प्लांट अवेलिबिटी फैक्टर का लक्ष्य 77% था। पीएएफ में इस कमी का कारण दिसम्बर, 2010 और जनवरी, 2011 के दौरान 37 दिनों तक टिहरी संयंत्र का बंद होना था। भौगोलिक उतार के फलस्वरूप कोटेश्वर जल विद्युत संयंत्र में डायवर्जन सुरंग के मार्ग में रूकावट आने के कारण संयंत्र बंद करना जरूरी हो गया था।

जल निकालने के लिए स्पिलवे तैयार करने के लिए कोटेश्वर एचईपी में युद्ध स्तर पर सिविल कार्य पूरा करना पड़ा। परंतु टिहरी एचईपी की बंदी की इस अवधि का सार्थक उपयोग यूनिट–2 के प्रमुख अनुरक्षण कार्य के लिए किया गया जो अन्यथा मार्च, 2011 में किया जाना था।

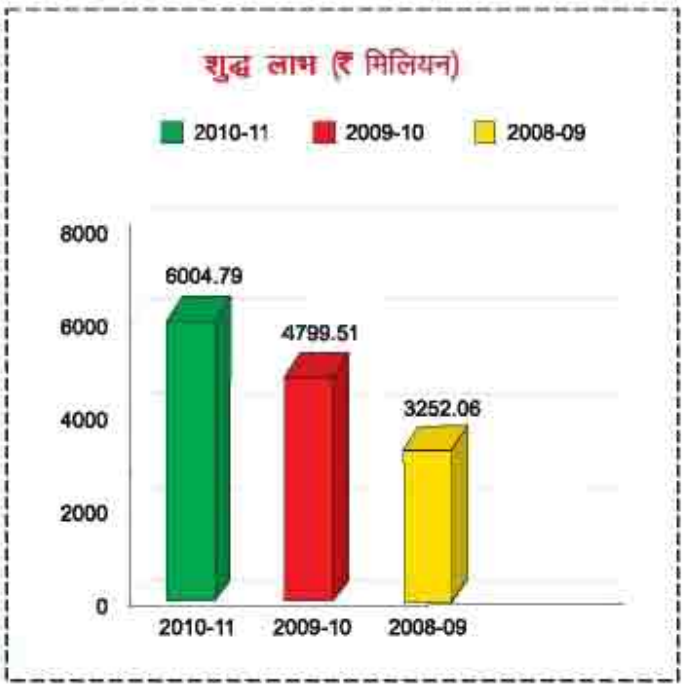

वर्ष के दौरान टिहरी विद्युत स्टेशन में उत्पादन प्रणाली की निगरानी, नियंत्रण और ईष्टतमीकरण के लिए एक कंप्यूटरीकृत प्रणाली – ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) और सूचना प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस), एक स्वचालित पोस्ट ट्रिप विश्लेषण प्रणाली/ट्रिप समस्यायें/मशीनों की खराबी कम करने के लक्षणों की पहचान करने के लिए स्थापित की गई है।

कोटेश्वर बांध एवं जलाशय का दृश्य

वाणिज्यिक उत्पादन

वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान ₹ 11340.68 मिलियन के बिल के स्थान पर लाभग्राहियों से बिजली की बिक्री के लिए ₹ 11139.68 मिलियन (गत वर्ष ₹ 10044.55 मिलियन) राजस्व की वसूली की गई है जो सीईआरसी द्वारा अधिसूचित अनंतिम प्रशुल्क पर आधारित है। यह राशि बिल की राशि के 98.82% के संग्रह के बराबर है।

इसके अतिरिक्त कंपनी ने मौजूद अनशेड्यूल्ड इंटरचेंज तंत्र के तहत अनशेड्यूल्ड इंटरचेंज (यूआई) प्रभारों के लिए ₹ 132.51 मिलियन राजस्व का अर्जन किया है तथा यूआई प्रभारों के विलंब से भुगतान के लिए ₹ 2.41 मिलियन राजस्व का अर्जन किया है। वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान "रिबेट स्कीम 2010–11" का अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुआ। इसलिए वर्ष 2011–14 में भी वही योजना लागू की गई है।

वर्ष 2010–11 के दौरान कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट) के लिए एक मात्र शेष लाभग्राही पीडीडी, जे एंड के के साथ विद्युत खरीद करार पर हस्ताक्षर किए गए। विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी (444 मेगावाट) पर पीडीडी, जे एंड के तथा दिल्ली के एक डिस्काम, नामतः एनडीपीएल के साथ हस्ताक्षर किए गए। आगे, आपकी कंपनी ने खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट (1320 मेगावाट) के कार्यान्वयन के माध्यम से थर्मल पावर के क्षेत्र में भी प्रवेश लिया है।

पांच लाभग्राहियों नामतः उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और बीआरपीएल, दिल्ली के साथ विद्युत खरीद करार पर हस्ताक्षर कर संयंत्र की कुल बिजली की बिक्री के लिए साझा किया गया है।

कोटेश्वर एचईपी की 100–100 मेगावाट की दो यूनिटें मार्च, 2011 में ग्रिड के साथ जोड़ दी गई थीं। इन इकाईयों से उत्पादित इनफर्म बिजली की बिक्री से ₹ 1.2 मिलियन का राजस्व अर्जित किया गया था।

कोटेश्वर बांध के डाउनस्ट्रीम का दृश्य

लाभग्राहियों ने 18वीं टीसीसी और 20वीं एनआरपीसी बैठकों में कोटेश्वर एचईपी के अंतरिम प्रशुल्क का भुगतान करने पर सहमति दी। तद्नुसार, लाभग्राहियों को कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की वार्षिक स्थिर लागत का 80% अंतरिम बिल भेजा जा रहा है।

सभी लाभग्राहियों ने निगम के साथ लेन देन में संतोष व्यक्त करते हुए अपनी फीड बैक दी है।

निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति

कोटेश्वर हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (400 मेगावाट)

आपके निदेशकों को यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कोटेश्वर एचईपी की

100–100 मेगावाट की दो यूनिटें मार्च, 2011 में प्रारंभ कर दी गई थी, हालांकि सितम्बर, 2010 में कोटेश्वर पावर हाउस में बाढ़ आई हुई थी। इसके साथ ही, वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान उत्तरी ग्रिड में 200 मेगावाट की नई क्षमता जोड़ी गई है तथा निगम की संस्थापित क्षमता बढ़ कर 1200 मेगावाट हो गई है।

कोटेश्वर एचईपी की यूनिट–I, 01 अप्रैल, 2011 से वाणिज्यिक प्रचालन में है तथा यूनिट–II के सितम्बर, 2011 के अंत तक वाणिज्यिक घोषित किए जाने की संभावना है। इकाई 3 और 4 के शेष कार्य प्रगति पर हैं और इनके प्रारंभण क्रमशः जनवरी और मार्च, 2012 में निर्धारित है। तथापि, यूनिट–3 को दिसंबर, 2011 के अंत तक प्रारंभ करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

पिछले मानसून के दौरान भागीरथी नदी के आवाह क्षेत्र में भारी वर्षा हुई तथा बाढ़ का पानी टिहरी जलाशय में एकत्र हो गया था। भारी वर्षा का अनुमान लगा कर अस्थायी तौर पर जलाशय का स्तर बढ़ाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय से अंतरिम अनुमति प्राप्त की गई थी। 18 सितम्बर, 2010 से लगातार वर्षा हुई तथा टिहरी जलाशय में पानी का आना कम नहीं हुआ। 20 सितम्बर, 2010 को सुबह टिहरी जलाशय में पानी ई एल 830 मी. एफआरएल (पूर्ण जलाशय स्तर) से ऊपर चला गया, जिससे ऊपर टिहरी का गेट रहित दाहिने किनारे का शाफ्ट स्पिलवे (830.20 मी. ईएल पर) भी प्रचालन में आ गया तथा टिहरी से वाहय प्रवाह को विनियमित नहीं किया जा सका। इससे कोटेश्वर का जल स्तर बढ़ गया और पानी विद्युत गृह में प्रवेश कर गया इसके परिणामस्वरूप विद्युत गृह में संस्थापित कुछ इलेक्ट्रो–मैकेनिकल उपस्करों और पैनलों को नुकसान पहुंचा। इसके बाद, पहले डाउनस्ट्रीम कॉफर बांध पुनर्स्थापित किया गया तथा 16 अक्तूबर, 2010 को विद्युत गृह से पानी निकाला गया। इसके बाद भराई/क्षतिग्रस्त उपस्कर बहाली की प्रक्रिया अभी चल ही रही थी कि 17 दिसम्बर, 2010 को परियोजना की डायवर्जन सुरंग के ऊपर रॉक मास गिर गया। इस के कारण आउटलेट पोर्टल के लगभग 100 एमयू/एस तक

टिहरी पीएसपी के निष्पादन के लिए श्री आर.एस.टी. शाई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीएचडीसीआईएल, मै. एल्सटोम हाईड्रो फ्रांस एवं मै. एचसीसी के मध्य ज्ञापन दस्तावेजों का आदान प्रदान

स्वतंत्र निदेशकों के साथ श्री डी.वी. सिंह, निदेशक (तकनीकी), टीएचडीसीआईएल का कोटेश्वर परियोजना का दौरा

डायवर्जन सुरंग बंद हो गयी। कोटेश्वर में कार्य करने को सुरक्षात्मक बनाने के लिए टिहरी विद्युत गृह को बंद करना पड़ा।

सभी शेष सिविल और हाइड्रो–मैकेनिकल कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किए गए और जलाशय में जल रोक कर रखने से संबंधित कार्य 27 जनवरी, 2011 को पूरे किए गए थे। कोटेश्वर स्पिलवे से आउट फ्लो 28 जनवरी, 2011 को शुरू किया गया तथा टिहरी संयंत्र की प्रचालनात्मक सामान्यता बहाल हुई।

टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट)

परियोजना के प्रमुख निर्माण कार्यों को एक ही ईपीसी ठेके के जरिए पूरा कराने की योजना बनाई गई है। मार्च, 2011 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय दे दिए जाने से 2 वर्ष से भी अधिक समय के बाद बोली लगाने वालों द्वारा शुरू किए मुकदमे समाप्त हो गए हैं। इसके बाद जून, 2011 में ईपीसी ठेके मैसर्स अल्सटोम हाइड्रो फ्रांस तथा मैसर्स हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को दिए गए हैं। पीआईबी ने परियोजना की संशोधित लागत प्राक्कलन (आरसीई) की सिफारिश की है जो ₹ 2978.86 करोड़ है और इसमें अप्रैल, 2010 के मूल्य स्तर पर ₹ 405.04 करोड़ की आईडीसी शामिल है। 27 जुलाई, 2011 को शुरू किए गए परियोजना कार्य फरवरी–2016 तक पूरे किए जाने हैं।

विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी (444 मेगावाट)

फील्ड हॉस्टल, कार्यालयों के निर्माण, आवासीय क्वार्टर, मुख्य पहुंच सड़कों तथा पुलों को शुरू करने से संबंधित प्रमुख कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

देवप्रयाग तक अलकनंदा और भागीरथी नदियों के बेसिन में जल विद्युत परियोजनाओं के संचयी प्रभाव आंकलन के अध्ययन पर आधारित आईआईटी, रूड़की की सिफारिशों के आलोक में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने न्यूनतम पर्यावणीय प्रवाह संशोधित कर 3 क्यूमेक्स से 15.65 क्यूमेक्स कर दिया है। कुछ शर्तों को पूरा

किए जाने के अध्यधीन चरण–I से संबंधित 80.507 हेक्टेअर वन भूमि की अनुमति 3 जून, 2011 को प्रदान कर दी गई है। हाट गांव में निजी भूमी (18.672 हेक्टेअर) अधिग्रहित करने के लिए धारा–6 की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है। हाट गांव के निवासियों को विशेष पैकेज के मुआवजा वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया है और यह प्रगति पर है।

सिविल एवं एचएम पैकेजों के लिए ईपीसी ठेके और बोलियां प्राप्त हो गई है तथा 30 मई, 2011 को खोली गई हैं। पूर्व–अर्हता प्राप्त सात बोली लगाने वालों में से चार बोली लगाने वालों ने अपनी बोलियां प्रस्तुत की हैं। इन बोलियों का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है। दिसम्बर, 2011 तक कार्य सौंप दिए जाने की आशा है। इसी बीच, विश्व बैंक से 648 मिलियन अमेरिकी डालर ऋण के लिए बातचीत पूरी हो गई है और 10 अगस्त, 2011 को करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

पैकेज–II (इलेक्ट्रो–मैकेनिकल कार्य) के बोली लगाने वालों की अर्हता पूर्व तथा टेंडर दस्तावेज की तैयारी का काम चल रहा है। अग्रिम कार्रवाई करते हुए, जब तक सिविल तथा एचएम कार्यों के लिए ईपीसी ठेका दिया जाता है, तब तक बाढ़ रक्षा दीवार के निर्माण तथा डायवर्जन सुरंग के इनलेट और आउटलेट क्षेत्र में स्थिरीकरण डि–सिल्टिंग चैम्बरों में अन्वेषी सुरंग का अग्रिम कार्य शुरू कर दिया गया है।

दिसम्बर, 2009 के मूल्य स्तर पर ₹ 3422.44 करोड़ संशोधित लागत प्राक्कलन, जिसमें ₹ 333.62 करोड़ की आईडीसी शामिल है, तैयार कर विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। तथापि, विद्युत मंत्रालय की इच्छा के अनुसार मार्च, 2011 के मूल्य स्तर पर आरसीई का पुनरीक्षण प्रक्रियाधीन है। परियोजना के मई, 2016 तक प्रारंभ हो जाने की आशा है।

ढुकवां लघु जल परियोजना (24 मेगावाट)

उत्तर प्रदेश सरकार ने डीपीआर को अद्यतन करने तथा बाद में कार्यान्वयन के लिए आपकी कंपनी को ढुकवां लघु जल परियोजना

टीएचडीसीआईएल एवं नार्थ दिल्ली पावर लिमिटेड के मध्य विद्युत क्रय करार का आदान–प्रदान करते हुए।

टीएचडीसीआईएल एवं विश्व बैंक के मध्य ऋण करार पर हस्ताक्षर करते हुए।

का कार्य सौंपा है। डीपीआर को अद्यतन करने का कार्य जून, 2010 में पूरा हो गया है और आपके निदेशक मंडल ने अप्रैल, 2010 के मूल्य स्तर पर ₹ 12.89 करोड़ की आईडीसी सहित ₹ 195.42 करोड़ की अनुमानित लागत पर परियोजना के डीपीआर को अनुमोदित कर दिया है ।

इक्विटी भाग अर्थात परियोजना लागत का 30% निगम के आंतरिक संसाधनों से उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना को इस प्रकार तैयार किया गया है कि इसे तीन पृथक पैकेजों अर्थात सिविल, इलैक्ट्रो–मैकेनिकल और एचएम कार्यों के रूप में निष्पादित किया जा सके। इसके लिए निविदा (टेंडर) विनिर्देशन और ड्राइंग तैयार करने का काम प्रगति पर है।

वर्ष के दौरान 27 मई, 2011 को आयोजित बैठक में एसएजी ने परियोजना कार्य के लिए आवश्यक 21.08 हेक्टेअर वन भूमि देने (डायवर्जन) की सिफारिश की है। वन भूमि के डायवर्जन के संबंध में आगे की कार्रवाई प्रगति पर है। आवश्यक भूमि जिस पर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का मालिकाना हक है, के हस्तांतरण के लिए आवेदन 30 जून, 2010 को प्रस्तुत किया गया था तथा इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्रवाई प्रगति पर है। आवश्यक अवसंरचना कार्यों के विकास के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं। इस परियोजना के वर्ष 2014–15 तक पूरा हो जाने की आशा है।

अन्वेषणाधीन परियोजनाएं

उत्तराखंड राज्य में

· झेलम तमक एचईपी (128 मेगावाट)

झेलम तमक एचईपी (128 मेगावाट) के डीपीआर का प्रारूप सीईए को प्रस्तुत कर दिया गया है। ईआईए/ईएमपी रिपोर्टों का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसी बीच, संस्थापित क्षमता में वृद्धि तथा ऊंचाई में परिवर्तन को देखते हुए पर्यावरण आकलन समिति (ईएसी) ने 26 मार्च, 2011 को आयोजित बैठक में ईआईए अध्ययन के पुनरीक्षित टीओआर पर विचार विमर्श किया। मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं :

- लीन अवधि के दौरान बैराज से लगातार छोड़े जाने वाले पानी की न्यूनतम मात्रा 90% निर्भरता वर्षों के चार लीन अवधि के दौरान छोड़े जाने वाले पानी की औसत मात्रा का 20% होगी। मानसून सत्र के 10 दैनिक अवधियों के दौरान 90% विश्वसनीय बहाव के 30% तक बहाव बढ़ाया जाएगा। विद्युत क्षमता तय करते समय और वार्षिक विद्युत उत्पादन की गणना करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- अपस्ट्रीम परियोजना के टीडब्लूएल डिस्चार्ज बिंदु तथा आसन्न डाउनस्ट्रीम परियोजना के एफआरएल पर जलाशय टिप के बीच सामान्य निर्बाध बहाव के साथ कम से कम एक किमी की स्वतंत्र नदी पहुंच की दूरी बनाई रखी जाए।

चूंकि उपर्युक्त परिवर्तनों से परियोजना अव्यवहार्य हो सकती है, इसलिए 01 किमी. की मुक्त बहाव स्थिति के लिए मामला पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ उठाया जा रहा है ।

• मलारी झेलम एचईपी (114 मेगावाट)

चूंकि मलारी गांव के निवासी मूल मलारी गांव में अन्वेषण कार्य शुरू करने पर सहमत नहीं हुए थे, इसलिए कोसा गांव (मलारी के निकट स्थित) के निवासियों के साथ एक करार किया गया। तदनुसार कोसा गांव के निकट वैकल्पिक बी–2 एक्सिस पर भूगर्भीय–तकनीकी अन्वेषण किए जा रहे हैं।

चूंकि मलारी झेलम एचईपी (114 मेगावाट) झेलम तमक एचईपी की अपस्ट्रीम परियोजना है, इसलिए अपस्ट्रीम परियोजना का टीडब्लूएल और डाउनस्ट्रीम परियोजना का एफ आर एल एक ही है। 26 मार्च, 2011 को आयोजित ईएसी बैठक की सिफारिशों को देखते हुए अपस्ट्रीम परियोजना के विद्युत गृह का स्थान बदलने से भी परियोजना, अव्यवहार्य हो सकती है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के विचार जानने के बाद कार्रवाई के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

• बोकांग बेलिंग (330 मेगावाट), करमोली (140 मेगावाट) और जडगंगा (50 मेगावाट) एचईपी

टिहरी परियोजना में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह

बोकांग बेलिंग (330 मेगावाट), करमोली (140 मेगावाट) और जडगंगा (50 मेगावाट) एचईपी आरक्षित वन्य जीव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस वन भूमि को अनारक्षित करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के सम्मुख एक संवादात्मक आवेदन दर्ज किया गया है।

एनबीडब्लूएल की स्थायी समिति की बैठक के बाद पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने ड्रिलिंग और ड्रिफ्टिंग के बिना बोकांग बेकिरा एचईपी में सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य के लिए अनुमोदन प्रदान किया। चूंकि डीपीआर अन्वेषण कार्य ड्रिलिंग और ड्रिफ्टिंग किए बिना पूरा नहीं हो सकता, इसलिए ड्रिलिंग और ड्रिफ्टिंग के लिए अनुमति प्रदान करने/अनुशंसाएं अग्रेषित करने के लिए इस मामले को मुख्य वन्य जीव वार्डन के सनक्ष उठाया गया है। तथापि, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हाइड्रोलाजी के सहयोग से जलीय तथा जीएलओएफ अध्ययन किए जा रहे हैं।

मुख्य वन्य जीव वार्डन के आग्रह पर करमोली और जडगंगा नामक दो आरक्षित परियोजनाओं के एक सत्र के ईआईए/ईएमपी अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं तथा अध्ययन की रिपोर्ट मामले में अनुशंसा के लिए मुख्य वन्य जीव वार्डन, उत्तर प्रदेश सरकार को अग्रेषित की गई थी। निदेशक, गंगोत्री नेशनल पार्क ने अपना मत व्यक्त किया है, जिसमें सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य के लिए अनुमति नहीं देने की बात कही गई है। इसलिए, सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए अनुमति नहीं प्राप्त हो रही है।

महाराष्ट्र राज्य में

• मालसेज घाट पीएसएस (700 मेगावाट)

700 मेगावाट की वर्धित संस्थापित क्षमता सहित मालसेज घाट पीएसएस (एमजीपीएसएस) पूरा कर लिया गया है और महाराष्ट्र सरकार को डीपीआर प्रस्तुत कर दिया गया है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के आश्वासन के आधार पर कि एमओयू रूट के जरिए हाइड्रो परियोजनाओं को अनुमति देने की विचाराधीन नीति के आधार पर टीएचडीसीआईएल और एनपीसीआईएल के संयुक्त उद्यम के माध्यम से मालसेज घाट पीएसएस (700 मेगावाट) के कार्यान्वयन के लिए सैद्धान्तिक सहमति 29 अप्रैल, 2011 को आयोजित एक बैठक में राज्य मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अध्यधीन दी गई थी।

इसी बीच, उप मुख्य वन संरक्षक (डीएसएफ), थाणे से पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली को आवश्यक ब्यौरे अग्रेषित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि एमजीपीएसएस के लिए ड्रिफ्ट/अन्वेषी सुरंग के लिए निर्माण की अनुमति दी जा सके।

• हुम्बर्ली पीएसएस (400 मेगावाट)

हुम्बर्ली पीएसएस कोयना वन्य जीव अभयारण्य (केडब्लूएस) के सीमांत क्षेत्र में स्थित है। हुम्बर्ली पीएसएस (400 मेगावाट) के सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य में अनुमति के मामले पर एनबीडब्लूएल

श्री आर.एस.टी. शाई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीएचडीसीआईएल, डॉ. एस.सी. सक्सेना, निदेशक, आई.आई.टी. रूड़की की उपस्थिति में आई.आई.टी. रूड़की स्थित मूक एवं बधिरों के स्कूल में सेवा टीएचडीसी विंग का शिलान्यास करते हुए

की स्थायी समिति की बैठक में विचार–विमर्श किया गया। राज्य वन्य जीव बोर्ड की सिफारिशें विचार करने के लिए एनबीडब्लूएल, नई दिल्ली को भेजी जाएंगी।

भूटान में परियोजनाओं का विकास

जल विद्युत विकास क्षेत्र में भारत–भूटान सहयोग के अंतर्गत भारत–सरकार ने भूटान की दो परियोजनाएं नामतः संकोश बहुद्देश्यीय परियोजना (4060 मेगावाट) और बुनाखा एचईपी (180 मेगावाट) के डीपीआर अद्यतन करने के लिए आपकी कंपनी को सौंपा है।

आपकी कंपनी ने भूटान परियोजना के क्षेत्र कार्यों के लिए फुन्टसोलिंग में एक नियमित कार्यालय भी खोला है।

• संकोश बहुद्देश्यीय परियोजना (4060 मेगावाट) और बुनाखा एचईपी (180 मेगावाट)

आपकी कंपनी ने रॉक फिल मुख्य बांध के विकल्प को ध्यान में रखते हुए संकोश एचईपी की अद्यतन की गई डीपीआर अप्रैल, 09 में प्रस्तुत कर दी है। मई, 2009 में सुझाव दिया गया था कि गाद को बेहतर तरीके से संभालने तथा बांध की अवधि को लंबा करने को ध्यान में रख कर कंक्रीट बांध के निर्माण की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए। तदनुसार, कंक्रीट बांध के विकल्प सहित संकोश एचईपी की डीपीआर तैयार कर 31 मई, 2011 को प्रस्तुत कर दी गई है।

चूंकि विद्युत परियोजना के रूप में पूरी तरह से संकोश परियोजना का कार्यान्वयन व्यवहार्य नहीं होगा, इसलिए संकोश, पुनाशांगचू – III और धाराछुआ का समेकित विकास प्रारंभ कर नदी घाटी क्षमता के समग्र इष्टतमीकरण के लिए संशोधित संरूपण की संभावना का पता लगाया जा रहा है।

• बुनाखा एचईपी (180 मेगावाट)

मार्च, 2010 में बुनाखा एचईपी की व्यवहार्यता के संबंध में अनुमति प्राप्त करने के बाद आपकी कंपनी ने डीपीआर तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। परियोजना की डीपीआर पूर्ण कर ली गई है और 30 अगस्त, 2011 को प्रस्तुत कर दी गई है।

अन्य ऊर्जा क्षेत्रों मे विविधीकरण

• खुर्जा सुपर थर्मल पावर स्टेशन (1320 मेगावाट)

आपकी कंपनी ने ऊर्जा के अन्य क्षेत्रों में भी प्रवेश किया है। उत्तर प्रदेश राज्य के खुर्जा नामक स्थान पर कोयला आधारित 1320 मेगावाट का खुर्जा सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने के लिए 31 दिसम्बर, 2010 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

5 जनवरी, 2011 के पूर्व 5 लाभग्राही राज्यों (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान) के साथ संपूर्ण ऊर्जा के पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यूपी एसआईडीसी द्वारा टीएचडीसी को 1200 एकड़ भूमि का कब्जा दिए जाने से संबंधित मुद्दों का समाधान प्रगति पर है।

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने विभिन्न अध्ययनों, अन्वेषणों, पीएफआर/एफआर/ डीपीआर की तैयारी तथा खुर्जा एसटीटीपी की आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के लिए आंतरिक संसाधनों के जरिए ₹ 20 करोड़ तक के व्यय को अनुमादित कर दिया है। पीएफआर, ईआईए अध्ययन के लिए टीओआर तथा स्थल विशिष्ट अध्ययनों के लिए तकनीकी विनिर्देशनों की तैयारी के लिए परामर्शी सेवाएं एनटीपीसी को सौंपी गई हैं।

ईआईए के अध्ययन के लिए पीएफआर तथा टीओआर तैयार कर अगस्त, 2011 में पर्यावरण और वन मंत्रालय को सौंपा गया है। कोयला संपर्क (लिंकेज) के लिए आवेदन कोयला मंत्रालय को 25 मई, 2011 को सौंपा गया है।

• नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम

➢ पवन ऊर्जा उत्पादन

आपकी कंपनी ने देश के संभावित क्षेत्रों में पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विविधीकरण की संभावना का पता लगाया है। 50 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी–वेट) परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। 50 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना के लिए निविदा दस्तावेज अंतिम रूप से तैयार कर लिए गए हैं। पवन ऊर्जा

क्षमता वाले राज्य जैसे राजस्थान/ मध्य प्रदेश/ गुजरात/ महाराष्ट्र में किसी उपयुक्त स्थान पर 50 मेगावाट की पवन ऊर्जा स्थापित करने के लिए ईपीसी ठेका देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई हैं।

➢ **सौर ऊर्जा उत्पादन**

आपकी कंपनी उत्तर प्रदेश में 200 मेगावाट क्षमता का सौर फार्म स्थापित कर सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश करने पर विचार कर रही है। संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए यूपीएनईडीए और उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड के साथ विचार–विमर्श चल रहा है।

ऊर्जा संरक्षण

आपकी कंपनी सभी संभव क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। इस दिशा में उठाए गए मुख्य कदम इस प्रकार हैं:

सौर ऊर्जा

- हमारे कारपोरेट भवनों में उच्च स्लैब पर खिड़कियां, पारदर्शी छत उपलब्ध करा कर दिन में प्रकाश का प्रावधान किया गया है।
- ऊर्जा के संरक्षण के लिए कंपनी के परिसर में सौर जल तापन प्रणाली, सौर स्ट्रीट लाइट तथा सोलर फेंसिंग स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त ऋषिकेश स्थित कंपनी के एचआरडी परिसर में 100 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का विचार है।

ऊर्जा की दृष्टि से प्रभावी उपस्कर

- कार्यालय भवनों मे बल्बों और ट्यूबों के स्थान पर ऊर्जा की दृष्टि से प्रभावी सीएफएल और टी–20 ट्यूब लगाए गए हैं।
- पुराने एयरकंडीनरों और पंखों के स्थान पर स्टार रेट वाले एयर कंडीशनर और पंखे लगाए गए हैं।
- स्वचालित स्ट्रीट लाइट नियंत्रण प्रणाली पैनलों से टाइमर के जरिए ऊंचे मस्तूल वाली लाइटें नियंत्रित की जा रही है ताकि मानव का हस्तक्षेप कम हो।

मल जल और ठोस कचरा उपचार के लिए इको फ्रैंडली प्रणाली

- प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावी और टिकाऊ उपयोग के लिए भारतीय ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) द्वारा एक ठोस कचरा निपटान संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। परिसर में प्रतिदिन होने वाले 500 कि0ग्रा0 कचरे का उपचार किया जाएगा और उससे 5475 घन मी. बायोगैस तथा 18250 किग्रा. कंपोस्ट खाद के उत्पादन की अपेक्षा है।

प्रौद्योगिकी का समावेशन, अनुकूलन और नवीनीकरण

एलआईडीएआर प्रौद्योगिकी

विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी के संपूर्ण जलाशय परिधि क्षेत्र के लिए स्थलाकृति आंकड़े नवीनतम अत्याधुनिक एलआईडीएआर प्रौद्योगिकी, का इस्तेमाल कर एकत्र किए गए हैं। एलआईडीएआर प्रौद्योगिकी 3डी स्पेस सूचना प्राप्त करने का सही समय उपलब्ध कराती है और भू–आकाश संबंधी तथा ऊंचे अंतरिक्ष संबंधी सूचना प्राप्त करने का नया माध्यम है। आपकी कंपनी इस प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने के लिए आवश्यक इन–हाउस क्षमता निर्माण के लिए भी प्रयास कर रही है।

डि–सिल्टिंग चैम्बरों के लिए भौतिक गाद मॉडलिंग

सिल्ट युक्त बहाव से ईष्टतम रीति से गाद को हटाने के लिए डि–सिल्टिंग चैम्बर उपलब्ध करवाना। आमतौर पर सेडीमेंट विशेषताएं गणितीय दृष्टि से तैयार की जाती है तथा मापन जटिलताओं और इसकी विविधताओं के कारण भौतिक मॉडलिंग को संश्लिष्ट कार्य माना जाता है। आपकी कंपनी ने सफलतापूर्वक ज्यामितीय समान मॉडल, जिन्हें संयुक्त तकनीकी प्राचलों के आधार पर 1/8 से 1/20 के बीच अंतर को मापने के लिए बनाया गया है, के द्वारा डि सिल्टिंग चैम्बरों के लिए भौतिक गाद मॉडलिंग निष्पादित किया है।

कम्प्यूटर सहायतित जल विज्ञान अध्ययन

आपकी कंपनी के जल विज्ञान समूह ने हाल में नदी के बेसिन में किसी भी स्थान पर जल की उपलब्धता का अनुमान लगाने के लिए डिजीटल आंकड़ों का प्रयोग कर विस्तृत जल वैज्ञानिक अध्ययन करने की क्षमता हासिल की है। इन अध्ययनों में 90 एम/30 एम रिजोलुशन के शटल रडार टोपोग्राफी मिशन (एसआरटीएम) तथा

डॉ. पी.सी. नवानी, निदेशक जी.एस.आई., श्री डी.वी. सिंह, निदेशक (तकनीकी), टीएचडीसीआईएल, की उपस्थिति में ऋषिकेश में भूगर्भ संग्रहालय का उदघाटन करते हुए।

2.5 एम रिजोलुशन के कार्टोस्टैट–1 आदि जैसे सैटेलाइट आंकड़ों का बड़ी मात्रा में प्रयोग शामिल है।

खुदाई के लिए सुरंग बोरिंग मशीन का प्रयोग

नदी के पानी को विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी के भूमिगत पावर हाउस की ओर मोड़ने के लिए 8.8मी की आंतरिक व्यास वाली 13.4 कि.मी. लंबी हेड रेस सुरंग के निर्माण की परिकल्पना की गई है। उपलब्ध भूगर्भीय सूचनाओं के अनुसार एचआरटी को ऐसी चट्टानों से होकर गुजरना होगा जिनमें अनेक खामियां होंगी और कटे–फटे क्षेत्र होंगे। तथापि, भूगर्भ विज्ञान के संबंध में उपलब्ध फील्ड आंकड़ों की सहायता से टीबीएम आपरेटर तथा मुख्य सिविल ठेकेदार के बीच एक जोखिम साझेदारी मैट्रिक्स और अद्वितीय अनुबंध विकसित कर निविदा दस्तावेज में उपलब्ध कराए गए हैं। इन प्रावधानों के प्रति सभी बोली लगाने वालों की प्रतिक्रिया काफी उत्साहवर्धक रही है।

अनुसंधान और विकास

• भूगर्भीय संग्रहालय

सरस्वती भवन, कार्यालय परिसर, ऋषिकेश में एक भूगर्भीय संग्रहालय स्थापित किया गया है। संग्रहालय स्थापित करने का प्रयोजन भू विज्ञान के संबंध में अलग–अलग क्षेत्रों के लोगों में समझ और ज्ञान बढ़ाना हैं। इस संग्रहालय में अनेक चट्टानों के नमूने, खनिज के नमूने तथा जीवाश्मों के नमूने प्रदर्शित किए गए हैं। 3–डी मॉडल मानचित्र आदि के रूप में विभिन्न भौमिकी ढांचे प्रदर्शित किए गये हैं। भू वैज्ञानिक उपकरण भी प्रदर्शित किए गए हैं। कंपनी की विभिन्न परियोजनाओं के ताजे और महत्वपूर्ण नमूने भी प्रदर्शित किए गए हैं।

हमारी परियोजनाओं की भू–विज्ञानी घटनाओं एवं भूगर्भीय इतिहास तथा मॉडल्स की एक लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है। भू विज्ञानी संग्रहालय बच्चों के लिए भी खुला रहेगा ताकि उनमें भू विज्ञान के संबंध में उत्सुकता की भावना उत्पन्न की जा सके।

• गंगा घाटी परियोजनाओं के प्रपात विकास पर रिपोर्ट

अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा घाटी परियोजनाओं के प्रपात के विकास के संबंध में एक अध्ययन रिपोर्ट तैयार की गई है जैसा कि वर्ष 2010–11 के लिए विद्युत मंत्रालय और आपकी कंपनी के बीच हस्ताक्षरित एमओयू में कहा गया है। इस रिपोर्ट में पूरे बेसिनवार जल परियोजनाओं की योजना को ध्यान में रखते हुए समेकित विकास के लाभों का वर्णन किया गया है। इस रिपोर्ट में पूरी हो चुकी परियोजनाओं, चल रही परियोजनाओं तथा गंगा घाटी की नियोजित भावी परियोजनाओं के संबंध में सूचना दी गई है।

अभियांत्रिकी परामर्श

जल विद्युत अभियांत्रिकी के क्षेत्र में परामर्शी और सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए कंपनी में अभियांत्रिकी परामर्श विभाग स्थापित किया गया है। तदनुसार, आपकी कंपनी ने तापी नर्मदा (पीटीएन) लिंक परियोजना के अंतर्गत 6 लघु जल विद्युत परियोजनाओं और दमनगंगा–पिंजल (डीपी) लिंक परियोजना के अंतर्गत 2 लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए "पावर पोटैंशियल स्टडीज" और "डिजाइन आफ ई एंड एम इक्विपमेंटस" के लिए परामर्शी सेवाएं देने के लिए आरपीएफ दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं और आपकी कंपनी को यह दायित्व मिलने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त, वरूणा वाट (उत्तरकाशी) और माता वैष्णो देवी मंदिर में ढलान स्थिरीकरण उपायों के निष्पादन के लिए स्थल गतिविधियों की अभियांत्रिकी, डिजाइन और पर्यवेक्षण शुरू कर दिया गया है।

प्रबंधन प्रणालियों का प्रमाणन (आईएसओ 9001: 2008 और आईएसओ 14001:2004)

कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश के लिए आईएसओ 9001 प्रमाणन प्राप्त करने के बाद आपकी कंपनी अब टिहरी, पीएसपी और वीपीएचईपी परियोजनाओं में आईएसओ 9001 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) और आईएसओ 14001 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) कार्यान्वित कर रही है।

इन परियोजनाओं के लिए आईएसओ प्रमाणन 15 मार्च, 2012 तक प्राप्त किए जाने का समय निर्धारित किया गया है तथा इससे संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

एएससीआई, हैदराबाद द्वारा "लॉ ऑफ कान्ट्रेक्ट एवं इन्कोट्रम–2010" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

पीपलकोटी में वीपीएचईपी परियोजना की टाउनशिप

परियोजना का वित्तपोषण

क्रेडिट रेटिंग करने वाली संस्था मैसर्स 'केयर' ने टिहरी पीएसपी के लिए ₹ 2000 करोड़ (₹ 1500 करोड़ से बढ़ाई गई) का वाणिज्यिक ऋण लेने के लिए टीएचडीसीआईएल को "एए" की दूसरी सबसे बड़ी रेटिंग प्रदान की है।

मानव संसाधन प्रबंधन

आपकी कंपनी की जनशक्ति 2197 है जिसमें 759 कार्यपालक, 177 पर्यवेक्षक तथा 1261 कामगार हैं। पेशेवर क्षमताओं के विकास के लिए प्रशिक्षण एवं शिक्षण की प्रोन्नति का प्रयास किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान विभिन्न लक्षित समूहों के लिए प्रशिक्षण के 7513 कार्य दिवस प्रदान किए गए हैं ताकि विद्युत मंत्रालय के साथ किए गए समझौता ज्ञापन में वर्ष 2010–11 के लिए लक्ष्यों के अनुरूप कंपनी के लक्ष्यों और उद्दश्यों को प्राप्त करने के लिए क्षमता के स्तर में वृद्धि की जा सके। इसके अतिरिक्त जेवियर प्रबंधन संस्थान, भुवनेश्वर और एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (उत्तराखंड) के माध्यम से 26 कार्यपालकों और पर्यवेक्षकों के लिए समाज विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान पर एक वर्ष की अवधि के कुछ विशिष्ट दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त नेशनल इंस्टीट्यूट आफ रॉक मैकेनिक्स, बंगलौर के माध्यम से डिजाइन तथा निर्माण परियोजनाओं में तैनात 10 कार्यपालकों के लिए रॉक मैकेनिक्स पर 3 माह की अवधि का एक तकनीकी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वर्ष के दौरान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इंडिया (एएससीआई), हैदराबाद के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 2 सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम तैयार कर कस्टमाइज और आयोजित किए गए। इस अवधि के दौरान ₹ 3.27 करोड़ का पूर्ण निवेश किया गया ताकि हमारे कर्मचारियों/ईटी को प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन (टीएनए) मानव संसाधन विकास (एचआरडी) का एक बहुमूल्य उपकरण है। वर्ष के दौरान एएससीआई, हैदराबाद को हमारे कार्यपालकों (ई–1 से ई–4 तक के) के एचआरडी प्रणाली और टीएनए के आंकलन तथा कौशल अंतर विश्लेषण करने का कार्य सौंपा गया।

प्रतिभाशाली तथा योग्य कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के लिए मजबूत, पारदर्शी और निष्पक्ष तंत्र के लिए सरकार के निदेशों के अनुरूप निष्पादन प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित की गई है। निष्पादन आधारित वेतन पीएमएस मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर विनियमित किया जाता है।

विश्व बैंक और राष्ट्रीय प्रेस (समाचार पत्रों) ने क्षमता निर्माण और एचआरडी पहलों के आर एंड आर – सीएसआर, पर्यावरण आदि तक पहुंचाने के आपकी कंपनी द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की है। आशा है कि समाज/पर्यावरण के प्रति हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन से हमारी परियोजनाओं की निर्बाध प्रगति में मदद मिलेगी।

आपकी कंपनी ने ऋषिकेश में नेतृत्व विकास संस्थान (एचआरडी) के प्रथम चरण को विकसित किया है जिसमें दो सम्मेलन कक्ष है जिनमें बैठने की क्षमता क्रमशः 60 और 40 है तथा इसके अतिरिक्त प्रशासनिक खंड भी शामिल है। दूसरे चरण की सुविधाएं जिनमें सहभागियों और संकाय सदस्यो के लिए आवासीय सुविधाएं, योग केन्द्र, मनोरंजन सुविधाएं शामिल हैं, निर्माणाधीन हैं। कंपनी ने चालू वर्ष में इस सुविधा से प्रशिक्षण और शिक्षण (टीएंडएल) शुरू करने की योजना बनाई है।

कर्मचारी संबंध

वर्ष के दौरान 01.01.2007 से देय वेतन का पुनरीक्षण आपकी कंपनी द्वारा कार्यान्वित किया गया है। संघों (यूनियनों) के साथ द्विपक्षीय करार सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया गया है।

ग्रीष्मकालीन खेलकूद, शीतकालीन खेलकूद टाउनशिप के भीतर मनबहलाव की सुविधाओं के सृजन जैसी विभिन्न कल्याण गतिविधियां आयोजित की थीं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय और स्थानीय उत्सवों से जुड़े अनेक समारोहों से टीएचडीसी परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम के बंधन का माहौल बना। कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षणेत्तर गतिविधियां विकसित करने के लिए आलोच्य अवधि के दौरान चित्रकला प्रतियोगिता, तरण शिविर, संगीत वाद्य बजाने के लिए प्रशिक्षण, खेलकूद समारोह आदि जैसी गतिविधियां आयोजित की गईं।

सभी कामगार संघों (यूनियनों), एसोसिएशनों के साथ प्रायः नियमित बातचीत होती है।

महामहिम उपराष्ट्रपति, श्री हामिद अंसारी से श्री आर.एस.टी. शाई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीएचडीसीआईएल, इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड प्राप्त करते हुए।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पहलें

आपकी कंपनी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए सीधी भर्ती, पदोन्नति आदि में आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिदेर्शों का पालन करने का प्रयास करती है।

कंपनी ने अ.जा./अ.ज.जाति कार्मिकों के कल्याण और उनकी शिकायतों को पूरी तरह से कार्यान्वित करने से संबंधित सरकारी दिशानिर्देशों का पालन किया। निगम के सभी परियोजना स्थलों और कार्यालयों में संपर्क अधिकारी द्वारा कारपोरेट कार्यालय में आवधिक समीक्षाएं की जाती हैं और ऐसी शिकायतों को दूर करने के लिए उपचारी कदम सुझाए जाते हैं। कारपोरेट कार्यालय का अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठ निवारण के लिए प्राप्त शिकायतों की आवधिक समीक्षा करता है। निगम का प्रयास रहा है कि अ.जा/अ.ज.जा. से संबंधित कर्मचारियों को शिक्षित कर उन्हें उनके अधिकारों और उनको प्राप्त होने वाली छूट संबंधी विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी जाए।

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षित 08 बकाया रिक्तियों में से 05 कार्यपालकों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजे गए, जिनमें से 04 कार्यपालकों ने कार्यभार संभाल लिया है। 01 कार्यपालक ने नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद कार्यभार नहीं संभाला। शेष नियुक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान द्वारा प्रयास जारी है।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहलें

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार जहां कहीं लागू हो, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नति में पदों का आरक्षण किया जाता है। वर्ष के दौरान शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को भरने के लिए प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए गए थे। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित 04 पदों में से आलोच्य अवधि के दौरान 02 पद भर लिए गए हैं। शेष दो पदों को विशेष भर्ती अभियान (एसआरडी) के जरिए भरने के प्रयास जारी हैं।

निगम विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के कर्मचारियों को भी नामित करता रहा है।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के कार्यान्वयन के अनुसरण में निगम ने अपने अधिकांश भवनों में रैम्प बनाकर पहुंच आसान बना दी है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के प्रति गंभीर रही है। निगम के अपीलीय अधिकारी, सीपीआईओ, पीआईओ और एपीआईओ के विवरण तथा आवेदन तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी को जमा करने से संबंधित सभी प्रपत्र कंपनी के वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं।

सूचना चाहले वालों से प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2010–11 के दौरान भारत के नागरिकों से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मांगते हुए 127 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और उन्हें समय पर सूचनाएं उपलब्ध करवाई गई हैं।

वर्ष के दौरान प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 24 अपीलें प्राप्त हुई हैं, अपीलीय प्रधिकारी द्वारा छानबीन के बाद 19 अपीलें खारिज कर दी गईं और शेष 5 अपीलें स्वीकार की गई हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन

आपके निगम ने भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार दैनिक सरकारी कार्य में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास किए हैं।

वर्ष के दौरान कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए निगमित कार्यालय, ऋषिकेश और अधीनस्थ इकाइयों/कार्यालयों में 16 हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। निगम के सभी कार्यालयों में 14 सितम्बर से 28 सितम्बर, 2010 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान हिन्दी निबंध, टिप्पण और प्रारूपण,

अनुवाद, काव्य पाठ, सुलेख, टाइपिंग, वाद–विवाद और हिन्दी प्रश्नोत्तरी जैसी अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनमें कर्मचारियों ने अत्यंत जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। हिन्दी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त अन्य बहुत सी प्रतियोगिताएं जैसे हिन्दी प्रश्नोत्तरी, स्वरचित हिन्दी काव्य गोष्ठी तथा स्कूली छात्रों के लिए निबंध प्रतियोगिताएं भी नियमित अंतराल पर आयोजित की गई हैं।

कारपोरेट कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें जून, 2010, सितम्बर, 2010 और मार्च, 2011 में आयोजित की गई हैं। अधीनस्थ कार्यालयों/इकाइयों में भी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। हिन्दी के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए प्रत्येक तिमाही में अलग–अलग विभागों ने हिन्दी नोडल अधिकारियों की बैठकें भी आयोजित की गई हैं। हिन्दी नोडल अधिकारियों के लिए अगस्त, 2010 मे एक राजभाषा सम्मेलन/कार्यशाला आयोजित की गई थी। हिन्दी कार्यान्वयन की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए हिन्दी अनुभाग के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर निगम के सभी कार्यालयों के निरीक्षण किए गए हैं।

वर्ष के दौरान 15 कर्मचारियों को अनेक हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे हिन्दी कार्यशालाओं, हिन्दी कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रमों और उन्नत अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों मे प्रशिक्षण दिया गया जिन्हें राजभाषा विभाग, भारत सरकार और एनपीटीआई, बदरपुर, नई दिल्ली ने प्रायोजित किया था।

वर्ष के दौरान लगभग ₹ 1,04,396 की हिन्दी पुस्तकें खरीदी गई हैं जो पुस्तकों पर खर्च की गई कुल राशि का 54% है।

कंप्यूटरों/लैपटाप में द्विभाषी रूप में कार्य करने की सुविधा प्रदान करने के लिए हिन्दी साफ्टवेयर/फोंट स्थापित किए गए हैं। वेबसाइट पर सामग्री द्विभाषी रूप में प्रदर्शित की जाती है। कर्मचारियों को हिन्दी में अपना काम करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रोत्साहन योजना तैयार की गई है।

संसदीय राजभाषा समिति ने निगम के टिहरी परियोजना कार्यालय का जून, 2010 में निरीक्षण किया था। समिति ने परियोजना कार्यालय, टिहरी में किए गए हिन्दी कार्य की सराहना की।

निगम को राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2008–2009 के लिए तृतीय राजभाषा इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार को श्री आर.एस.टी. शाई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने महामहिम मोहम्मद हामिद अंसारी से हिन्दी दिवस समारोह के अवसर पर 14 सितम्बर, 2010 को विज्ञान भवन में प्राप्त किया। आपके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने कूर्ग, कर्नाटक में 19.10.2010 को आयोजित विद्युत मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में भाग लिया।

इसके अतिरिक्त नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टालिक), हरिद्वार ने राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य के लिए 30.07.2010 को कारपोरेट कार्यालय को राजभाषा शील्ड प्रदान की है। वरिष्ठ अधिकारियों ने विद्युत मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तथा 'टालिक' की बैठकों में भाग लिया था।

पुनर्वास और पुनर्स्थापन

आपकी कंपनी ने टिहरी एचईपी के परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के बारे में एक नया प्रतिमान कायम किया है। आर एंड आर पैकेज का उद्देश्य विस्थापित लोगों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना है। अतिरिक्त सुधार उपाय जैसे सड़क सम्पर्क, पुनर्स्थापन स्थान पर सार्वजनिक सुविधाएं जुटाना और अलग–थलग पड़े इलाकों के लिए केबल कार और फेरीबोट जैसी सुविधाएं शुरू की गयी हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार परियोजना प्रभावित लोगों के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की गई है। यह दावों को स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से निपटाने में बहुत कारगर साबित हुआ है।

डोबरा गांव के समीप भागीरथी नदी पर एक भारी मोटर वाहन पुल निर्मित किया जा रहा है जिसकी चौड़ाई 440 मीटर है ताकि जिला मुख्यालय अर्थात एसटीटी से कटे क्षेत्रों के साथ जुड़ाव बढ़ाया जा

भानियावाला, देहरादून में विकसित पुनर्वासित गांव का दृश्य

सके। इसकी कुल ₹ 154 करोड़ की संशोधित लागत में राज्य सरकार और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड / भारत सरकार 50 : 50 के अनुपात में निधियां वहन करेंगी।

आपकी कंपनी ने आगामी परियोजनाओं के लिए एक पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति तैयार की है जिसे संबद्ध स्टेकहोल्डरों और एनपीआरआर–2007 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस नीति में परियोजना प्रभावित परिवारों की जमीन, मकान और जीविका के अन्य साधन छिन जाने से उत्पन्न मुद्दों का ध्यान रखा गया है। नीति में इस बात पर खासतौर पर जोर दिया गया है कि परियोजना प्रभावित परिवारों की आर्थिक प्रगति हो और उनकी जीविका पर आंच न आए।

पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति तैयार करते समय एनपीआरआर – 2007 के सभी प्रावधान ध्यान में रखे गए हैं और कुछ प्रावधानों में सुधार भी किया गया है। वीएचईपी के आरएपी कार्यान्वयन के मध्यावधि और उसके अंत में तृतीय पक्ष मानीटरिंग और मूल्यांकन के लिए एक बाहरी परामर्शी एजेंसी नियुक्त की गई है।

पीएएफ और पास–पड़ोस के लोगों के सामुदायिक कल्याण के लिए खर्च को पूरा करने के लिए आर एंड आर शीर्ष के तहत परियोजना लागत अनुमान में परियोजना लागत के 0.5% का प्रावधान रखा जा रहा है।

पर्यावरण प्रबंधन

आपकी कंपनी पर्यावरण के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। टिहरी जल विद्युत परियोजना को बीएसआई, जेडएसआई, नीरी जैसी विशेषज्ञ संस्थाओं ने अपने अध्ययन के आधार पर सभी संभावित पर्यावरण संबंधी समस्याओं को हल करने का सफल उदाहरण बताया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भारत सरकार द्वारा गठित हनुमंत राव समिति की सिफारिश को भी समाविष्ट किया गया है।

आपकी कंपनी ने अलकनंदा, भागीरथी और शारदा घाटियों में अन्य जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन का काम शुरू किया है। इनका पर्यावरण पर पड़ने वाले सम्भावित प्रभाव का मूल्यांकन करने और उनसे होने वाली हानि को कम करने के लिए व्यापक अध्ययन किए जा रहे हैं।

आपकी कंपनी पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी जल विद्युत परियोजनाओं में उच्च तकनीकी मानक अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट तैयार करने की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा अत्याधुनिक विकास कला के अनुसार अतिरिक्त अध्ययन किए जा रहे हैं। विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के लिए निम्नलिखित अध्ययन किए जा रहे हैं:

- मत्स्य अध्ययन और डाउनस्ट्रीम नदी प्रवाह का मूल्यांकन।
- स्थलीय जैव–विविधता का अध्ययन।
- समग्र पर्यावरण मूल्यांकन एवं प्रबंधन रिपोर्ट।
- सामाजिक मूल्यांकन अध्ययन।
- वीपीएचईपी के व्यापक ईआईए/ईएमपी के परिशिष्ट के रूप में केएनडब्लूएलएस का अध्ययन।

आवाह क्षेत्र के उपचार तथा वीपीएचईपी के पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए तृतीय पक्ष मानीटरिंग का प्रस्ताव है।

हिमालयी जल विद्युत परियोजनाओं में टरबाइन क्षरण के खराब अनुभव की दृष्टि से तलछट से निपटने के कारगर उपाय निर्धारित करने के लिए विस्तृत अध्ययन किए जा रहे हैं।

कंपनी ने वीपीएचईपी जल विद्युत परियोजना के पास एक लघु विद्युत गृह स्थापित करने की स्कीम बनाई है। इसके जरिए अनिवार्य न्यूनतम जल प्रवाह निकाला जाएगा।

आपकी कंपनी अपनी जल विद्युत परियोजनाओं में स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) शामिल करने की संभावनाओं पर भी विचार कर रही है।

आपकी कंपनी ने टिहरी एचपीपी चरण–I टिहरी पीएसपी और वीपीएचईपी के लिए आईएसओ 14001–2004 प्रमाणन (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) प्राप्त करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

टिहरी जिले के एक गांव में टीएचडीसीआईएल द्वारा आयोजित पौध रोपण कार्यक्रम

सतर्कता

अवधि के दौरान, सतर्कता विभाग का बल वेबसाइट के प्रभावी प्रयोग से पारदर्शिता

बढ़ा कर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सतर्कता प्रशासन में सुधार लाने पर था। ई–टेंडरिंग की प्रक्रिया का कार्यान्वयन कर निवारक सतर्कता को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई थी। ऋषिकेश, टिहरी और कोटेश्वर में आपूर्ति मदों की खरीददार 100% ई–प्रापण आधार पर की जा रही है।

भागीरथीपुरम, टिहरी में टीएचडीसी इन्सटीट्यूट ऑफ हाइड्रो पॉवर इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी, का दृश्य

सतर्कता विभाग की गतिविधियों की मुख्य सतर्कता अधिकारी ने और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने समय–समय पर समीक्षा की। पूछताछ और छानबीन के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा का कुल मिलाकर पालन किया गया। सतर्कता कार्यों को और सुदृढ़ करने के लिए सतर्कता विभाग द्वारा नियमित रूप से और औचक निरीक्षण भी किए गए थे। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य तकनीकी जांचकर्ता द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों की गहन जांच की रिपोर्टों पर प्राथमिकता के आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश पैरों का समाधान किया गया।

शिकायत हैंडलिंग प्रणाली / सतर्कता विभाग को शिकायत से जुड़ी नीति टीएचडीसी की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है। अब ई–मेल के जरिए भी शिकायतें प्राप्त की जा रही हैं। उपर्युक्त संवेदनयुक्त बनाने और प्रचार किए जाने के अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं और जनता द्वारा सूचना के अच्छे स्रोत उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

25 अक्तूबर से 01 नवम्बर, 2010 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2010 आयोजित किया गया था। इस अवसर पर एक पुस्तिका "चेतना" का लोकार्पण किया गया जिसमें भ्रष्टाचार विरोध के पहलू शामिल किए गए थे। मध्यवर्ती स्तर के कार्यपालकों के लाभ के लिए सतर्कता जागरूकता पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आपकी कंपनी ने निःशुल्क सतर्कता हेल्प लाइन नं. 18001804148 शुरू किया है और समाचार पत्र तथा आपकी कंपनी की वेबसाइट द्वारा इसका व्यापक प्रचार किया।

वर्ष के दौरान सार्वजनिक प्रापण, सीएसआर व्यक्तिगत मामलों आदि सहित भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में प्रणाली सुधार शुरू किया गया। टीएचडीसीआईएल–सीएसआर–सीडी स्कीम – 2010 के अंतर्गत सीएसआर से संबंधित सूचनाएं, सीएसआर हैंडबुक, सीएसआर की वार्षिक रिपोर्ट तथा वर्ष के दौरान बजट का आबंटन आपकी कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं ताकि कारपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत हुए व्यय में और पारदर्शिता लाई जा सके।

निगम के 7 कार्यपालकों के विरूद्ध लघु शास्ति कार्यवाहियां शुरू की गई थीं और उन्हें दंड दिया गया है। पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, देहरादून से परामर्श कर सहमति सूची की समीक्षा की गई तथा उसे अद्यतन किया गया।

सतर्कता विभाग वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों में ₹ 1.48 करोड़ की बचत कर सका। एक ठेकेदार से ₹ 9.06 करोड़ की वसूली करने का प्रस्ताव है।

कारपोरेट संचार

कारपोरेट संचार विभाग अपने आंतरिक तथा वाह्य पणधारियों में कारपोरेट नीतियों और कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आपके संगठन ने 14 नवम्बर से 27 नवम्बर, 2010 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आईआईटीएफ – 2010 में भाग लिया। टिहरी एचईपी, कोटेश्वर एचईपी ग्रामीण और शहरी पुनर्स्थापन स्थलों की प्रतिकृतियां रख कर प्रदर्शनी में निगम की उपलब्धियां प्रदर्शित की गईं हैं। विद्युत मंत्रालय तथा अन्य विद्युत घटकों के शीर्षस्थ कार्मिकों सहित सबने इस प्रदर्शनी की भूरि–भूरि प्रशंसा की।

'गंगावतरणम' नामक एक गृह पत्रिका त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित की जा रही है। इसमें कारपोरेट कार्यालय सहित भिन्न–भिन्न इकाइयों / परियोजनाओं में घटित होने वाली विभिन्न घटनाएं समाहित होती हैं। कंपनी की सूचनाओं के कर्मचारियों के मध्य प्रसार के लिए यह एक कारगर उपकरण बन चुका है।

ईएमबी स्कूल ऋषिकेश में टीएचडीसी महिला क्लब द्वारा स्वैटर वितरण कार्यक्रम का एक समूह चित्र

आपकी कंपनी का कारपोरेट संचार, जन संचार माध्यमों (मीडिया) से समन्वय करने में काफी कारगर रहा है। आपकी कंपनी ने सितम्बर, 2010 में हुई अभूतपूर्व वर्षा के कारण टिहरी / कोटेश्वर परियोजनाओं में आई बाढ़ से उत्पन्न स्थिति को नियंत्रित करने में किए गए प्रयासों की रिपोर्टिंग प्रभावी ढंग से की है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में अखिल भारतीय स्तर पर कवरेज से बाढ़ की सुरक्षा को लेकर आम जनता में फैली गलतफहमी कम हुई।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) :

आपकी कंपनी पणधारियों के हितों को मान्यता देते हुए किफायती, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय रीति से कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) को कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रतिबद्धता सांविधिक आवश्यकताओं से परे है। इसलिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व अनवरत विकास की परिपाटी से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व लोकोपकारी गतिविधियों से कहीं ऊपर है तथा यह सामाजिक और व्यापारिक लक्ष्यों के समेकन तक पहुंचता है। इन गतिविधियों को उन गतिविधियों के रूप में देखने की जरूरत है जिनसे अंततः अनवरत प्रतिस्पर्धी लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके।

आपकी कंपनी ने न्यूनतम ₹ 3.00 करोड़ के अध्यधीन कर पूर्व 2% निवल लाभ निर्धारित किया है। यह राशि टीएचडीसी सीएसआर–सीडी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए व्यपगत न होने वाले सीएसआर निधि को प्रति वर्ष आबंटित और अंतरित की जाती है। सीएसआर की स्कीमों का कार्यान्वयन कंपनी द्वारा प्रायोजित गैर सरकारी संगठनों (कॉनगोस) जैसे "सेवा–टीएचडीसी" और टीएचडीसी एजूकेशन मैनेजमेंट बोर्ड (टीएचडीसी–ईएमबी) के माध्यम से किया जाता है। सीएसआर बजट का अनुमोदित टीएचडीसी सीएसआर–सीडी स्कीम के अनुसार प्रचालनात्मक व्यापारिक स्थानों तथा संबद्ध भौगोलिक क्षेत्रों मे इस्तेमाल किया जा रहा है।

आपकी कंपनी की वार्षिक सीएसआर योजनाओं का बल प्राथमिक तौर पर शैक्षिक विकास, पर्यावरणीय वृद्धि, स्वास्थ्य और पशु देखभाल, आय उत्पादन और महिला सशक्तता, अवसंरचना विकास और कृषि तथा अन्य विभिन्न कल्याण गतिविधियों आदि पर था।

सीएसआर गतिविधियों के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट अनुलग्नक – I के रूप में संलग्न है।

कारपोरेट सुशासन

कंपनी की सुशासन विचारधारा

कारपोरेट सुशासन के संबंध में आपकी कंपनी की विचारधारा के मूल में निष्पक्ष, नैतिकता आधारित और पारदर्शी सुशासन परम्पराओं की समृद्ध परंपरा है। आमतौर पर कारपोरेट सुशासन से तात्पर्य ऐसी प्रणालियों से है जिनसे संगठन निर्देशित और नियंत्रित होते हैं तथा उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसमें कंपनी के लक्ष्यों के परिपेक्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाले पक्षकारों (पणधारियों) के बीच अच्छे संबंध आते हैं।

प्रमुख भूमिका निभानेवालों में पणधारी, प्रबंधन, निदेशक मंडल, कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, बैंक, अन्य देनदार, विनियामक तथा बड़ी संख्या में समुदाय और पर्यावरण शामिल हैं। कारपोरेट सुशासन में नैतिक व्यापारिक आचरण और पारदर्शिता शामिल होते हैं।

इसे नियंत्रण और संतुलन तंत्र के माध्यम से प्राप्त किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यपालकों में निहित फैसला करने के अधिकार का प्रयोग जिम्मेदारी के साथ हो और साथ ही शेयरधारकों की महत्वाकांक्षाएं और सामाजिक अपेक्षाएं भी पूरी हों।

अधिकारों के प्रत्यायोजन के बारे में एक पारदर्शी दस्तावेज जारी किया जा चुका है उन्हें समय–समय पर अद्यतन किया गया है ताकि विभिन्न स्तर के कार्यपालकों का सशक्तीकरण हो और वे विकेन्द्रीकृत बहु परियोजना संदर्भ में जल्दी फैसले ले सकें। साथ ही, निर्माण कार्यों और सप्लाई और खरीद नीति भी फिर से बनाई गयी है जिसमें सरकार के ताजा दिशा–निर्देशों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा, किफायत और जिम्मेदारी बढ़ाना है। इसी की तर्ज पर निर्माण ठेकों के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रक्रिया संबंधी दिशा–निर्देश भी तैयार किए जाएंगे।

यद्यपि टीएचडीसी सूचीबद्ध कंपनी नहीं है और लिस्टिंग एग्रीमेंट का खण्ड 49 इस पर लागू नहीं होता फिर भी इस कंपनी ने कंपनी अधिनियम/लोक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों में यथापेक्षित कारपोरेट सुशासन व्यवहार अपनाने की कोशिश की है।

आपकी कंपनी की कारपोरेट सुशासन विचारधारा तीन गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार अचार संहिता अपनाने के साथ और सुदृढ़ हुई है। डीपीई ने उत्तम कारपोरेट सुशासन के संबंध में सभी सरकारी कंपनियों के मार्च, 2011 में दिशानिर्देश जारी किए हैं और ये दिशानिर्देश अनिवार्य हैं।

नई नीति के अनुसार व्यापार की दीर्घकालिकता कारपोरेट सुशासन का प्रमुख अंग है। इसे आगे बढ़ाते हुए आपके बोर्ड ने पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया है तथा जोखिम प्रबंधन मैनुअल को अनुमोदित कर दिया है, साथ ही वैश्विक रिपोर्ट पहल के अनुसार वार्षिक दीर्घकालिकता रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है।

सचेतक नीति

निदेशक मंडल ने 25.04.2010 को हुई 154वीं बैठक में टीएचडीसीआईएल की सचेतक नीति को अनुमोदित कर दिया है। यह नीति कंपनी में अधिकतम संभव नैतिक और विधिक व्यावसायिक आचरण संबंध मानक उपलब्ध कराने के लिए तैयार की गई है। इससे कर्मचारियों को प्रबंधन या अपवादिक मामलों में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक पहुंचने का अवसर मिलता है यदि वे कंपनी में अनैतिक और अनुचित कार्य या गलत आचरण देखते हैं।

जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी ने जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है। जोखिम प्रबंधन ऐसा तंत्र है जो किसी व्यापारिक गतिविधि के प्रबंधन के लिए संबद्ध जोखिमों के विभिन्न पक्षों को सुलझाता है। यह सभी प्रकार के खतरों के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम के प्रबंधन का संरचनात्मक दृष्टिकोण है और इसमें मानव गतिविधियों के क्रम आते हैं जिनमें जोखिम की पहचान, जोखिम का परिमाण, जोखिम प्रतिक्रिया का विकास और कार्यान्वयन/ प्रबंधकीय संसाधनों का प्रयोग कर जोखिम कम करना शामिल है।

कारपोरेट सुशासन की विस्तृत रिपोर्ट जिसमें लेखा परीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति तथा बोर्ड स्तर की अन्य समितियों के कार्य शामिल हैं, **अनुलग्नक – II** के रूप में संलग्न है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) के अनुसार आपके निदेशकों का कथन है कि:

i. वार्षिक खाते तैयार करने के सिलसिले में सभी लागू लेखाकरण मानक अपनाए गए हैं और जहां भी इनसे विचलन हुआ है वहां समुचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

ii. कंपनी ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें सुसंगत रूप से इस्तेमाल किया है, निर्णय किया है एवं अनुमान लगाए हैं जो युक्तियुक्त और विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च, 2011 की कॉरपोरेशन की स्थिति के साथ–साथ उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ–हानि खाते की सभी और तथ्यपरक स्थिति प्रस्तुत कर सकें।

iii. कंपनी ने अपनी परिसम्पत्तियों की रक्षा करने तथा धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं से बचाने, उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखने में समुचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।

iv. ये खाते यह मानकर तैयार किए गए हैं कि कंपनी चल रही है।

निदेशक मंडल

इस अवधि के दौरान श्री गुरू दयाल सिंह अध्यक्ष, सीईए तथा श्री ए. के. बजाज, अध्यक्ष, सीईए कंपनी में नामांकित अंशकालिक निदेशक पद से हट गए। डॉ. सुधीर एस. ब्लोरिया, पूर्व मुख्य सचिव, जम्मू और कश्मीर, प्रो. (डॉ.) एस. सी. सक्सेना, निदेशक, आईआईटी, रूड़की, डॉ. के. अप्रामेयन, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध

पॉवर सैक्टर वॉलीबाल चैम्पियनशिप में द्वितीय स्थान पर रही टीएचडीसीआईएल की विजेता टीम के मध्य महाप्रबंधक (कार्मिक) ट्रॉफी पकड़े हुए।

निदेशक, बी.ई.एम. लिमिटेड, बंगलौर कंपनी के स्वतंत्र निदेशक पद से हट गए।

निदेशकगण, उनके कार्यकाल के दौरान समय–समय पर उनसे प्राप्त उनकी बहुमूल्य सलाह और मार्ग दर्शन की सराहना करते हैं।

लागत लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 233–बी के तहत वित्त वर्ष 2010–2011 के लिए विद्युत स्टेशनों के लागत लेखाकरण रिकार्डों की लेखा परीक्षा करने के लिए भारत सरकार ने मेसर्स चंद्र वाधवा एंड कंपनी, लागत लेखाकार, 204, कृष्णा हाउस, 4805/24, भरत राम रोड, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002 को लागत लेखा परीक्षक के रूप में मंजूरी दी है।

सांविधिक लेखा परीक्षक

एक सरकारी कंपनी होने के नाते आपके कॉरपोरेशन में सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत की जाती है। तदनुसार भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक के दिनांक 22.07.2010 के पत्र संख्या सीए.वी/सीओवाई/सेंट्रल गवर्नमेंट, टिहरी एच(i)/535 द्वारा मैसर्स एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउटेंट्स के–61, बेसमेंट, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110014 को कॉरपोरेशन का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया।

इस अधिनियम की धारा 224 (8) (एए) के अन्तर्गत पारिश्रमिक निर्धारण के लिए यथापेक्षित प्रस्ताव आगामी वार्षिक आमसभा में विचार के लिए रखा जा रहा है।

सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट संलग्न है।

सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणी

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने कॉरपोरेशन के वित्त वर्ष 2010–11 के खातों पर बिना शर्त रिपोर्ट दी है।

खातों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा समीक्षा। सी एंड एजी की टिप्पणियां

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक रूप में इस कंपनी के 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के खातों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत टिप्पणियां संलग्न हैं। इन टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए) के अन्तर्गत कर्मचारियों के ब्यौरे

कोई कर्मचारी विनिर्दिष्ट पारिश्रमिक से ज्यादा वेतन नहीं ले रहा है, इसलिए अब तक यथा संशोधित 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी (कर्मचारी ब्यौरे) नियमावली, 1975 के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अन्तर्गत सूचना कर्मचारियों के ब्यौरे संलग्न है। (अनुलग्नक – III)

आभार

निदेशक मंडल भारत के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, भूटान की शाही सरकार द्वारा दिए गए सहयोग की भूरि–भूरि प्रशंसा करता है। निदेशक मंडल उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड सरकार और उनके विभिन्न विभागों, विशेष रूप से टिहरी परियोजना के निदेशक पुनर्वास से प्राप्त सहयोग और सहायता के लिए आभारी है। बोर्ड, महाराष्ट्र सरकार और न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन से प्राप्त सहायता के लिए उनका आभार व्यक्त करता है।

निदेशक, वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों और भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधिकारियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं।

आपके निदेशक, कंपनी द्वारा विभिन्न परियोजनओं का सफल कार्यान्वयन करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों के लगातार समय से मिल रही सहायता और संरक्षण के लिए तथा कंपनी पर भरोसा और विश्वास व्यक्त करने के लिए आभार प्रकट करते हैं।

निदेशक, कंपनी का विकास और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा किए गए अथक प्रयासों तथा योगदान के लिए उनकी सराहना करते हैं।

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

(आर.एस.टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 26.09.2011
स्थान : ऋषिकेश

वित्तीय विशेषताएं

नियोजित पूंजी (₹ हजार में)
(निवल ब्लॉक + निवल चालू परिसंपत्तियां)

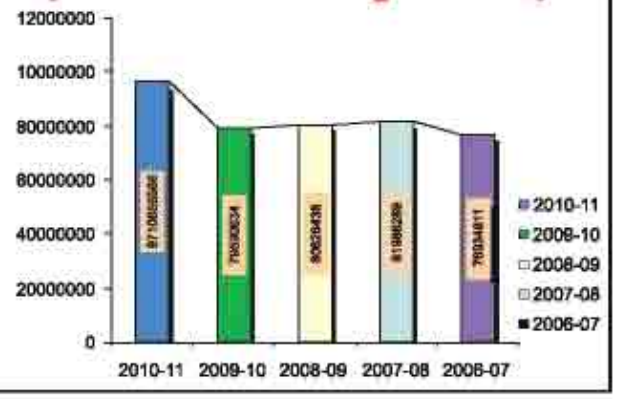

नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ
(पीबीआईटी / नियोजित पूँजी)

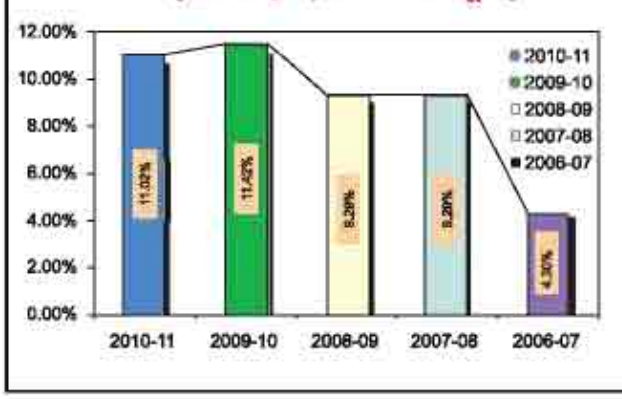

निवेशित पूंजी (₹ हजार में)
(अंशपूंजी+आरक्षित एवं अधिशेष+ऋण)

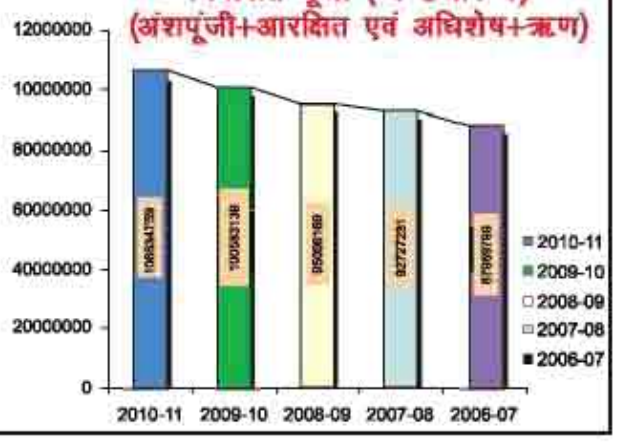

नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ
(कर पश्चात् लाभ / निवेशित पूंजी)

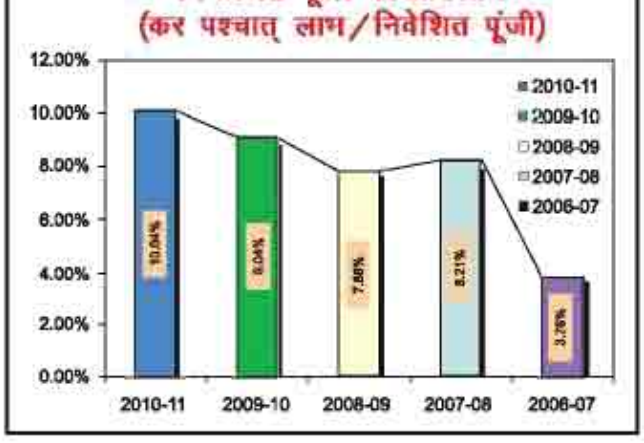

चुकता पूंजी (₹ हजार में)

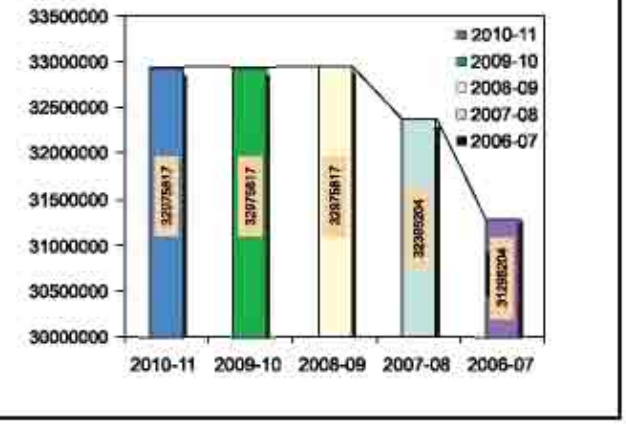

मूल्य ह्रास, ब्याज और कर पूर्व लाभ
(₹ हजार में)

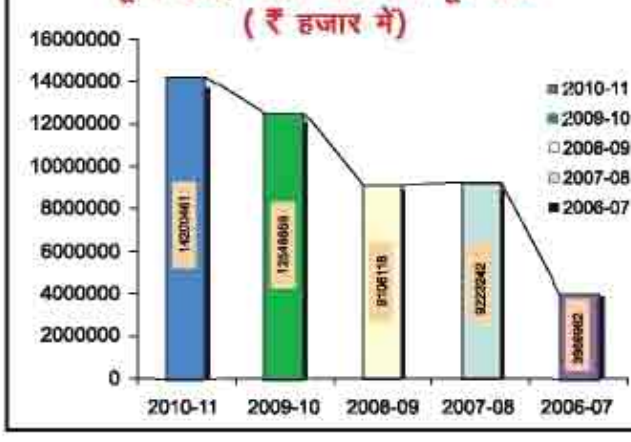

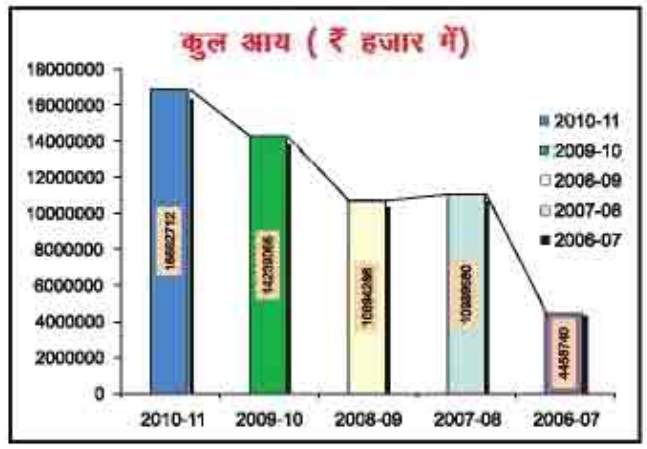

नेट वर्थ
(चुकता पूंजी+आरक्षित एवं अधिशेष–डीआरई)
(₹ हजार में)
70000000
60000000
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0
2010-11
2009-10
2008-09
2007-08
2006-07

कुल आय (₹ हजार में)
18000000
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
2010-11
2009-10
2008-09
2007-08
2006-07

कर पूर्व लाभ (₹ हजार में)
70000000
60000000
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0
2010-11
2009-10
2008-09
2007-08
2006-07

मूल वर्धित प्रति कर्मचारी
(₹ हजार में)
2000
1500
1000
500
0
2010-11
2009-10
2008-09
2007-08
2006-07

शुद्ध लाभ (₹ हजार में)
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
2010-11
2009-10
2008-09
2007-08
2006-07

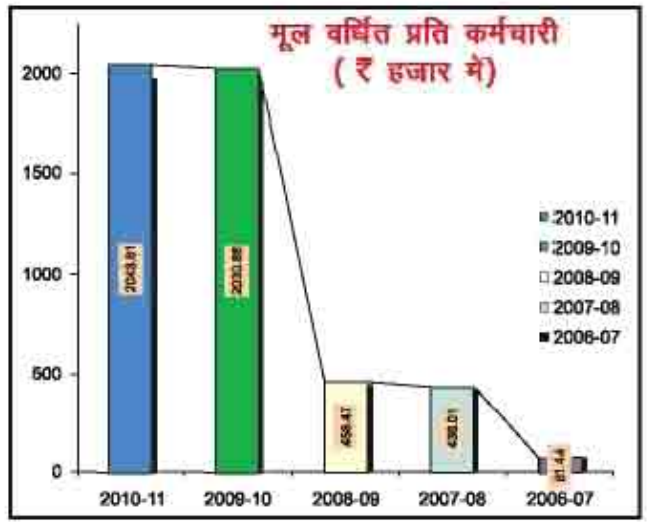

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

अनुलग्नक–I

समाज के सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन के लिए धारणीय जीविका और संसाधन प्रबंध के लिए प्रतिबद्धता

आपकी कंपनी अपने पणधारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से प्रचालन के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इसके विजन कथन में मानवीय दृष्टि के साथ "पर्यावरण, पारिस्थितिकी और सामाजिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता" शामिल है। परियोजना प्रभावित लोगों (पीएपी) के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के कार्यान्वयन के साथ कंपनी प्रचालनात्मक व्यापारिक क्षेत्र में जरूरतमंदों और दबे कुचले लोगों को सहायता उपलब्ध कराने में तत्पर है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व लोकोपकारी गतिविधियां से आगे बढ़ चुका है तथा सामाजिक और व्यापारिक लक्ष्यों के समेकन तक पहुंच चुका है। इन गतिविधियों को ऐसे रूप में देखा जाना चाहिए जो लंबे समय बाद टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार ने केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के लिए सीएसआर को अनिवार्य बना दिया है तथा मार्च, 2010 मे सीएसआर दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में प्रत्येक वित्त वर्ष में व्यपगत न होने वाली सीएसआर निधियों में अंतरित होने वाली सीएसआर निधियों के लिए न्यूनतम बजट आबंटन का संकेत दिया गया है। इनमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों के संबंध में ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच (प्यूपल, प्लैनेट एवं प्रोफिट) पर बल दिया गया है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व लोकोपकारी गतिविधियां से आगे बढ़ चुका है तथा सामाजिक और व्यापारिक लक्ष्यों के समेकन तक पहुंच चुका है। इन गतिविधियों को ऐसे रूप में देखा जाना चाहिए जो लंबे समय बाद टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार ने केन्द्र सरकार के

टिहरी जिले के दूरवर्ती गांवों में हैंड पंप का संस्थापन

श्रीमती शाई महिला क्लब की अन्य सदस्यों के साथ महिला सशक्तिकरण केन्द्र, ऋषिकेश की प्रशिक्षुओं को शैक्षिक किट प्रदान करते हुए।

सार्वजनिक उपक्रमों के लिए सीएसआर को अनिवार्य बना दिया है तथा मार्च, 2010 मे सीएसआर दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में प्रत्येक वित्त वर्ष में व्यपगत न होने वाली सीएसआर निधियों में अंतरित होने वाली सीएसआर निधियों के लिए न्यूनतम बजट आबंटन का संकेत दिया गया है। इनमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों के संबंध में ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच (प्यूपल, प्लैनेट एवं प्रोफिट) पर बल दिया गया है।

सीएसआर का विस्तार क्षेत्र

आर्थिक वृद्धि केवल प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों की खपत से संभव है। प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल का अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और कुल मिलाकर समाज पर असर पड़ता है। सीएसआर ऐसी संकल्पना है जिसके जरिए संगठन अपने प्रचालनों के लिए सभी पणधारियों अर्थात ग्राहकों, कर्मचारियों, अंशधारकों (शेयर होल्डरों), समुदायों तथा पर्यावरण के सभी पक्षों पर अपनी गतिविधियों के पड़ने वाले प्रभावों की जिम्मेदारी लेकर समाज की जरूरतों को पूरा करते हैं।

सीएसआर तथा व्यापारिक पारिस्थितिकी

- सीएसआर में निवेश व्यापारिक पारिस्थितिकी बनाए रखने के लिए किया जाता है न कि चैरिटी के रूप में।
- सीएसआर गतिविधियों से सामुदायिक विश्वास, सामाजिक प्रभाव और दृष्यता होनी चाहिए।
- सीएसआर गतिविधियों में आपूर्तिकर्ताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपूर्ति श्रृंखला में भी सीएसआर सिद्धांतों का अनुपालन हो रहा है।
- सीएसआर गतिविधियों द्वारा जनता के दिमाग में कंपनी की सकारात्मक छवि बनाने में सहायता मिलनी चाहिए।

सेवा–टीएचडीसी द्वारा एमजेजेटी परियोजना, जोशीमठ के दूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निःशुल्क बस सुविधा।

- सीएसआर गतिविधियां पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक काम्पैक्ट कार्यक्रम से सम्बद्ध होनी चाहिए।
- सीएसआर परियोजनाएं धारणीय विकास के सिद्धांत से घनिष्ठ रूप से संबद्ध की जा सकती हैं जिनका आधार उनकी गतिविधियों का तत्कालिक और दीर्घकालिक सामाजिक तथा पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं।

सीएसआर पहला की योजना बनाना

सीएसआर पहलों के लिए योजना की शुरूआत जहां तक संभव हो कंपनी द्वारा उसकी वाणिज्यिक गतिविधियां चलाए जाने वाले क्षेत्र के आस–पास शुरू की जाने वाली गतिविधियों/परियोजनाओं की पहचान करने से की जाती है, इसके पश्चात इसे प्रचालनात्मक व्यापारिक क्षेत्र तक विस्तृत किया जाता है। कंपनी विशिष्ट सीएसआर रणनीतियां विकसित की जाती हैं जिनसे कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्य योजना (दीर्घकालिक, मध्यकालिक और अल्पकालिक) की रूपरेखा तैयार की जाती है। अब यह यादृच्छिक अप्रोच से परिवर्तित होकर परियोजना आधारित जवाबदेही अप्रोच हो गया है।

हमारी सीएसआर योजनाओं में विशिष्ट रूप से कहा गया है कि:

- सीएसआर गतिविधियां शुरू करने से पूर्व आधारिक सर्वेक्षण/आवश्यकता आधारित सर्वेक्षण किया जाए;
- आवश्यकता आंकलन पर आधारित कार्यान्वयन के लिए गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाए;
- व्यपगत न होने वाले बजट का आबंटन किया जाए;
- कार्यान्वयन के लिए समय सीमा निश्चित की जाए;
- स्पष्ट जिम्मेदारियों और प्राधिकारों को परिभाषित किया जाए;
- कार्यान्वित की जा रही सीएसआर परियोजनाओं की मानीटरिंग और मूल्यांकन किया जाए;
- परिणाम और प्रभाव का आंकलन किया जाए।

टीएचडीसी में कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर बल दिए जाने वाले क्षेत्र

टीएचडीसी सीएसआर पहलों से संबंधित बल दिए जाने वाले क्षेत्र इस प्रकार हैं:

- शिक्षा का विकास
- पर्यावरण का प्रबंधन
- स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा देखभाल
- आय उत्पादन और महिला सशक्तिकरण
- अवसंरचना विकास
- कल्याण गतिविधियां आदि

सीएसआर गतिविधियां आयोजित करने के लिए संस्थात्मक और वित्तीय तंत्र

आपकी कंपनी ने न्यूनतम ₹ 3.00 करोड़ के अध्यधीन कर पूर्व शुद्ध लाभ का 2% निर्धारित किया है। टीएचडीसी–सीएसआर–सीडी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए व्यपगत न होने वाली सीएसआर निधि में बजट आबंटित और हस्तांतरित किया जाएगा। आपकी कंपनी सीएसआर की स्कीम का कार्यान्वयन कंपनी द्वारा प्रायोजित गैर सरकारी संगठनों (कॉनगोस) जैसे "सेवा–टीएचडीसी" और टीएचडीसी एजूकेशन मैनेजमेंट बोर्ड (टीएचडीसी–ईएमबी) के माध्यम से करती है। सीएसआर बजट का उपयोग प्रचालनात्मक व्यापारिक स्थानों तथा प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में अनुमोदित टीएचडीसी सीएसआर–सीडी के अनुसार किया जा रहा है।

सीएसआर गतिविधियों पर व्यय

वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर कुल ₹ 976.86 लाख व्यय हुआ जिसका विवरण निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष 2010–11 के लिए सीएसआर व्यय का ब्यौरा

क्र. सं.	शीर्ष	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान कुल व्यय (राशि लाख ₹ में)
1	शैक्षिक विकास	49	95.57
2	पर्यावरण पहलें	18	17.78
3	स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा कार्यक्रम	20	35.51
4	आय उत्पादन	6	20.72
5	महिला सशक्तिकरण योजनाएं	23	49.37
6	सामुदायिक विकास और आजीविका कार्यक्रम	33	118.97
7	अवसंरचना विकास	41	196.31
8	वृद्ध और विकलांग व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी कार्य	10	29.43
9.	विविध	46	71.19
	उप योग	**246**	**634.85**
	टीएचडीसी शिक्षा प्रबंधन बोर्ड (ईएमबी)–दो स्कूल		342.01
	कुल सीएसआर व्यय		**976.86**

वर्ष 2010–11 के दौरान विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से समाज में योगदानः

वर्ष 2010–11 के दौरान टीएचडीसी द्वारा शुरू की गई कुछ मुख्य सीएसआर गतिविधियों का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है :

अ. शैक्षिक विकास :

क. अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण

- अल्पसंख्यक समुदाय और अन्य कमजोर वर्गों के 160 बेरोजगार, शिक्षित युवाओं के लिए जायस, जिला राय बरेली (उत्तर प्रदेश) में एक छह माह का कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- **गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षणः**
  - वर्ष के दौरान गांव चक्का, जिला टिहरी के गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के 25 अभ्यर्थियों के लिए एक वर्षीय कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
  - वर्ष के दौरान ओखालाखाल, जिला टिहरी के गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और कमजोर वर्ग की 100 महिलाओं और लड़कियों के लिए 6 माह का कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
- **विकलांग लोगों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षणः**
  - 20 निर्धन विकलांग/निःशक्त छात्रों के कल्याण के लिए छह माह का कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया ताकि वे स्वरोजगार कर सकें इस कार्यक्रम में टैली एकाउंटिंग, एम एस वर्ड, पावर प्वाइंट, एम एस एक्सेल, कोरल ड्रा, पेज मेकर आदि शामिल हैं ।

ख. गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के छात्रों के लिए होटल प्रबंधन डिप्लोमा :

कुकरेजा होटल प्रबंधन संस्थान, देहरादून के द्वारा चलाए जा रहे केआईएचएम एकेडेमी के माध्यम से टिहरी बांध से प्रभावित क्षेत्र के

सेवा टीएचडीसी द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को तिपहिया साइकिल का वितरण

सेवा–टीएचडीसी के द्वारा राजकीय विद्यालय ऋषिकेश के विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री का वितरण।

गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के 20 छात्रों के लिए एक वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम आयोजित किया गया। डिप्लोमा कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर उन्हें संस्थान द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कौशल में सुधार लाना तथा भागीदारों को स्वयं आय उत्पादन करने वाली गतिविधियां शुरू करने के योग्य बनाना एवं लाभप्रद रोजगार प्राप्त कराना था।

ग. कम्प्यूटर हार्डवेयर और साफ्टवेयर कार्यक्रम :

- धारमंडल, झाखणी धार ब्लाक, टिहरी के परियोजना प्रभावित क्षेत्र में कम्प्यूटर हार्डवेयर और साफ्टवेयर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

घ. ग्रामीण छात्रों में अंग्रेजी भाषा के सुधार के लिए कार्यक्रम :

वर्ष के दौरान 100 निर्धन छात्रों की संप्रेषण क्षमता के विकास के लिए जायस, राय बरेली में छह माह का इंग्लिंश स्पीकिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया।

- गढ़वाल जिला, जहां हमारी परियोजना अवस्थित है, के पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीण हिस्सों के छात्रों की अंग्रेजी भाषा सुधारने के लिए आईएलएंडएफएस एजूकेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली की सहायता से अंग्रेजी रिले कार्यक्रम शुरू किया गया है। टिहरी गढ़वाल जिले के थौलदार और झाखणीदार ब्लाकों में सरकारी और निजी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे प्राथमिक स्कूलों में लगभग 2000 छात्र लाभान्वित हुए हैं। इस कार्यक्रम पर ₹ 10 लाख खर्च हुए।

ड. दूरदराज स्थित ग्रामीण क्षेत्रों की बच्चियों को बढ़ावा देनाः

- टीएचडीसी ने दूरदराज स्थित ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों की कुछ छात्राओं को हिम ज्योति स्कूल, देहरादून में 12वीं कक्षा तक गुणवक्तायुक्त शिक्षा देने के लिए उन्हें गोद लिया है।

ब. पर्यावरणीय पहल

क. पौधरोपण कार्यक्रम

- नए टिहरी के नगर पालिका के माध्यम से वर्ष के दौरान पौध रोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। शहर की बंजर भूमि पर बहुत से बालवृक्ष लगाए गए।
- जौली ग्रांट एयरपोर्ट जिला देहरादून के निकट भानियावाला में और ऋषिकेश में रोपण के लिए विभिन्न किस्मों के लगभग 2500 पौधे स्थानीय जनता में वितरित किए गए थे।
- टिहरी परियोजना क्षेत्र के चारों ओर रायका पत्ती, प्रताप नगर के विभिन्न गांवों में कुल 3500 पौधे वितरित किए गए हैं।
- वर्ष के दौरान ऋषिकेश में हर्बल एवं औषधीय पौध रोपण कार्यक्रम शुरू किया गया।

पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम

- जून, 2010 में सामाजिक और पर्यावरण जागरूकता पर एक सत्र का आयोजन किया गया।
- पर्यावरण की रक्षा करने के उपाय के रूप में पॉलिथिन के स्थान पर इस्तेमाल के लिए बदरीनाथ और हेमकुंड आने वाले तीर्थ यात्रियों को 1000 रेन कोट प्रदान किए गए।
- आवारा पशुओं से पौधों को बचाने के लिए वर्ष के दौरान टिहरी और वीपीएचईपी परियोजना क्षेत्रों में ट्री गार्ड प्रदान किए गए।

स. जल संरक्षण

- जल के संरक्षण और प्रबंधन के लिए सेवा – टीएचडीसी ने अनेक पहल की हैं। टिहरी परियोजना के दूर दराज स्थित गांवों में ताल–तलैया की खुदाई का कार्यक्रम शुरू किया गया। पहाड़ी क्षेत्रों में गांव की महिलाओं पर काफी दूर से पानी और जलाने के लिए लकड़ी लाने का भार होता है। 200 वर्षा जल संरक्षण टैंक प्रदान किए गए हैं ताकि लोग अपनी जरूरतों के अनुसार बारिश के पानी का इस्तेमाल कर सकें।

  सेवा–टीएचडीसी ने प्रख्यात परंपरावादी श्री सच्चिदानंद भारती और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में टिहरी गढ़वाल के दूर दराज स्थित क्षेत्रों में शुष्क धारा उपचार (गाधेरा) वनस्पति पुनरूत्पादन कार्यक्रम के लिए पहल शुरू की हैं।

प्रताप नगर ब्लॉक, टिहरी, गढ़वाल में सेवा–टीएचडीसी द्वारा आयोजित निःशुल्क चिकित्सीय जांच शिविर।

द. स्वास्थ्य संबंधी देखभाल पहल

क. होम्योपैथिक औषधालयों की स्थापना

- टिहरी जिले के प्रताप नगर ब्लाक के 02 दूरस्थ स्थानों पर स्वामी नारायण मिशन, ऋषिकेश के माध्यम से होम्योपैथिक औषधालय स्थापित किए गए हैं ताकि क्षेत्र में विशेषकर महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य और स्वच्छता उपलब्ध कराई जा सके। वर्ष के दौरान लगभग 6000 ग्रामीण इससे लाभान्वित हुए।
- स्वामी नारायण मिशन, ऋषिकेश के माध्यम से टिहरी जिले के चारों ओर दूर दराज के क्षेत्रों में जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क होम्योपैथिक दवाइयां वितरित की गई हैं। वर्ष के दौरान लगभग 5000 लोगों को इससे लाभ पहुंचा।

ख. चिकित्सा कैंप और सुविधाएं

- प्रताप नगर ब्लाक, टिहरी के दूरदराज क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए निर्मल आश्रम आई इंस्टीट्यूट, ऋषिकेश के माध्यम से मदन नेगी, जिला टिहरी में नेत्र जांच कैंप लगाया गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 150 लोगों को लाभ पहुंचा।
- सितम्बर, 2010 में भानियावाला, देहरादून में विकलांगों के लिए गोकुल सोसाइटी (एनजीओ) के साथ एक चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस कार्यक्रम की टीम में फोर्टीज हास्पिटल, दिल्ली और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, देहरादून के प्रमुख डाक्टर शामिल थे। विकलांग लोगों को छड़ियां, बैसाखियां और सुनने में सहायक मशीनें दी गईं। वर्ष के दौरान शारीरिक रूप से विकलांग लगभग 1000 लोगों को इससे लाभ पहुंचा।
- राजकीय इंटर कालेज बडकोट (झाखनीधार, जिला टिहरी गढ़वाल) में मैट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर 25.11.2010 के निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर में अनेक चिकित्सा विशेषज्ञों ने मरीजों की जांच की और उन्हें निःशुल्क दवाइयां, पैथलॉजी परीक्षण, ईसीजी आदि उपलब्ध कराए। दूसरा निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविर भागीरथीपुरम में नवम्बर, 2010 में आयोजित किया गया है। इससे लगभग 135 लोगों को लाभ पहुंचा।

- भागीरथीपुरम अस्पताल, टिहरी में दिसम्बर, 2010 में निःशुल्क कैंसर जांच शिविर आयोजित किया गया था। इससे लगभग 113 मरीजों को लाभ पहुंचा।
- गोकुल केन्द्र, देहरादून की सहायता से दिसम्बर, 2010 में दून पब्लिक स्कूल भानियावाला में निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में फोर्टीज अस्पताल, नौएडा के नेत्र रोग विशेषज्ञों, नाक, कान, गला (ईएनटी) रोग विशेषज्ञों तथा न्यूरो विशेषज्ञों ने मरीजों की जांच की। कार्यक्रम के दौरान चार विकलांग मरीजों को कृत्रिम अंग प्रदान किए गए।
- टिहरी परियोजना के दूरदराज स्थित क्षेत्रों के ग्रामीणों के घर पर योग्य डाक्टरों द्वारा निःशुल्क चिकित्सीय स्वास्थ्य जांच और दवाइयों की सुविधा प्रदान की गई। वर्ष के दौरान लगभग 3600 परियोजना प्रभावित व्यक्ति लाभान्वित हुए।

ग. सरकारी अस्पतालों के चिकित्सा कर्मचारियों को सहायता देने के लिए प्रावधान

- टिहरी गढ़वाल के प्रताप नगर ब्लाक के लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मदन नेगी, टिहरी में एक डाक्टर, एक स्टाफ नर्स और एक लैब टेक्नीशियन की तैनाती की गई। टिहरी जलाशय रिम क्षेत्र के दूरदराज के 5 गांवों के लोगों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत सीधे लाभ पहुंचा है।

घ. चिकित्सा जागरूकता कार्यक्रम

- सेवा–टीएचडीसी द्वारा 01.12.2010 को श्री पूर्णानंद इंटर कालेज, ऋषिकेश में एड्स दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया ताकि उन्हें इस जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूक किया जा सके। लगभग 446 छात्रों और स्कूल के अध्यापकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

घ. पशु चिकित्सा सेवाएं

- वर्ष के दौरान टिहरी परियोजना क्षेत्र में निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए। पशु चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क चिकित्सा जांच की गई तथा घरेलू मवेशियों के मालिकों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। इन शिविरों में लगभग 1700 मवेशियों की जांच कर उनका उपचार किया गया।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ऋषिकेश में पौध रोपण।

पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं द्वारा सेवा–टीएचडीसी एवं एचएनबी विश्वविद्यालय, गढ़वाल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित पौध रोपण।

ङ. कृषि को प्रोत्साहन

क. वाणिज्यिक फसलों पर कार्यक्रम

- वर्ष के दौरान टिहरी गढ़वाल के चम्बा गांव के निवासियों के लिए प्रायोगिक परियोजना के रूप में दीर्घकालिक आधार पर मशरूम की खेती का कार्यक्रम शुरू किया गया है। सफल परिणाम प्राप्त हो जाने पर इस कार्यक्रम का विस्तार टिहरी परियोजना के अन्य दूरदराज के गांवों में किया जाएगा।
- कृषि उत्पाद में सुधार लाने के लिए टिहरी गढ़वाल जिले के टिपरी और छपराधार गांवों के किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज वितरित किए गए हैं। वर्ष के दौरान उस क्षेत्र के किसानों को लाभ पहुंचा और उनकी फसलों की गुणवत्ता मे सुधार हुआ। यह कार्यक्रम अगले वर्ष जारी रहेगा।

ख. कृषि जागरूकता कार्यक्रम और कृषक गोष्ठी

- सितम्बर, 2010 में टिहरी जिले के प्रताप नगर ब्लाक के 15 प्रगतिशील किसानों के लिए विवेकानंद इंस्टीट्यूट आफ हिल एग्रीकल्चर (वीपीकेएएस), अलमोड़ा में चार दिवसीय कृषि जागरूकता कार्यक्रम और 'एक्सपोजर विजिट' का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में खाद्य फसलों, बेमौसम की सब्जियों, सफेद सूंड़ी प्रबंधन, संस्थान द्वारा विकसित जल संरक्षण तकनीकों आदि के क्षेत्र में संभावनाओं के आकलन और आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें भागारटोला मॉडल गांव का 'एक्सपोजर विजिट' भी शामिल था, जहां सामुदायिक स्तर पर इन तकनीकों का प्रदर्शन किया गया।

- टिहरी गढ़वाल के दूरदराज स्थित गांवों में विविधीकृत खेती के बारे में नवीनतम जानकारी देने के लिए नियमित "कृषक गोष्ठियां" आयोजित की गई हैं।

ग. कृषि कार्य संबंधी बीजों का निःशुल्क वितरण

- सब्जी की खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य के दूरदराज के गांवों के किसानों को "अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज" उपलब्ध कराए गए हैं। इससे नकदी फसल से होने वाली उनकी आमदनी में बढ़त्तरी हुई है।

घ. जैव कृषि

- जैव कृषि को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के 5 गांवों में 83 वर्मी कंपोस्ट खत्ते बनाए गए हैं।

च. महिला सशक्तीकरण संबंधी पहल

- टिहरी परियोजना क्षेत्र की गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की 25 बेरोजगार ग्रामीण महिलाओं को अप्रैल, 2010 में सिलाई की मशीनें वितरित की गईं, इससे ग्रामीण महिलाओं को स्व–रोजगार प्राप्त हुआ है और उनकी आमदनी बढ़ी है।
- वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर, जायस, रायबरेली, बाराबंकी, सुलतानपुर, लखनऊ जिलों में छह माह की अवधि का कपड़ों की कटाई, सिलाई और बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इससे गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के अल्पसंख्यकों और अन्य कमजोर वर्गों के 600 परिवारों को लाभ पहुंचा, इससे वंचित वर्गों की महिलाओं में आत्म–विश्वास बढ़ा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उनके कौशल में सुधार करना है ताकि वे लाभप्रद रोजगार के जरिए कमाई कर सकें।
- इन महिला केन्द्रों पर महिलाओं के लिए विशेष चिकित्सा जांच तथा परामर्श कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे।
- टिहरी के दूरदराज के गांवों की निर्धन अल्पसंख्यक वर्ग की तथा अन्य कमजोर वर्गों की बेरोजगार महिलाओं के लिए कपड़े की कटाई और सिलाई/बुनाई में छह माह के प्रशिक्षण से कुल 300 परिवारों को लाभ पहुंचा और आमदनी में इजाफा हुआ। ऋषिकेश और देहरादून जिले के आस पास भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए।

जायस, उ.प्र. में स्थापित सेवा–टीएचडीसी महिला सशक्तीकरण केंद्र

छ. दूरदराज के गांवों में अवसंरचना का विकास

- वर्ष के दौरान शुरू किए गए अवसंरचना विकास संबंधी कुछ कार्य निम्नानुसार हैं:

क. लड़कों के लिए छात्रावास का निर्माण

- यूपीआरएनएन, नई टिहरी के माध्यम से ₹ 75.00 लाख की अनुमानित लागत से आईटीआई, चंबा में लड़कों के लिए छात्रावास का निर्माण।
- टिहरी के दूरदराज के गांवों में अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित छात्रों के लिए कल्याणकारी उपाय के रूप में यूपीआरएनएन, नई टिहरी के माध्यम से ₹ 150.00 लाख अनुमानित लागत से नए टिहरी शहर में अ.जा./अ.ज.जा. छात्रावास का निर्माण।

ख. पेय जल योजना

- सीडीओ, टिहरी गढ़वाल के माध्यम से प्रताप नगर ब्लाक के पाथियाना गांव में पेय जल योजना का निर्माण, ताकि इस क्षेत्र में पेय जल सुविधा का विस्तार किया जा सके।
- पानी की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए टिहरी परियोजना के 7 दूर दराज के गांवों में 28 हैंड पंप उपलब्ध कराए गए थे।

ग. पुश्ता दीवार और पगडंडी

- स्थानीय जनता की मांग को पूरा करने के लिए चमोली जिले की वीपीएचईपी परियोजना के हाट गांव में पगडंडी और शिव मंदिर के चारों ओर पुश्ता दीवार बनाई गई।
- वर्ष के दौरान टिहरी और वीपीएचईपी परियोजना क्षेत्रों के 30 दूर दराज के गांवों में कुल 80 पगडंडियों का निर्माण किया गया।

घ. फुटपाथ

- उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के हेलंग के ग्रामीण की कठिनाई दूर करने के लिए 210 मीटर लंबे फुटपाथ का निर्माण किया गया था।

ङ. सामुदायिक केन्द्र

- बीडीओ, टिहरी के माध्यम से जाखनीधार ब्लाक के जीरो ब्रिज, श्मशान घाट पर एक सामुदायिक केन्द्र का निर्माण किया गया।
- टिहरी परियोजना के गांवों में 13 सामुदायिक हालों का निर्माण किया गया।

च. सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं

- वर्ष के दौरान टिहरी जिले के दूरदराज के 18 गांवों में 32 सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण किया गया।

ज. अन्य कल्याणकारी गतिविधियां

क. अस्पताल अवसंरचना

- वीपीएचईपी परियोजना के निकट रूद्रप्रयाग में ज्योतिपीठाधीश्वर जगत गुरू शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम धर्मार्थ न्यास अस्पताल के मरीजों के लिए 100 बिस्तर प्रदान किए गए।
- टिहरी जिले के दूरदराज के गांवों में स्थित सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) में 3 प्रसव कक्षों का निर्माण किया गया।

ख. प्राकृतिक आपदा राहत कार्य

- प्राकृतिक आपदा के लिए राहत उपाय के रूप में वर्ष, 2010 के सितम्बर माह में टिहरी गढ़वाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को भोजन, कंबल और टेंट आदि प्रदान किए गए। जिन पर लगभग ₹ 15.00 लाख खर्च हुए। इससे कुल 24 गांवों को लाभ पहुंचा।

टिहरी जिले के दूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में बाढ़ राहत कार्यक्रम

ग. पानी की कमी की समस्या के समाधान के लिए

- नई टिहरी शहर में पानी की कमी की समस्या के समाधान के लिए गर्मी के मौसम में वाटर टैंकर उपलब्ध कराए गए।
- टिहरी परियोजना से जुड़े 10 दूरदराज गांवों से पानी की कमी दूर करने के लिए वर्ष के दौरान जलापूर्ति की 16 स्कीमें कार्यान्वित की गईं।

घ. खेलकूद से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना

- परियोजना क्षेत्रों के दूरदराज के गांवों में खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष के दौरान क्रिकेट और अन्य खेलकूद किटें वितरित की गईं।

ङ. समुदाय की आवश्यकताएं और प्रदान की गई सेवाएं

- टिहरी और कोटेश्वर परियोजना क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों के 100 गांवों में टेंट, कुर्सियां, बर्तन आदि वितरित किए गए। ये

सेवा–टीएचडीसी द्वारा स्कूली बच्चों को वर्दियों का वितरण।

वस्तुएं ग्राम पंचायत द्वारा नाममात्र के किराए पर ग्रामीणों को उनकी शादी और अन्य सामुदायिक समारोहों के लिए दी जाएंगी। इससे अन्य सामुदायिक गतिविधियों को करने के लिए ग्राम पंचायतों की आमदनी बढ़ गई है और ग्रामीणों को नाममात्र की लागत पर सुविधा प्राप्त हुई है।

- टिहरी जिले के स्कूलों और कालेजों में कल्याणकारी उपाय के रूप में स्कूली वर्दियां और ट्रैक सूट, मेज, कुर्सियां आदि वितरित की गईं।
- चमोली और टिहरी गढ़वाल जिलों के दूरदराज के गांवों के, निःशुल्क बस सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
- टिहरी जिले के दूरदराज के गांवों में अनेक स्थानों पर स्थानीय ग्रामीणों की सुविधा के लिए बस शेल्टर उपलब्ध कराए गए हैं।
- ऋषिकेश में "कुष्ठ कालोनियों" के कल्याणकारी उपाय के रूप में रजाइयां, कम्बल और घरेलू सामान आदि वितरित किए गए।
- टिहरी जिले में ग्रामीणों द्वारा मांग की जाने पर तीन सार्वजनिक शौचालय निर्मित किए गए।

च. युवाओं को प्रशिक्षण

- टिहरी परियोजना क्षेत्र के 15 बेरोजगार युवकों के लिए एक माह का स्टेवार्डशिप पाठ्यक्रम और एक माह का औद्योगिक पाठ्यक्रम आयोजित किया गया है ताकि उनके कौशलों का विकास कर उन्हें स्वयं कमाई कर लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाया जा सके।
- कृषि विज्ञान केन्द्र, धाकरानी द्वारा ठेकेदारी विकास इकाई स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई। इससे गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के 176 छात्रों को लाभ पहुंचा।

छ. रूड़की मूक बधिर स्कूल में एसईडब्लूए–टीएचडीसी विंग

- गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के निःशक्त बच्चों के लिए रूड़की मूक बधिर स्कूल में ₹ 40 लाख की लागत

से भवन का निर्माण किया गया था। आस–पास के क्षेत्रों के निःशक्त बच्चों के लिए इस स्कूल का प्रबंधन आईआईटी, रूड़की द्वारा किया जा रहा है। इस भवन का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। उनकी माताओं के लिए अन्य कल्याणकारी गतिविधियों को अगले वर्ष प्रारंभ करने का विचार है।

झ. दीर्घकालिक धारणीय सीएसआर कार्यक्रम

- टीएचडीसी टिहरी क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घकालिक समग्र विकास की संकल्पना **"लोगों के लिए, लोगों के द्वारा"** आधार पर काम कर रही है।

कुछ कार्यक्रम इस प्रकार हैं :

क. एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा टिहरी जलाशय रिम क्षेत्र के 30 गांवों के लिए आयोजित समग्र विकास कार्यक्रम

- टिहरी जलाशय रिम क्षेत्र के आस–पास के गांवों की दीर्घकालिक आजीविका के लिए **"टिहरी गढ़वाल के प्रताप नगर और झाखाणीधार ब्लाक के 30 गांवों के रिम क्षेत्र"** हेतु **प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और आजीविका संवर्धन कार्यक्रम से संबंधित समग्र कार्यक्रम,** एचएनबी विश्वविद्यालय, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल के भूगोल विभाग द्वारा पिछले दो वर्षों से चलाया जा रहा है।

शुरू–शुरू में वर्ष 2009–10 में यह कार्यक्रम टिहरी जलाशय रिम क्षेत्र के दूरदराज स्थित 20 गांवों में आरंभ किया गया था। अच्छी प्रतिक्रिया देख कर इस वर्ष 10 और गांव शामिल किए गए हैं। अब विभिन्न सामाजिक–आर्थिक गतिविधियों के लिए 30 गांव शामिल किए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य बल प्राकृतिक संसाधनों के पुनरूत्पादन और प्रबंधन द्वारा महिलाओं द्वारा किए जाने वाले छोटे–मोटे कामों और उनके तनाव में कमी लाना था। इससे समुदाय और ग्राम स्तर के संगठन के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने और उन्हें सशक्त करने में मदद मिलेगी **"लोगों के लिए लोगों के द्वारा"** आजीविका संबंधी विषय की संकल्पना पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने में स्थानीय लोगों को शामिल किया गया है।

सेवा टीएचडीसी द्वारा आयोजित सीएसआर सम्मेलन–2011

ऋषिकेश के एक स्कूल में 'वर्ल्ड एड्स डे' पर जागरूकता कार्यक्रम

ख. टिहरी के 'दीन' गांव में अनुसंधान केन्द्र का विकास

- उत्तराखंड राज्य के प्रताप नगर ब्लाक के उपर्ली रामोली गांव में अनन्य आजीविका और संसाधन प्रबंधन के लिए पारिस्थितिकी बहाली और ग्रामीण समुदाय के सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण पर दिल्ली के किरोड़ीमल कालेज के भूगोल विभाग के माध्यम से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है।

यह कार्यक्रम जनवरी, 2011 में शुरू किया गया था। यह केंद्र प्रताप नगर ब्लाक के लिए नोडल केन्द्र के रूप में काम करेगा। आरंभिक चरण में इसमें क्षेत्र के दूरदराज के 8 गांव शामिल किए जाएंगे तथा इसे आस–पास के 20 गांवों तक विस्तृत किया जाएगा।

यह केंद्र पारिस्थितिकी और सामाजिक, आर्थिक सशक्तीकरण संबंधी गतिविधियां चलाएगा। अनुसंधान और विकास केंद्र सेवा–टीएचडीसी द्वारा प्रताप नगर ब्लाक में शुरू की गई सभी विकासात्मक गतिविधियों में समन्वय करेगा। यह केंद्र जागरूकता शिविर, प्रशिक्षण कार्यक्रम, समय–समय पर प्रगतिशील किसानों को पुरस्कृत करने जैसे कार्यक्रम की चलाएगा। सृजित की गई अवसंरचना से ई–गवर्नेंस कार्यक्रम के जरिए स्थानीय समुदायों/पंचायती राज संस्था को मदद मिलेगी/सुदृढ़ होगी। कार्यक्रम का पहला चरण 5 वर्षों के लिए है।

कारपोरेट सुशासन पर रिपोर्ट

अनुलग्नक–II

आपके निदेशकों को कारपोरेट सुशासन पर कंपनी की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। आपकी कंपनी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है। यह एक मिनी रत्न कंपनी है जिसे अनुसूची – ए का दर्जा प्राप्त है। यह सूचीबद्ध कंपनी नहीं है और कारपोरेट सुशासन संबंधी खंड–49 इस पर लागू नहीं होता। तथापि, लोक उद्यम विभाग द्वारा कारपोरेट सुशासन के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देश आपकी कंपनी पर लागू होते हैं। कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 और लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अन्तर्गत अपेक्षित कारपोरेट सुशासन के व्यवहार अपनाने के प्रयास किए हैं।

1. कंपनी की कारपोरेट सुशासन विचारधारा :

आपकी कंपनी पारदर्शिता, जवाबदेही और जिम्मेदारी सहित अपने अधिकारियों को विकेन्द्रीकृत शक्तियों का प्रत्यायोजन और उनका सशक्तीकरण सुनिश्चित कर कारपोरेट सुशासन के व्यवहार का पालन करती है। आपकी कंपनी अपने अंशधारकों तथा अन्य पणधारियों के प्रति निष्पक्ष व्यवहार करने के लिए वचनबद्ध है।

आपकी कंपनी का कारपोरेट सुशासन तंत्र निम्नालिखित प्राचलों पर आधारित है।

1.1 पारदर्शिता और निष्पक्षता

आपकी कंपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता और निष्पक्षता को आवश्यक शर्त मानती है। निदेशक मंडल ने लोक उद्यम विभाग के दिशानिदेर्शों के अनुरूप कारपोरेट सुशासन संबंधी व्यापक नीति तैयार कर उसे अपनाया है।

1.2 अनुपालन

कंपनी, कारपोरेट सुशासन के संबंध में लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों जिनमें अनिवार्य तथा गैर–अनिवार्य खंड शामिल हैं, का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है।

1.3 स्टेकहोल्डरों के हित

ग्राहकों, अंशधारकों, कर्मचारियों, लेनदारों, विक्रेताओं और समुदाय सहित स्टेकहोल्डरों के हितों पर विचार करने के बाद कंपनी में सभी कार्रवाईयां की जाती है और निर्णय लिए जाते हैं।

1.4 पर्यावरण के प्रति दायित्व

कंपनी की पर्यावरण की रक्षा के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता है और कंपनी ने इस दिशा में अनेक उपाय किए हैं।

2. निदेशक मंडल

2.1 मंडल (बोर्ड) का आकार :

आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है जिसमें भारत के राष्ट्रपति की ओर से 75% और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की ओर से 25% पूंजी लगी हुई है। कंपनी के व्यवसाय की देख–रेख निदेशक मंडल करता है। कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति समय–समय पर कंपनी के निदेशकों की संख्या तय करेंगे। यह संख्या सात से कम और पन्द्रह से अधिक नहीं होगी। इसमें से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल 25% इक्विटीधारक होने के नाते कम से कम दो निदेशकों को नामांकित करेंगे।

2.2 मंडल (बोर्ड) की संरचना :

31 मार्च, 2011 को निदेशक मंडल में बारह निदेशक थे जिसमें से चार पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक निदेशक हैं, पांच सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं तथा तीन स्वतंत्र निदेशक हैं। ये निदेशक बोर्ड को अनेक प्रकार का अनुभव और कौशल प्रदान करते हैं। निदेशकों का संक्षिप्त विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

2.3 निदेशकों की आयु सीमा और कार्यकाल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशक पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं जो प्रभार संभालने की तारीख से सेवानिवृत्ति की तिथि तक या भारत सरकार के अगले निदेशों से, जो भी पहले हो, शुरू होता है।

सरकार के नामित अंशकालिक निदेशक सेवारत अधिकारी होते हैं जो पदेन अपने मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग से हटते ही निदेशक पद से हट जाते हैं। स्वतंत्र निदेशक, भारत सरकार द्वारा आमतौर पर तीन वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं।

2.4 बोर्ड की बैठकें और उपस्थिति

बोर्ड की बैठकें उचित अग्रिम नोटिस देकर और बोर्ड के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त कर आयोजित की जाती हैं। विस्तृत कार्यसूची, प्रबंधन रिपोर्ट तथा स्पष्टकारी विवरण समय रहते परिचालित किए जाते हैं ताकि बैठकों में सार्थक संसूचित और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकें।

वर्ष 2010–11 के दौरान बोर्ड की पांच बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गई थीं।

क्र. सं.	बोर्ड की बैठकों की तारीख	बोर्ड की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	30 अप्रैल, 2010	10	7
2.	12 अगस्त, 2010	12	8
3.	31 अगस्त, 2010	12	9
4.	22 नवम्बर, 2010	12	8
5.	29 मार्च, 2011	12	8

वर्ष 2010–11 में बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति, वार्षिक आम सभा में उपस्थिति, धारित अन्य निदेशक / समिति सदस्य की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है।

क्र.सं.	निदेशक	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया	पिछली वार्षिक आम सभा की बैठक में उपस्थिति	धारित अन्य निदेशक पद	अन्य समिति / समितियों की स्थिति	
					अध्यक्ष	सदस्य
	प्रकार्यात्मक निदेशक					
1.	श्री आर.एस.टी. शाई (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	5	उपस्थित	1	—	1
2.	श्री ए. एस. बिष्ट, निदेशक (कार्मिक)	5	उपस्थित	शून्य	—	—
3.	श्री सी. पी. सिंह, निदेशक (वित्त)	5	उपस्थित	शून्य	—	—
4.	श्री डी. वी. सिंह, निदेशक (तकनीकी)	5	उपस्थित	शून्य	—	—
	सरकार के नामित निदेशक					
5.	श्री ए. के. बजाज, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली	5	उपस्थित	शून्य	—	—
6.	श्री गुरूदयाल सिंह, अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली	0	अनुपस्थित	1	—	—
7.	श्री नवनीत कुमार सहगल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूपीपीसीएल, लखनऊ	0	प्राक्सी के माध्यम से उपस्थित	13	—	—
8.	श्री सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव (एच), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	1	उपस्थित	6		
9.	श्री किशन सिंह, अटोरिया, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ	1	प्राक्सी के माध्यम से उपस्थित	शून्य	—	—
	स्वतंत्र निदेशक					
10.	डॉ. सुधीर एस. बलोरिया, पूर्व मुख्य सचिव, जम्मू और कश्मीर	5	उपस्थित	शून्य	—	—
11.	डॉ. के. अपरामेयन, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत अर्थ मूवर्स, बंगलौर	5	उपस्थित	1	—	—
12.	प्रो. (डॉ.) एस.सी. सक्सेना, निदेशक, आईआईटी, रूड़की	5	उपस्थित	शून्य	—	—

वर्तमान निदेशकगणों का संक्षिप्त विवरण

श्री आर.एस.टी. शाई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00171920

श्री आर.एस.टी. शाई ने 08.03.2007 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। श्री शाई इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स के फेलो हैं। उन्होंने आईआईएम बेंगलोर से पीजीडीएम प्राप्त किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री प्राप्त की है। इससे पूर्व उन्होंने 05.05.2005 से 07.03.2007 तक टीएचडीसी में निदेशक (वित्त) का पदभार संभाला।

उन्हें बैंकिंग, वित्त, वाणिज्य, ईपीसी संविदा तथा परियोजना प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 33 वर्षों का व्यापक अनुभव है। निदेशक (वित्त) के रूप में टीएचडीसी से जुड़ने से पूर्व श्री शाई एसबीआई, एनटीपीसी, पावरग्रिड और दिल्ली मेट्रो में अलग–अलग पदों पर कार्य कर चुके है।

श्री ए. एस. बिष्ट
निदेशक (कार्मिक)
डीआईएन : 00184943

श्री अशोक सिंह बिष्ट ने 08.09.2004 को निदेशक (कार्मिक) का पदभार संभाला। इससे पूर्व वे महाप्रबंधक (कार्मिक और प्रशासन) का पदभार संभाल रहे थे। वे 1989 में टीएचडीसी से जुड़े और विभिन्न पदों पर रहते हुए संगठन की सेवा की। मानव संसाधन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें 35 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव प्राप्त है। टीएचडीसी में कार्यभार संभालने से पूर्व श्री बिष्ट बीएचईएल में कार्यरत थे।

उन्होंने अन्य बातों के साथ–साथ कार्मिक नीतियाँ तैयार करने में अत्यधिक योगदान दिया, जिससे तत्कालीन यूपीआईडी कर्मचारियों का टीएचडीसी में समावेश करना आसान हो गया। उन्होंने संगठन को निर्माण स्तर से विद्युत उत्पादन स्तर तक रूपांतरण में कारगर योगदान दिया है। उन्होंने मानव संसाधन विकसित करने में पर्याप्त प्रशिक्षण और शिक्षण अवसर उपलब्ध कराये ताकि कर्मचारी वर्तमान और भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत बन सकें।

श्री सी. पी. सिंह
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 01880648

श्री सी पी सिंह ने 18.10.2007 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड मे निदेशक (वित्त) का कार्यभार संभाला। वे फैलो चार्टर्ड एकाउंटेट (एफ सी ए) और दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि स्नातक है। इससे पूर्व श्री सिंह निगम में महाप्रबंधक (वित्त)/वित्तीय नियंत्रक थे। श्री सिंह को सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में वित्त और लेखा विभाग में 28 से अधिक वर्षों का कार्यकारी अनुभव है।

श्री सिंह 1990 से टीएचडीसी में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं और उन्हें बड़ी परियोजनाओं के वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र मे व्यापक अनुभव है। वाणिज्यिक और विधिक मामलों के अतिरिक्त उन्हें निधि प्रबंधन में सुविज्ञता हासिल है। वे महत्वपूर्ण वित्तीय मामलों में विभिन्न सरकारी संगठनों के साथ संव्यवहार करते रहे हैं। टीएचडीसी में काम करने से पूर्व उन्होंने एनटीपीसी लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और भारत सरकार के शर्करा निदेशालय, खाद्य विभाग में कार्य किया है।

श्री डी. वी. सिंह
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन : 03107819

श्री डी. वी. सिंह ने 12.05.2010 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में निदेशक (तकनीकी) का पदभार संभाला। श्री सिंह एन आई टी, राउरकेला, उड़ीसा से ऑनर्स के साथ बी एस सी इंजीनियरिंग (सिविल) हैं। इससे पूर्व वे मार्च, 2007 से टीएचडीसी आई एल में कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना के मुख्य परियोजना अधिकारी का प्रभार संभाल रहे थे। उनके पर्यवेक्षण में कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना में बड़ी मात्रा में सिविल/इलैक्ट्रिकल/मैकैनिकल कार्य हुए है जिससे 3 वर्षों में रिकार्ड प्रगति हुई है।

श्री सिंह को सिविल भवन निर्माण, पुनर्वास, भूमि तल निर्माण, विद्युत गृह निर्माण, संविदा और प्रापण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 25 वर्षों का व्यापक अनुभव है। उन्होंने पिछले अठारह वर्षों से टीएचडीसी आई एल में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। 250 मेगावाट की चारों इकाइयों के प्रारंभण के दौरान वे टिहरी विद्युत गृह के इंजीनियर प्रभारी थे। टीएचडीसीआईएल में कार्यभार संभालने से पूर्व श्री सिंह एल एंड टी में कार्य कर चुके हैं।

श्री सुधीर कुमार
संयुक्त सचिव (जल विद्युत),
भारत सरकार
सरकार द्वारा नामित निदेशक
डीआईएन : 02669103

भारत सरकार ने 24.9.2010 से श्री सुधीर कुमार को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में सरकार द्वारा नामित निदेशक नियुक्त किया। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा (1982–बैच बिहार कॉडर) के अधिकारी हैं।

उप विकास आयुक्त, राँची और उपायुक्त, दुमका के रूप में उन्होंने मिलियन वैल कार्यक्रम के तहत निर्धन जनजातियों के लिए "जल ही जान है" योजना शुरू की। सीतामढ़ी जिले में सांप्रदायिक दंगा होने के बाद नवम्बर, 1992 में उन्हें सीतामढ़ी का जिलाधिकारी बनाया गया था।

अखिल भारतीय प्रबंधन एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2008 में उन्हें सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय रेलवे में ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए भारतीय लोक प्रशासन द्वारा वर्ष 2007 के लिए उन्हें निदेशक का विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया।

श्री नवनीत कुमार सहगल
सचिव (ऊर्जा), जीओयूपी
सरकार द्वारा नामित निदेशक
डीआईएन : 02508634

उत्तर प्रदेश सरकार ने 13.10.2009 से श्री नवनीत कुमार सहगल को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में सरकार द्वारा नामित निदेशक नियुक्त किया। श्री सहगल एक सुयोग्य सनदी लेखाकार और कंपनी सचिव हैं और 1988 बैच के यू पी कॉडर के आई ए एस अधिकारी हैं।

इस समय वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सचिव और उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा सचिव का पदभार संभाल रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेशक हैं तथा टीएचडीसीआईएल सहित विद्युत क्षेत्र की 15 कंपनियों के बोर्ड के निदेशक हैं। श्री सहगल ने अपने कैरियर के दौरान उत्तर प्रदेश में अनेक पदों पर काम किया है।

श्री किशन सिंह अटोरिया
प्रधान सचिव (सिंचाई)
सरकार द्वारा नामित निदेशक
डीआईएन : 03272172

उत्तर प्रदेश सरकार ने 01.07.2010 से श्री किशन सिंह अटोरिया को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में सरकार द्वारा नामित निदेशक नियुक्त किया। वे 1984 बैच के उत्तर प्रदेश कॉडर के अधिकारी हैं।

वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (सिंचाई), का पद संभाल रहे हैं। श्री अटोरिया ने अपने करियर के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में अनेक वरिष्ठ पदों जैसे आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, आयुक्त, खाद्य विभाग, प्रबंध निदेशक (यूपीएसआरटीसी) का पदभार संभाला है।

2.5 स्वतंत्र निदेशकों को प्रतिपूर्ति और प्रकटीकरण

आपकी कंपनी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सरकारी कंपनी है, अतः निदेशकों का कार्यकाल और पारिश्रमिक भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। इसलिए, निदेशक मंडल पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक तय नहीं करता। सरकार द्वारा पदेन हैसियत से अंशकालिक निदेशक नियुक्त करने पर उनको कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड तथा समिति की प्रत्येक बैठक के लिए ₹10,000/– की सिटिंग फीस दी जाती है जैसा कि भारत सरकार की दिनांक 24.07.2003 की अधिसूचना के तहत निर्धारित की गई सीमा के भीतर बोर्ड द्वारा तय किया गया है।

वर्ष 2010–11 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को प्रति बैठक किए जाने वाले भुगतान का ब्यौरा ऊपर दी गई तालिका में दिया गया है।

स्वतंत्र निदेशकों के नाम	बैठक फीस (₹ में)				
	वार्षिक आम सभा	बोर्ड की बैठकें	लेखा समिति की बैठकें	परिश्रमिक समिति की बैठकें	कुल (₹ में)
डॉ. सुधीर एस ब्लोरिया	10,000	50,000	70,000	60,000	1,90,000
डॉ. के. अपरामेयन	10,000	50,000	70,000	60,000	1,90,000
प्रो. (डॉ.) एस.सी. सक्सेना	10,000	50,000	70,000	60,000	1,90,000

2.6 वर्ष 2010–11 के दौरान बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई सूचनाएं

बोर्ड कंपनी से उसके बारे में कोई भी सूचना मांग सकता है। सांविधि और सुशासन नीति के अंतर्गत जरूरी सभी विषय निदेशक मंडल के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। विचारार्थ रखे जाने वाले विषयों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- वार्षिक प्रचालन योजनाएं और बजट तथा इनके बारे में अन्य ताजा सूचनाएं।
- पूंजीगत बजट तथा अन्य नवीनतम सूचनाएं।
- बड़े ठेके एवार्ड करना।
- चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा जिसमें वे महत्वपूर्ण मुद्दे और क्षेत्र शामिल हों जिन पर प्रबंधन का ध्यान आवश्यक हो।
- वार्षिक लेखा, निदेशकों की रिपोर्ट आदि।
- कंपनी के तिमाही वित्तीय परिणाम।
- लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य बैठकों के कार्यवृत्त।
- अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद या समितियों में अपनी हैसियत के बारे निदेशकों द्वारा रूचि का प्रकटीकरण।
- कंपनी के ज्ञापन और अनुच्छेदों तथा नीतिगत मामलों में संशोधन।
- विदेशी विनिमय के प्रकटीकरण के संबंध में तिमाही रिपोर्ट।
- मानव संसाधन तथा वेतन समझौते पर हस्ताक्षर आदि जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक संबंध से संबद्ध कोई महत्वपूर्ण विकास, स्वैच्छिक सेवानिवृति का कार्यान्वयन आदि।
- पिछली बैठक से वर्तमान बैठक तक की महत्वपूर्ण घटनाओं की झलकियां।
- संयुक्त उद्यम और सहयोग समझौते।
- नई परियोजनाओं का कार्यान्वयन और स्थिति।
- दीर्घावधि/अल्पावधि ऋण लेना तथा अन्य वित्तीय मुद्दे।
- अन्तरिम लाभांश अदायगी और अंतिम लाभांश की घोषणा।
- सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारण।
- मानव संसाधन विकास और औद्योगिक विकास से संबंधित मुद्दे।
- बोर्ड के विचार योग्य अन्य कोई महत्वपूर्ण मुद्दा आदि।

3. निदेशक मंडल की समितियां

इस समय कंपनी के निदेशक मंडल की दो उप–समितियां हैं :

(i) लेखा परीक्षा समिति

(ii) पारिश्रमिक समिति

बोर्ड की इन उप–समितियों में कंपनी सचिव, सचिव की हैसियत से काम करता है।

3.1 लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति का गठन, गणपूर्ति, विस्तार क्षेत्र आदि कंपनी अधिनियम 1956 तथा लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा कारपोरेट सुशासन के संबंध में जारी दिशानिदेर्शों के अनुरूप है। लेखा परीक्षा समिति की शक्तियां और विचारार्थ विषय वही हैं जो कारपोरेट सुशासन के संबंध में लोक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशानिदर्शों के खंड 4.2 और 4.3 तथा कंपनी अधिनियम 1956 कीधारा 292ए में विनिर्दिष्ट हैं।

3.1.1 लेखा परीक्षा समिति की संरचना

कारपोरेट सुशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षा समिति में सदस्य के रूप में न्यूनतम तीन निदेशक होंगे तथा लेखा परीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होगे। लेखा परीक्षा समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होगा। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का गठन इस प्रकार किया गया है :

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	सदस्य की श्रेणी
1.	डॉ. सुधीर एस ब्लोरिया (01.05.2011 तक)	स्वतंत्र निदेशक–अध्यक्ष
2.	डॉ. के. अपरामेयन (01.05.2011 तक)	स्वतंत्र निदेशक–सदस्य
3.	प्रो. (डॉ.) एस.सी. सक्सेना (22.05.2011 तक)	स्वतंत्र निदेशक–सदस्य

सभी स्वतंत्र निदेशक अब बोर्ड के सदस्य नहीं रह गए हैं। भारत सरकार ने रिक्तियों को भरने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है।

3.1.2 लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय

लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय में निम्नलिखित शामिल हैं:

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया तथा इसकी वित्तीय सूचनाओं के प्रकटीकरण का निरीक्षण करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सत्य और निष्पक्ष हैं।
- बोर्ड से सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति की सिफारिश करना, लेखा परीक्षा की फीस तथा अन्य सेवाओं की फीस का निर्धारण करना।
- अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व निम्नलिखित के संदर्भ में प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना:
  - (क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के खंड (2एए) के अंतर्गत बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली निदेशक उत्तरदायित्व रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामले;
  - (ख) लेखाकरण नीतियों और व्यवहारों में परिवर्तन,यदि कोई हो तथा उनके कारण;
  - (ग) प्रबंधन द्वारा दिए गए निर्णय पर आधारित अनुमानों को शामिल करती हुई प्रमुख लेखाकरण प्रविष्टियां;
  - (घ) लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों के बाद वित्तीय मामलों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
  - (ङ) वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन;
  - (च) किसी संबद्ध पक्ष के बारे में लेन देन का प्रकटकन;
  - (छ) लेखा परीक्षा से जुड़े मामले जैसे :
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना जिसमें आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, विभाग की अध्यक्षता करने वाले कर्मचारी की वरिष्ठता और स्टाफिंग रिपोर्टिंग ढांचा कवरेज तथा आंतरिक लेखा परीक्षा की बारम्बारता शामिल हो।
- आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर चर्चा तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई।
- आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा आंतरिक छानबीन में निकाले गए निष्कर्षों की समीक्षा करना और यदि धोखाधड़ी, अनियमितता अथवा आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था के असफल हो जाने से संबंधित कोई ठोस सूचना मिलती है तो यथावश्यक बोर्ड को सूचित करना
- लेखा परीक्षा शुरू होने से पूर्व लेखा परीक्षा की प्रकृति और विस्तार क्षेत्र के संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना तथा किसी चिन्तनीय विषय को अभिनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा के बाद विचार–विमर्श करना।
  - (ज) अंशधारकों और जमाकर्ताओं को भुगतान में गंभीर चूक होने पर (घोषित लाभांश का भुगतान न किए जाने पर) कारण,यदि कोई हो, को देखना।
  - (झ) उद्यम जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया कि पर्याप्तता तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और विश्वसनीयता।

3.1.3 बैठकें और उपस्थिति

वर्ष 2010–11 में आयोजित की गई लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की संख्या तथा बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या नीचे दी गई है :

क्र.सं.	लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की तारीख	सदस्यों की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	31 अप्रैल, 2010	3	3
2.	2 और 3 जून, 2010	3	3
3.	11 और 12 अगस्त, 2010	3	3
4.	30 अगस्त, 2010	3	3
5.	21 नवम्बर, 2010	3	3
6.	23 जनवरी, 2011	3	3
7.	28 मार्च, 2011	3	3

लेखा परीक्षा समिति की बैठकों तथा उनमें वर्ष 2010–11 में उपस्थित सदस्यों का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	लेखा परीक्षा समिति के सदस्य	उनकी अवधि के दौरान आयोजित बैठक	बैठक में उपस्थिति
1.	डॉ. सुधीर एस ब्लोरिया, स्वतंत्र निदेशक	7	7
2.	डॉ. के. अपरामेयन स्वतंत्र निदेशक	7	7
3.	प्रो. (डॉ.) एस.सी. सक्सेना, स्वतंत्र निदेशक	7	7

निदेशक (वित्त) और मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी ने विशेष आमंत्रिती के रूप में लेखा परीक्षा समिति की बैठकों मे भाग लिया। लेखा परीक्षा समिति को सहायता देने के लिए समय–समय पर अनेक अन्य अधिकारी तथा लेखा परीक्षक बुलाए गए थे।

3.2 पारिश्रमिक समिति

लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार पारिश्रमिक समिति का पुर्नगठन किया गया था ताकि वेतन और भत्तों, वार्षिक बोनस/वेरिएबल पे पूल तथा नीति आदि के संबंध में विचार और निर्णय किया जा सके तथा निम्नानुसार निर्धारित सीमा में वितरण किया जा सके।

3.2.1 संरचना : पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	सदस्य की श्रेणी
1.	डॉ. सुधीर एस ब्लोरिया	स्वतंत्र निदेशक–अध्यक्ष
2.	डॉ. (प्रो.) एस.सी. सक्सेना	स्वतंत्र निदेशक–सदस्य
3.	डॉ. के. अपरामेयन	स्वतंत्र निदेशक–सदस्य

3.2.2 बैठकें और उपस्थिति

वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान पारिश्रमिक समिति की छह बैठकें 30 अप्रैल, 12 अगस्त, 31 अगस्त, 21 नवम्बर, 2010 को तथा 23 जनवरी और 28 मार्च, 2011 को हुई। पारिश्रमिक समिति की बैठकों और उनमें सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है:

क्र. सं.	पारिश्रमिक समिति के सदस्य	उनकी अवधि के दौरान आयोजित बैठक	बैठक में उपस्थिति
1.	डॉ. सुधीर एस ब्लोरिया, अध्यक्ष	6	6
2.	श्री ए.एस. बिष्ट (12.08.2010 तक), सदस्य	2	2
3.	डॉ.(प्रो.)एस.सी. सक्सेना (12.08.2010 से), सदस्य	4	4
4.	डॉ. के. अपरामेयन (12.08.2010 से), सदस्य	4	4

4. आम सभा की बैठकें

जिन स्थानों पर पिछली तीन वार्षिक आम सभाएं संपन्न हुई थीं, उनकी तारीख, समय और स्थान इस प्रकार हैं:

वार्षिक आम सभा बैठकें	22वीं आम सभा की बैठक 31, अगस्त, 2010 को हुई थी	21वीं आम सभा की बैठक 29, सितम्बर, 2009 को हुई थी	20वीं आम सभा की बैठक 26, सितम्बर, 2008 को हुई थी
समय	सायं 5.00 बजे	सायं 7.00 बजे	दोपहर 12.00 बजे
स्थान	भागीरथी भवन, भागीरथी पुरम, टाप टैरेस, टिहरी गढ़वाल -- 249001 उत्तराखंड	टीएचडीसी ऑफिस, ए–10, सेक्टर – 1, कृभको भवन, चौथा तल, नोएडा	टीएचडीसी ऑफिस, ए–10, सेक्टर – 1, कृभको भवन, चौथा तल, नोएडा
विशेष संकल्प	• संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेदों में संशोधन • संदत्त पूंजी से अधिक तथा नि:शुल्क रिजर्व उधार लेने के लिए बोर्ड की शक्ति को अनुमोदित करना	• कंपनी के नाम में परिवर्तन • संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेदों में संशोधन	शून्य

वित्त वर्ष 2010–11 के वार्षिक आम सभा बैठक

5. प्रकटीकरण

5.1 संबद्ध पक्ष के बारे में लेन देन का प्रकटीकरण

प्रोत्साहकों, निदेशकों या प्रबंधन के साथ कोई ऐसा महत्वपूर्ण लेन देन नहीं किया गया जिससे कुल मिलाकर कंपनी के हितों पर गंभीर आंच आती हो। संबद्ध पक्ष के प्रकटीकरण से संबंधित ब्योरे एएस – 18 के अनुसार खातों से संबंधित टिप्पणियों में शामिल किए गए हैं।

6. सचेतक नीति

निदेशक मंडल ने 25.04.2010 को आयोजित अपनी 154वीं बैठक में सचेतक नीति अंगीकार की है ताकि कर्मचारी गण अनैतिक व्यवहार के बारे में, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी अथवा आचरण अथवा नैतिकता से संबंधित कंपनी के सामान्य दिशानिर्देशों के उल्लंघन को प्रबंधन को रिपोर्ट कर सकें। यह तंत्र उन कर्मचारियों को उत्पीड़न से पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराएगा जो इस तंत्र का लाभ उठाते हैं और इसमें अपवादिक मामलों में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधे अपनी बात पहुंचाने का प्रावधान है।

- इसमें सदभावपूर्वक भंडाफोड़ करने पर कर्मचारियों को उत्पीड़न से बचाने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों का प्रावधान है।
- जो कर्मचारी जानबूझ कर झूठे आरोप लगाएगा उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
- सचेतक नीति की प्रति कंपनी के अधिकृत वेबसाइट पर भी उपलब्ध है ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

7. शिकायत निवारण तंत्र

किसी भी ऐसे असंतोष को शिकायत कहा जाएगा जिसका संगठन में व्यक्ति द्वारा भलीभांति काम करने के लिए निवारण किया जाना जरूरी है। मोटे तौर पर संगठन के किसी पहलू से असंतोष को शिकायत माना जाएगा। यह शिकायत वास्तविक या काल्पनिक, तर्कसंगत या हास्यास्पद, महत्वपूर्ण या गुप्त, लिखित या मौखिक किसी प्रकार की भी हो सकती है। तथापि, किसी न किसी रूप में यह अभिव्यक्त की जानी चाहिए। कंपनी ने कर्मचारियों के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्वीकार किया है।

8. जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों में जोखिम संबंधी विभिन्न पक्षों से निपटने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली को अपनाया है जो निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित है।यह सभी प्रकार के खतरों के कारण होने वाले जोखिम के प्रबंधन के लिए संरचनात्मक दृष्टिकोण है और इसमें मानवीय गतिविधियों की पूरी श्रृंखला शामिल है जिसमें जोखिम की पहचान, जोखिम की मात्रा का निर्धारण, प्रबंधकीय संसाधनों का प्रयोग, जोखिम प्रतिक्रिया का कार्यान्वयन/जोखिम को कम करना शामिल है।

जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, मानव, संगठन और राजनीति द्वारा उपस्थित किए जाने वाले खतरे को कम करना है। जोखिम प्रबंधन से कारपोरेट उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है तथा यह विभिन्न प्रकार्यात्मक प्रबंधन क्षेत्रों का अभिन्न अंग है। जोखिम प्रबंधन के विस्तार क्षेत्र में जोखिम विश्लेषण, जोखिम के प्रति प्रतिक्रिया और जोखिम नियंत्रण आते हैं ताकि स्वीकृत स्तर तक जोखिम कम किए जा सकें।

9. रिकार्ड प्रबंधन प्रणाली

आपकी कंपनी ने निम्नालिखित उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के दिशानिर्देशों के अनुरूप रिकार्ड प्रबंधन मैनुअल अंगीकार किया है :

- रिकार्डों के उचित संरक्षण और भंडारण को सुकर बनाना।
- रिकार्डों को दोबारा प्राप्त करना आसान बनाना।
- शुरूआती स्तर पर रिकार्डों की वृद्धि को नियंत्रित करना।
- समय से छंटाई करने के लिए रिकार्डों की पहचान करना ताकि रिकार्डों के रख–रखाव की लागत को ईष्टतम किया जा सके।
- रिकार्डों को बनाए रखने के लिए सांविधिक दायित्वों का अनुपालन करना।
- कार्यालय के स्थान के उपयोग को ईष्टतम बनाना आदि।

10. अधिकारिक वेबसाइट संचार के साधन

कंपनी अपने अंशधारकों के साथ अपनी वार्षिक रिपोर्ट, आम बैठकों और वेबसाइट के जरिए प्रकटीकरण के माध्यम से संप्रेषण करती है। कंपनी के संबंध में पहले की तथा नवीनतम सूचनाएं कंपनी की वेबसाइट **www.thdc.gov.in** से प्राप्त की जा सकती हैं।

11. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

सरकारी कंपनी के रूप में आपकी कंपनी भारत के नियंत्रण और लेखा परीक्षक के क्षेत्राधिकार मे आती है और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अंतर्गत संसदीय निरीक्षण के अध्यधीन है। जिन कंपनियों में सरकार की इक्विटी सहभागिता 51% होती है उन कंपनियों की लेखा परीक्षा की लिए विशेष प्रबंध होता है। कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है जो लेखा परीक्षकों को लेखा परीक्षा करने की रीति के संबंध में निदेश देते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सांविधिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर टिप्पणी करने का भी अधिकार है। इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नमूने के तौर पर कंपनी के खातों की लेखा परीक्षा करता है और अपनी लेखा परीक्षा के परिणामों को संसद और राज्यों की विधान सभाओं को प्रस्तुत करता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय की रेजीडेंट ऑडिट पार्टी स्थायी रूप से बनी रहती है और सतत गतिविधि के रूप में औचित्य लेखा परीक्षा करती है।

12. मुख्य सतर्कता अधिकारी

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सीवीओ की नियुक्ति अच्छे कारपोरेट सुशासन का महत्वपूर्ण घटक है। मुख्य सतर्कता अधिकारी वरिष्ठ स्तर के अधिकारी होते हैं जिन्हें सतर्कता संबंधी सभी शिकायतों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। मुख्य सतर्कता अधिकारी सीवीसी और विद्युत मंत्रालय के अंग के रूप में काम करते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी संबंधित संगठन और मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति आम तौर पर संगठन के बाहर से की जाती है ताकि उसकी स्वतंत्रता बनी रहे। मोटे तौर पर उसके कार्य दो भागों नामतः निवारक और दंडात्मक में बंटे हुए हैं।

भारत सरकार ने सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की नियुक्ति की हैं जो सतर्कता संबंधी मामलों को देखेगा। सीवीओ कार्य की दृष्टि से सतर्कता से जुड़े सभी मामलों को सीवीसी को रिपोर्ट करता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशकों के विरूद्ध शिकायतों की जांच की सीवीओ की रिपोर्टें सीधे सीवीसी को प्रस्तुत की जाती हैं। बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों की जांच रिपोर्टें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं

अनुशासनिक पदाधिकारी को प्रस्तुत की जाती हैं। वर्तमान में कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) भारत सरकार के श्रेणी–I के अधिकारी हैं जो भारतीय रेलवे से प्रतिनियुक्ति पर आए हैं।

वर्ष के दौरान शुरू की गई सतर्कता संबंधी गतिविधियों के संबंध में अलग से एक पैराग्राफ निदेशकों की रिपोर्ट में जोड़ा गया है।

13. बोर्ड की आचार संहिता

निदेशक मंडल ने मिशन और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी के विजन और मूल्यों के अनुरूप बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए अलग–अलग आचार संहिता नैतिक मूल्य निर्धारित किया है। इसका उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाना है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के खंड 3.4.2 के अंतर्गत आवश्यक घोषणा

बोर्ड के सभी सदस्यों ने 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालन की अभिपुष्टि की है।

आर.एस.टी शाई
(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)

14. पत्राचार के लिए पता

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
प्रगतिपुरम, बाईपास रोड
ऋषिकेश – 249201
उत्तराखंड

पत्र–व्यवहार के लिए दूरभाष नं. तथा ई–मेल संदर्भ नीचे दिए जा रहे हैं :

कंपनी सचिव	श्री एस. क्यू अहमद
कार्यालय के संपर्क नं.	0135–2439309
फैक्स नं.	0135–2439442
ई–मेल	thdccs@yahoo.co.in
जन शिकायतों के लिए	श्री ए. सी. जोशी, अपर महाप्रबंधक (का.एवं प्रशा.), निदेशक, जन शिकायत
संपर्क	फोन : 0135–2437856, फैक्स नं.: 0135–2430292
ई–मेल	acjoshi@thdc.gov.in

कारपोरेट सुशासन का अनुपालन प्रमाण पत्र

सेवा में,

सदस्यगण,

टीएचडीसी इंडिया लि.

1. हमने, 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट सुशासन के दिशा–निर्देशों के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लि. द्वारा कारपोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच कर ली है।
2. कारपोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच कारपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकृत की गई प्रक्रियाविधियों एवं कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा थी और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर कोई अभिव्यक्ति थी।
3. हमारी राय में तथा हमारी जानकारी में एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते है कि कंपनी ने कारपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।
4. हम आगे अभिकथन करते है कि यह अनुपालन न तो भविष्य में कंपनी की व्यवहार्यता का आश्वासन देता है और न ही दक्षता एवं कार्यकुशलता जिसके साथ प्रबंधन कंपनी के कार्यों का निष्पादन कर रहा है, का आश्वासन देता है।

कृते

(सुंबुल मसूद)
प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव
सुंबुल मसूद एंड एसोसिएट्स
सदस्य सं. एसीएस 24512 सीओपी सं. 8840
40ए, मिर्जा गालिब रोड, इलाहाबाद–211003

दिनांक : 31.08.2011
स्थान : इलाहाबाद

अनुलग्नक–III

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अंतर्गत कर्मचारियों के ब्यौरे

क) वर्ष भर चलनेवाला रोजगार और पारिश्रमिक राशि की प्राप्ति जो कुल मिलाकर प्रतिवर्ष ₹ 24,00,000 से कम नहीं थी

नाम	पदनाम/कार्य का स्वरूप	पारिश्रमिक (₹)	योग्यता	अनुभव (वर्ष)	रोजगार शुरू करने की तारीख	आयु	अंतिम धारित रोजगार
शून्य							

ख) वर्ष के कुछ भाग में चलने वाला रोजगार और पारिश्रमिक राशि की प्राप्ति जो कुल मिलाकर प्रति माह ₹ 2,00,000 से कम नहीं थी

नाम	पदनाम/कार्य का स्वरूप	पारिश्रमिक (₹)	योग्यता	अनुभव (वर्ष)	रोजगार शुरू करने की तारीख	आयु	अंतिम धारित रोजगार	अभ्युक्तियाँ
श्री. टी.के. खोसा	महाप्रबंधक	25.25 लाख	बीई	28	07/01/1991	60	पीडब्लूडी, जेएंडके	सेवानिवृत्त
श्री. आर.के. चावला	महाप्रबंधक (सीपी)	28.31 लाख	बीएससी (सिविल इंजी.)	34.06	10/01/1992	60	एनपीसीसी	सेवानिवृत्त
श्री. एच. सिन्हा रॉय	महाप्रबंधक (वित्त)	31.68 लाख	चार्टर्ड एकाउंटेंट	30.6	22/04/1992	60	त्रिवेणी स्ट्रक्चर्स	सेवानिवृत्त
श्री. ए. के. जैन	अपर महाप्रबंधक (वित्त)	31.51 लाख	चार्टर्ड एकाउंटेंट	32.11	25/06/1990	60	राष्ट्रीय वस्त्र निगम	सेवानिवृत्त

1. जिन व्यक्तियों के नाम ऊपर दिए गए हैं, वे कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक / कर्मचारी हैं।
2. पारिश्रमिक में वेतन, छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी यात्रा रियायत, लीज रेंट घटाकर एचआरआर भविष्य निधि उपदान में कर्मचारी तथा नियोक्ता का अंशदान शामिल है। उपर्युक्त कोई कर्मचारी कंपनी के किसी निदेशक से संबंधित नहीं है।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

वर्ष 2010–11 के लिए
वार्षिक खाते

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 2010–2011

1. सामान्य

संलग्न वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 के सांविधिक प्रावधानों तथा भारतीय सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी किए गये विवरणों, मानकों तथा मार्गदर्शी टिप्पणियों के अनुरूप पारंपरिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चो को प्रभावित करते है। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और व्यावहारिक आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

3. सहायता अनुदान

पूंजीगत व्यय के लिए केन्द्र/राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त सहायता अनुदान के साथ–साथ उपभोक्ता अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार से टिहरी एचईपी चरण – I के लिए परियोजना लागत के सिंचाई घटक के लिए प्राप्त अंशदान को शुरू में आरक्षित पूंजी के रूप में माना गया तथा बाद में उसी अनुपात में आय के रूप में समायोजित किया गया, जितना कि इस अंशदान/ सहायता अनुदान में अधिग्रहित परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास को बट्टे खाते में डाला गया है।

4. अचल परिसंपत्तियां

i. अमूर्त परिसंपत्तियों सहित अचल परिसंपत्तियां उनके अधिग्रहण/निर्माण लागत पर बताई गयी हैं। एक से अधिक उत्पादन इकाइयों की साझा परिसंपत्तियां और प्रणालियां अभियांत्रिकी प्राक्कलनों/मूल्यांकनों के आधार पर पूंजीकृत की जाती हैं। लेकिन खासतौर से निर्माण के लिए अधिग्रहीत/निर्मित अचल परिसंपत्तियों को जिन्हें मुख्य अचल परिसंपत्ति के साथ विलय कर दिया जाएगा अथवा जो निर्माण अवधि के बाद उपयोगी नहीं रहेंगी, उनके साथ पूंजीकृत किए जाने के लिए अचल परिसंपत्तियों की मुख्य मद के चालू पूंजीगत कार्य के भाग के रूप में ली जाती है।

ii. भूमि पर सृजित अचल परिसंपत्तियां, जो कंपनी की नहीं है, अचल परिसंपत्तियों में शामिल की जाती हैं।

iii. विशेष भू–अर्जन अधिकरी (एसएलएओ)/पट्टे के माध्यम से अधिग्रहित भूमि के संबंध में वे भू–भाग पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं/प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हैं। ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहित किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी प्रदान की क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी भूमि से बेदखल किए गये व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी व्यय को लागत में शामिल नहीं किया जाता। पट्टे पर मिली जमीन को भुगतान की गयी पट्टे की राशि के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

iv. उस मामले में, जहां ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान करना बाकी है, लेकिन परिसंपत्तियां पूर्ण हैं और उपयोग के लिए तैयार हैं, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

v. कंपनी द्वारा स्वामित्व में न ली गयी परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय को पूरा होने की अवधि तक चालू पूंजीगत कार्यों में विशिष्ट मद के तौर पर दर्शाया जाता है और बाद में उसे अचल संपत्तियों में शामिल कर लिया जाता है।

5. चल रहा पूंजीगत कार्य

i. पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों हेतु क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास, नई टाउनशिप के निर्माण, वनीकरण पर लगाई गई राशि तथा पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रखरखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्चे) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना में इस्तेमाल के लिए भू–अधिग्रहण हेतु विशिष्ट पूर्व शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पूंजीगत कार्य में अग्रेनीत किया जाता है। परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन के शुरू हो जाने पर से भू–अवर्गीकृत में पूंजीकृत किया जाएगा।

ii. जमा निर्माण कार्य अभिकरणों से प्राप्त विवरणों के आधार पर जमा निर्माण कार्यों को हिसाब में लिया जाता है।

iii. आपूर्ति और उत्थापन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर मिली आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

iv. ठेकों के मामले में मूल्य परिवर्तन के लिए दावों को स्वीकार कर लिए जाने पर हिसाब में शामिल किया जाता है।

v. कारपोरेट कार्यालय के प्रशासन एवं सामान्य शिरोपरि खर्चों/सेवा केन्द्रों के व्यय को अचल संपत्ति के निर्माण में डाल दिया जाता है और नियमबद्ध आधार पर इन्हें निर्माण परियोजनाओं को आबंटित कर दिया जाता है।

कारपोरेट कार्यालय/सेवा केन्द्रों के प्रशासन और सामान्य शिरोपरि खर्चों सहित वर्ष के दौरान निर्माण व्यय (निवल) को चल रहे पूंजी कार्य में जोड़ लिया जाता है और जब तक वे इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं हो जाते तब तक उन्हें परिसंपत्तियों की लागत में शामिल कर लिया जाता है।

vi. परियोजना के पुनर्वास कार्यों के संबंध में निर्माण कार्य के दौरान प्रासंगिक व्यय को अग्रेनीत कर नीति संख्या–5 (i) के अनुसार आबंटित किया जाता है।

6. ऋण लागत

i. विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा निर्माण से सीधी जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

ii. सामान्यतः उधार ली गयी निधियों एवं जिन्हें अर्हता प्राप्त परिसंपत्ति लेने के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है, की ऋण लागत जो विशिष्ट अचल परिसंपत्तियों से सीधे जुड़ी न हो, को उनके निर्माण के दौरान पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी ऋण लागतों को वर्ष के लिए चालू पूंजीकृत कार्य के औसत शेष के अनुसार विभाजित किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उनके व्यय होने की अवधि में खर्चों के रूप में माना जाता है।

7. विदेशी मुद्रा लेन–देन

i. विदेशी मुद्रा में किए गए सौदों का हिसाब–किताब उस दिन की दरों पर किया जाता है, जिस दिन सौदा किया गया।

ii. तुलन–पत्र की तारीख पर विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मदें उस तारीख को बन्द दर पर प्रयोग की जाती हैं। गैर मुद्रा मदों का हिसाब–किताब उस विदेशी मुद्रा दर पर किया जाता है जो सौदे की तारीख पर थी।

iii. 01.04.2004 से पहले किए गये लेन–देन से उत्पन्न ऋणों/जमा राशियों/अचल परिसंपत्तियों से संबंधित देय राशियों/प्रगति पर पूंजीगत कार्यों में विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/समायोजित किया जाता है। तथापि 01.04.2004 को या बाद में किए गए लेन–देन से उत्पन्न विनिमय दरों को एएस–11 (संशोधित 2003) 'विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव' के अनुसार लेखाबद्ध किया जाएगा।

iv. अन्य विनिमय अंतर दरों को उस अवधि के दौरान, जिनमें यह उत्पन्न होते हैं, आय एवं व्यय के तौर पर मान्यता दी जाती है।

8. मूल्यह्रास

i. मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। जिन परिसंपत्तियों के बारे में सीईआरसी ने अधिसूचित नहीं किया है, उनमें मूल्यह्रास का कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित दरों के अंतर्गत सीधी रेखा विधि से प्रावधान किया जाता है।

विनिमय दरों में घट–बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बढ़ी देनदारी के लिए परिसंपत्ति की लागत में बढ़ोत्तरी के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

ii. ₹1500/– तक की लागत वाली सामाग्रियां जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उनको राजस्व से प्रभारित जाता है।

iii. ₹1500/– से अधिक पर ₹ 5000/– तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

iv. मूल्यह्रास परिसंपत्तियों को 'उपयोग के लिए तैयार' होने की तिथि से प्रभारित किया जाता है।

v. लीज होल्ड जमीन की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

vi. कंपनी द्वारा स्वामित्व में न ली गयी परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय को वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के पांच वर्षों की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है तथा इसके बाद उस वर्ष से, जिसमें संबंधित परिसंपत्ति पूरी हो गई हो तथा प्रयोग के लिए उपलब्ध हो गयी हो, परिशोधित की जाती है।

vii. कोटेश्वर हाइड्रो–इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट की डाइवर्जन सुरंग के मामले में मूल्यह्रास सुरंग की अनुमानित उपयोगिता जीवन पर सीधी रेखा विधि से प्रभारित किया जाता है।

viii. कम्प्यूटर साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग की विधिक अधिकार की अवधि या पांच वर्ष जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है।

मशीनों के कल–पुर्जों जिनका प्रयोग अचल परिसंपत्ति के मामले में अनियमित रूप से किया जाना अपेक्षित हो, को पूंजीकृत किया गया है तथा संबंधित संयंत्र और मशीनरी की बाकी उपयोगिता अवधि के दौरान मूल्यह्रासित किया गया है।

9. भंडार तथा अतिरिक्त कल–पुर्जे

i. भंडारों तथा अतिरिक्त पुर्जों को भारित औसत आधार पर निर्धारित लागत पर लिया जाता है।

ii. अप्रचलित तथा अप्रयोज्य सामग्री तथा कल–पुर्जों के मूल्य में गिरावट समीक्षा के बाद निर्धारित की जाती है और उनके लिए मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

10. आय तथा व्यय

आय को मान्यता

i. ऊर्जा बिक्री का हिसाब केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम प्रशुल्क के अनुसार रखा जाता है। उस विद्युत केन्द्र के मामले में, जहां अंतिम टैरिफ अधिसूचित नहीं की गयी है, राजस्व की मान्यता समुचित प्राधिकरण अर्थात सीईआरसी द्वारा बनाए गये लागू विनियमों में दी गयी विधि और मापदंडों के आधार पर की जाती है। राजस्व की स्वीकृति सीईआरसी 'वार्षिक नियत प्रभारों' की अधिसूचना लंबित होने तक वसूली के लिए अपनायी गयी अनंतिम दर पर निर्भर नहीं होगी। विदेशी मुद्रा वाले ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विचलन के प्रति वसूली/वापसी तथा आयकर के प्रति वसूली का हिसाब वर्ष–दर–वर्ष आधार पर रखा जाता है।

ii. प्रोत्साहन/गैर प्रोत्साहन राशि का हिसाब केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित लागू मानदंडों या लाभर्थियों के साथ हुए करारों के आधार पर रखा जाता है। जिन विद्युत केंद्रों के मामले में इसे अधिसूचित/अनुमोदित नहीं किया गया है/ लाभार्थियों के साथ करार नहीं किया गया है, उनके लिए प्रोत्साहन/गैर प्रोत्साहन राशियों का हिसाब अंनंतिम आधार पर रखा जाता है।

iii. ऊर्जा बिक्री के लिए विविध लेनदारों से वसूल किए जाने वाले अधिभार को वसूली किए जाने की अनिश्चितता के कारण प्रोद्भूत नहीं माना जाता तथा इसकी पावती/पावती आधार के सुनिश्चित होने पर हिसाब में शामिल किया जाता है।

iv. ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को दिए गये अग्रिमों पर मिले ब्याज को संबंधित चालू पूंजीगत कार्य के खाते में क्रेडिट कर संबंधित परिसंपत्ति के निर्माण पर लगी लागत में से घटा दिया जाता है।

v. कबाड़ के मूल्य का हिसाब उसकी बिक्री के समय रखा जाता है।

vi. बीमाकर्ता द्वारा सुनिश्चित वसूली के लिए बीमा दावों की प्राप्ति/स्वीकृति का हिसाब वर्ष में रखा जाता है।

vii. परामर्शी कार्य से प्राप्त आय का हिसाब निष्पादित कार्य की वास्तविक प्रगति/तकनीकी मूल्यांकन आधार पर या संबंधित परामर्शी अनुबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाने वाली लागत के आधार पर किया जाता है।

व्यय

viii. मरम्मत और अनुरक्षण के काम में इस्तेमाल की गयी सामग्री और कल–पुर्जों की लागत मरम्मत एवं अनुरक्षण खाते में डाली जाती है।

ix. प्रत्येक मामले में ₹10000/– या उससे कम की मदों के पहले दिए गये खर्च या पूर्वाधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

x. वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले हुई शुद्ध आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत सीधे समायोजित किया जाता है।

xi. संभाव्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए उद्ग्रहित खर्चे राजस्व से प्रभारित किए जाते हैं।

xii. पूर्ववर्ती वर्ष के कर से पूर्व निवल लाभ का विर्निदिष्ट प्रतिशत अलग रख दिया जाता है ताकि निगम की सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए अनावर्ती व्यय के लिए ऐसी निधि सृजित की जा सके जो व्यपगत न की जा सके। खर्च न की गई राशि आगे बढ़ा दी जाती है।

11. कर्मचारियों के लाभ

i. कर्मचारियों को सेवानिवृति लाभों एवं अवकाश नगदीकरण तथा सेवानिवृति के बाद के चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत, बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मोमेन्टो, मृत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार खर्च के लिए देनदारी का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर वर्ष के अंत में निर्धारित वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

ii. कंपनी ने भविष्य निधि के प्रशासन के लिए अलग से एक ट्रस्ट स्थापित किया है और इस फण्ड में कंपनी के अंशदान को हर साल व्यय से प्रभारित किया जाता है। निवेशों में ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देनदारी निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

12. विविध व्यय

31.03.2004 तक आस्थगित राजस्व व्यय को व्यय किए गए वर्ष से 10 वर्षों की अवधि के दौरान बट्टे खाते में डाल दिया गया है। हालांकि, बाद में उसे व्यय वाले वर्ष में पूरी तरह प्रभारित किया जा रहा है।

13. आय पर कर

चालू अवधि के लिए आय पर लगने वाले कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आधार पर किया जाता है। आस्थगित कर को आय का हिसाब लगाने और वर्ष की कर योग्य आय जोड़ने के बीच समय में अंतर से मान्यता दी जाती है और कर की दरों और तुलन–पत्र की तारीख तक पारित किये गये कानूनों के आधार पर होता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस युक्तिसंगत निश्चितता के साथ मान्यता दी जाती है और अग्रेनीत किया जाता है कि भविष्य में ऐसी कर योग्य आय उपलब्ध हो जाएगी जिसमें से इन आस्थगित कर संपत्तियों की वसूली संभव हो सकेगी। आस्थगित कर वसूली समायोजन खाते उस हद तक करों के रूप में होने वाले खर्चों में जोड़े/घटाएं जाते हैं जिस हद तक उन्हें भविष्य में लाभार्थियों से वास्तविक अदायगी आधार पर प्रभारित किया जा सकता है।

14. नगदी प्रवाह विवरण

नगद प्रवाह विवरण लेखाकरण मानक (एएस)–3 के नगदी प्रवाह विवरण से संबंधित निर्धारित परोक्ष तरीके से तैयार किया जाता है।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

तुलन–पत्र 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 की स्थिति		31 मार्च, 2010 की स्थिति	
निधियों के स्रोत					
शेयर धारक निधियां	1				
क) शेयर पूंजी		3,29,75,817		3,29,75,817	
ख) आबंटन के लिए लंबित शेयर पूंजी अंशदान		0	3,29,75,817	0	3,29,75,817
आरक्षित एवं अधिशेष	2		2,47,53,030		2,15,29,823
आस्थगित राजस्व–मूल्यह्रास के विरूद्ध अग्रिम के कारण	3		28,33,089		28,33,089
ऋण निधियां	4				
प्रतिभूति ऋण		4,60,19,444		4,52,60,173	
अप्रतिभूति ऋण		28,86,468	4,89,05,912	8,17,326	4,60,77,499
योग			**10,94,67,848**		**10,34,16,228**
निधियों का प्रयोग					
अचल पूंजी व्यय					
अचल परिसंपत्तियां	5				
सकल ब्लॉक		10,42,83,349		8,52,27,799	
घटाएं : मूल्यह्रास		1,32,85,661		97,70,864	
निवल ब्लॉक			9,09,97,688		7,54,56,935
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	6		83,47,135		2,05,33,633
निर्माण भण्डार तथा पूंजीगत अग्रिम	7		26,82,613		25,38,094
निवेश			0		0
आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)		19,60,546		13,81,563	
घटाएं :– वापसी योग्य		6,31,296	13,29,250	6,31,296	7,50,267
चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम					
वस्तु सूचियां	8	1,76,814		1,70,206	
फुटकर लेनदार	9	1,11,49,513		75,76,681	
नगद एवं बैंक अधिशेष	10	5,24,392		2,30,870	
अन्य चालू परिसंपत्तियां	11	15,424		16,188	
ऋण तथा अग्रिम	12	13,01,896		12,99,989	
(क)		**1,31,68,039**		**92,93,934**	

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 की स्थिति		31 मार्च, 2010 की स्थिति	
घटाएं : चालू देनदारियां तथा प्रावधान					
चालू देनदारियां	13	35,43,295		14,80,365	
प्रावधान	14	35,15,866		36,79,870	
(ख)		**70,59,161**		**51,60,235**	
निवल चालू परिसंपत्तियां (क)–(ख)			61,08,878		41,33,699
विविध व्यय	15		2,284		3,600
(जिस सीमा तक बट्टे खाते नहीं डाला गया या समायोजित नहीं किया गया)					
लेखों पर टिप्पणियां	27				
योग			**10,94,67,848**		**10,34,16,228**

अनुसूचियां 1 से 27 तथा महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण लेखों के अभिन्न अंग हैं।

(एस. क्यू. अहमद)	(सी. पी. सिंह)	(आर. एस. टी. शाई)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एचडीएसजी एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

(हरबीर सिंह गुलाटी)
भागीदार
सदस्यता संख्या–84072

दिनांक : 31 अगस्त, 2011
स्थान : नई दिल्ली

01 अप्रैल 2010 से 31 मार्च, 2011 तक की अवधि के लिए लाभ हानि लेखा

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
आय					
विद्युत बिक्री	16		1,67,00,417		1,41,67,032
अन्य आय	17		61,019		72,034
परामर्श–कार्य से आय	18		1,31,276		
कुल आय–क			**1,68,92,712**		**1,42,39,066**
व्यय					
कर्मचारियों का पारश्रमिक एवं लाभ	19		15,05,262		7,75,349
उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य खर्च	20		10,55,247		8,80,358
ब्याज तथा वित्त पोषण प्रभार	21		39,13,302		41,83,911
मूल्यह्रास	5		34,95,155		34,58,339
प्रावधान	22		7,905		22,107
परामर्श–कार्य पर व्यय	25		1,43,922		
कुल व्यय–ख			**1,01,20,793**		**93,20,064**
कर से पूर्व लाभ तथा पूर्वावधि समायोजन (क–ख)			**67,71,919**		**49,19,002**
घटाएं :					
पूर्वावधि आय/व्यय–(शुद्ध)	23		(20,085)		12,393
कराधान से पूर्व शुद्ध लाभ			**67,92,004**		**49,06,609**
कराधान के लिए प्रावधान	**24**				
आयकर		13,63,120		8,55,572	
सम्पत्ति कर		3,080	13,66,200	1,792	8,57,364
आस्थगित कर		(5,78,983)		(7,50,267)	
घटाएं : वसूलनीय परिसंपत्ति		0	(5,78,983)	0	(7,50,267)
चालू वर्ष के कर के बाद लाभ			**60,04,787**		**47,99,512**
लाभ तथा हानि लेखा में आधिक्य को आगे ले जाया गया			84,78,464		53,75,380
विनियोजन के लिए उपलब्ध शेष			**1,44,83,251**		**1,01,74,892**
लाभांश					
अंतरिम लाभांश		12,50,000		6,00,000	
प्रस्तावित लाभांश		5,60,000	18,10,00	8,50,000	14,50,000
लाभांश पर कर					
लाभांश वितरण कर–अंतरिम		2,07,609		1,01,970	
लाभांश वितरण कर–प्रस्तावित		93,009	3,00,618	1,44,458	2,46,428
तुलन–पत्र में अग्रेनीत शेष			**1,23,72,633**		**84,78,464**

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
निर्माण के दौरान व्यय	**26**				
प्रति शेयर अर्जन (1000 रू. का प्रत्येक इक्विटी शेयर)					
मूल (रू.)			182.10		145.55
कम किया हुआ (रू.)			182.10		145.55

1 से 27 तक की अनुसूचियों तथा महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण लेखाओं के अभिन्न अंग हैं।

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव

(सी. पी. सिंह)
निदेशक (वित्त)

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एचडीएसजी एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

(हरबीर सिंह गुलाटी)
भागीदार
सदस्यता संख्या–84072

दिनांक : 31 अगस्त, 2011
स्थान : नई दिल्ली

अनुसूचियां – लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 1

शेयर पूंजी

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 की स्थिति		31 मार्च, 2010 की स्थिति	
प्राधिकृत पूंजी					
₹ 1000/– प्रत्येक के 4,00,00,000 इक्विटी शेयर			4,00,00,000		4,00,00,000
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी			3,29,75,817		3,29,75,817
₹ 1000/– प्रत्येक के 32975817 पूर्णतः संदत्त इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 32975817)					
उपरोक्त शेयरों में से 7078600 शेयर (पिछले वर्ष 7078600) नगद से भिन्न विचार के लिए पूर्णतः प्रदत्त के रूप में आबंटित है।					
योग			**3,29,75,817**		**3,29,75,817**

अनुसूची : 2

आरक्षित एवं अधिशेष

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 की स्थिति		31 मार्च, 2010 की स्थिति	
आरक्षित पूंजी					
उ.प्र. सरकार से सिंचाई क्षेत्र के प्रति देय अंशदान		**1,44,13,380**		**1,44,13,380**	
घटाएं : बकाया अंशदान		1,542		1,542	
प्राप्त अंशदान		**1,44,11,838**		**1,44,11,838**	
घटाएं : मूल्यह्रास में समायोजन		20,78,634	1,23,33,204	14,03,603	1,30,08,235
अन्य आरक्षित पूंजी					
विश्व बैंक से पीएचआरडी अनुदान (वीपीएचईपी परियोजनाओं के लिए)			47,193		43,124
लाभ एवं हानि लेखा में आधिक्य शेष			1,23,72,633		84,78,464
योग			**2,47,53,030**		**2,15,29,823**

अनुसूची : 3

मूल्यह्रास के विरूद्ध अग्रिम के कारण आस्थगित राजस्व

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 की स्थिति		31 मार्च, 2010 की स्थिति	
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार वर्ष के		28,33,089		24,41,592	
दौरान आस्थगित राजस्व		0		3,91,497	
घटाएं: वर्ष के दौरान मान्य राजस्व		0	28,33,089	0	28,33,089
योग			**28,33,089**		**28,33,089**

अनुसूची : 4

ऋण निधियां

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 की स्थिति		31 मार्च, 2010 की स्थिति	
प्रतिभूति ऋण*					
दीर्घावधि ऋण					
वित्तीय संस्थाओं से ऋण			4,49,77,777		4,37,22,586
बैंकों में जमा नकद राशि			0		15,37,587
अल्पकालिक ऋण					
बैंकों से ऋण			10,41,667		0
उप जोड़			**4,60,19,444**		**4,52,60,173**
अप्रतिभूति ऋण					
बैंकों से अल्पकालिक ऋण			22,50,000		0
विदेशी मुद्रा ऋण					
(भारत सरकार द्वारा गारंटी शुदा)					
वित्तीय संस्था–केएफडब्ल्यू जर्मनी से सावधि ऋण @			6,36,468		8,17,326
उप जोड़			**28,86,468**		**8,17,326**
कुल योग			**4,89,05,912**		**4,60,77,499**
अगले एक वर्ष के भीतर भुगतान के लिए देय ऋण			71,73,632		38,77,640

***प्रतिभूति ऋण में निम्नलिखित शामिल हैं :–**

i) टिहरी चरण–I की परिसंपत्तियों अर्थात बांध, पावर हाउस, सिविल निर्माण, पावर हाउस विद्युतीय एवं अभियांत्रिकीय उपकरणों पर परस्पर आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित ₹ 2860.65 करोड़ दीर्घावधि ऋण एवं ₹ 104.16 करोड़ के लघु अवधि ऋण जो अन्य उधारियों में शामिल नहीं होते हैं तथा टिहरी बांध एवं एचपीपी की परियोजना टाउनशिप में ऋण के सभी अधिकार ताकि उन पर लगे ब्याज शामिल नहीं होते हैं।

ii) कोटेश्वर परियोजना के लिए ₹1637.13 करोड़ कोटेश्वर एचईपी की परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार से सुरक्षित हैं

***अप्रतिभूति ऋण :–**

i) $ रूक्का (प्रामिजरी नोट) जारी कर ₹ 225 करोड़ का ऋण लिया गया।

ii) @ समरूप संबंधित ऋण श्रेणी के अंतर्गत वित्त पोषित उपकरणों पर ऋणात्मक ग्रहणाधिकार के साथ।

अनुसूची : 5

अचल परिसंपत्तियां

राशि ₹ हजार में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2010 की स्थिति	1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 के बीच संवर्धन	1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 के बीच बिक्री /समायोजन	31 मार्च 2011 की स्थिति	1 अप्रैल 2010 की स्थिति	1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 के बीच की अवधि के लिए	1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 के बीच समायोजन	31 मार्च 2011 की स्थिति	31 मार्च 2011 की स्थिति	31 मार्च 2010 की स्थिति
1. फ्री होल्ड भूमि	1,88,665	27,804	(294)	2,16,175	–	–	–	–	2,16,175	1,88,665
2. लीज होल्ड भूमि	26,319	–	(1,866)	24,453	2,789	878	(1,866)	1,801	22,652	23,530
3. अवर्गीकृत भूमि	1,31,32,272	7,27,746	–	1,38,60,018	12,78,846	4,45,191	–	17,24,037	1,21,35,981	1,18,53,426
4. भवन	11,13,840	53,14,426	(47,153)	63,81,113	1,32,400	47,829	(40,258)	1,39,971	62,41,142	9,81,440
5. भवन अस्थायी ढांचे	40,389	19,757	(8,676)	51,470	40,389	19,672	(8,676)	51,385	85	–
6. सड़क, पुल तथा पुलिया	3,87,246	1,64,794	(24,008)	5,28,032	36,081	18,494	(23,882)	30,693	4,97,339	3,51,165
7. जल निकासी, मल निकासी व्यवस्था तथा जलापूर्ति	1,37,464	9,575	(22,400)	1,24,639	30,515	6,450	(21,146)	15,819	1,08,820	1,06,949
8. निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी	1,66,692	10,186	(31,964)	1,44,914	1,24,917	4,346	(31,955)	97,308	47,606	41,775
9. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	1,58,12,925	35,58,074	(63,655)	1,93,07,344	18,18,025	8,35,609	3,298	26,56,932	1,66,50,412	1,39,94,900
10. ई.डी.पी. मशीनें	83,620	43,762	(9,847)	1,17,535	50,578	12,482	(8,645)	54,415	63,120	33,042
11. विद्युत संस्थापनाएं	74,871	6,258	(15,185)	65,944	16,176	4,185	(15,008)	5,353	60,591	58,695
12. पारेषण लाइनें	1,35,398	20,346	(12,616)	1,43,128	27,398	7,959	(10,790)	24,567	1,18,561	1,08,000
13. कार्यालय तथा अन्य उपकरण	2,51,007	90,076	(15,161)	3,25,922	72,927	19,018	(12,342)	79,603	2,46,319	1,78,080
14. फर्नीचर तथ फिक्सचर	93,739	50,579	(8,062)	1,36,236	30,569	7,801	(7,740)	30,630	1,05,606	63,170
15. वाहन	88,345	1,575	(19,955)	69,965	54,157	4,215	(19,805)	38,567	31,398	34,188
16. रेलवे साइडिंग	12,189	–	–	12,189	801	408	–	1,209	10,980	11,388
17. अमूर्त आस्तियां–साफ्टवेयर	20,133	6,850	(290)	26,693	10,567	3,510	(289)	13,788	12,905	9,566
18. हाइड्रोलिक कार्य–बांध एवं स्पिलवे	4,00,74,878	93,48,073	(78,633)	4,93,44,318	39,03,119	21,11,981	(5,923)	60,09,177	4,33,35,141	3,61,71,759
19. हाइड्रोलिक कार्य–टनल, पेनस्टॉक, कैनाल्स इत्यादि	1,31,34,396	5,64,017	(5,74,439)	1,31,23,974	19,80,058	6,97,104	(5,73,734)	21,03,428	1,10,20,546	1,11,54,338
20. निवल बही मूल्य या निवल वसूलनीय मूल्य, जो कम हो, में अप्रयोज्यनीय/अप्रचलित आस्तियां	16,462	90	1,200	17,752	–	–	–	–	17,752	16,462
21. आस्तियों पर पूंजीगत व्यय, जो कम्पनी के स्वामित्व में नहीं हैं।	2,36,949	24,586	–	2,61,535	1,60,552	46,426	–	2,06,978	54,557	76,397
योग	**8,52,27,799**	**1,99,88,574**	**(9,33,024)**	**10,42,83,349**	**97,70,864**	**42,93,556**	**(7,76,761)**	**1,32,85,661**	**9,09,97,688**	**7,54,56,935**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**8,44,58,659**	**10,99,656**	**(3,30,516)**	**8,52,27,799**	**54,97,339**	**42,94,555**	**(21,030)**	**97,70,864**	**7,54,56,935**	**7,89,61,320**

मूल्य ह्रास का ब्यौरा	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
ई.डी.सी को हस्तांरित मूल्यह्रास	1,22,359	1,28,449
लाभ हानि लेखा को हस्तांरित मूल्यह्रास	34,95,155	34,58,339
उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान–आरक्षित पूंजी में मूल्यह्रास समायोजन	6,75,031	7,07,767
परामर्शी सेवाओं को हस्तांतरित मूल्यह्रास	1,013	
	42,93,558	**42,94,555**
वर्ष के दौरान ₹1500.00 से अधिक परंतु ₹ 5000.00 से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उनका मूल्यह्रास किया गया	3,447	3,296

अनुसूची : 6

पूंजीगत कार्य प्रगति पर

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 की स्थिति		31 मार्च, 2010 की स्थिति	
निर्माण कार्य प्रगति पर					
– भवन एवं अन्य सिविल कार्य		3,53,188		3,84,514	
– सड़क, पुल तथा पुलिया		3,89,447		2,75,072	
– जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी		8,001		9,112	
– उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी		32,87,035		49,44,564	
– जलीय कार्य, बांध, स्पिलवे, जल मार्ग, वियर्स, सर्विस द्वार तथा अन्य जलीय कार्य		35,96,729		1,37,55,078	
– जलागम क्षेत्र वनीकरण		750		80,025	
– विद्युत संस्थापना तथा उपकेन्द्र उपकरण		27,869		30,898	
– अमूर्त आस्तियां–साफ्टवेयर		0		0	
– परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय जो कम्पनी के स्वामित्व में नहीं हैं।		0		23,853	
अन्य		27,117	76,90,136	8,381	1,95,11,497
उत्पादन संयंत्र एवं मार्गस्थ मशीनी			51,102		70,916
व्यय लम्बित आबंटन					
– सर्वेक्षण तथा विकास खर्च		4,53,860		5,18,664	
– निर्माण के दौरान व्यय	26	54,637	5,07,897	17,691	5,36,355
पुनर्वास					
– पुनर्वास खर्चे (सांकेतिक लागत तथा किराए की निवल वसूलियां)			98,000		4,14,865
योग			**83,47,135**		**2,05,33,633**

अनुसूची : 7

निर्माण भण्डार एवं पूंजीगत अग्रिम

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 की स्थिति		31 मार्च, 2010 की स्थिति	
निर्माण भण्डार (प्रबंधन द्वारा यथाप्रमाणित लागत पर)					
अन्य सिविल एवं भवन निर्माण सामग्री		3,013		6,725	
अन्य		29,698		39,008	
मार्गस्थ सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0		211	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		132		2,431	
		32,843		48,375	
घटाएं : स्टोर्स एवं स्पेयर्स के लिए प्रावधान		0	32,843	25,246	23,129
पूंजीगत अग्रिम					
पूंजीगत व्यय के लिए					
अप्रतिभूति					
(i) बैंक गारंटी के बाबत		1,00,309		1,46,339	
(ii) पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (उत्तराखण्ड सरकार एसएलएओ)		1,88,609		4,12,189	
(iii) अन्य		19,02,976		16,61,827	
(iv) अग्रिमों पर उपर्जित ब्याज		4,57,876		2,94,610	
		26,49,770		25,14,965	
घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान		0		0	
			26,49,770		25,14,965
योग			**26,82,613**		**25,38,094**
पूंजीगत अग्रिम					
शोध्य समझे गए (अप्रतिभूति)			26,49,770		25,14,965
संदिग्ध समझे गए तथा प्रावधन किए गए			0		0
कुल पूंजीगत अग्रिम			**26,49,770**		**25,14,965**

अनुसूची : 8

वस्तु सूची

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 की स्थिति		31 मार्च, 2010 की स्थिति	
(प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित लागत पर)					
अन्य सिविल एवं भवन निर्माण सामग्री		29,456		21,932	
अन्य		1,93,850		1,59,205	
मार्गस्थ सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0		367	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0		4,157	
		2,23,306		1,85,661	
घटाएं : वस्तु सूची के लिए प्रावधान		46,492	1,76,814	15,455	1,70,206
योग			**1,76,814**		**1,70,206**

अनुसूची : 9

विविध देनदार

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 की स्थिति		31 मार्च, 2010 की स्थिति	
छः माह से अधिक समय से बकाया ऋण					
असुरक्षित, शोध्य समझे गए		66,11,917		22,84,807	
संदिग्ध समझे गए		2,081	66,13,998	6,595	22,91,402
अन्य ऋण					
असुरक्षित, शोध्य समझे गए		45,37,596		52,91,874	
संदिग्ध समझे गए		0	45,37,596	0	52,91,874
घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			2,081		6,595
कुल			**1,11,49,513**		**75,76,681**

अनुसूची : 10

नगदी एवं बैंक शेष

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 की स्थिति		31 मार्च, 2010 की स्थिति	
नगदी एवं बैंक शेष					
विद्यमान नगद, चैक, डिमांड ड्राफ्ट तथा टिकटें			430		571
अनुसूचित बैंकों के पास शेष		5,23,962		2,30,299	
चालू खाता (अनुसूचित बैंकों में आटो–स्वीप, फ्लैक्सी किस्म की जमाराशियों सहित)			5,23,962		2,30,299
योग			**5,24,392**		**2,30,870**

अनुसूची : 11

अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 की स्थिति		31 मार्च, 2010 की स्थिति	
अन्य चालू परिसंपत्तियां					
उपार्जित ब्याज			195		60
पूर्व भुगतान खर्चे			15,229		16,128
योग			**15,424**		**16,188**

अनुसूची : 12

ऋण तथा अग्रिम

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 की स्थिति		31 मार्च, 2010 की स्थिति	
ऋण					
कर्मचारियों के लिए					
प्रतिभूति		2,49,090		2,57,077	
अप्रतिभूति		10,597	2,59,687	27,068	2,84,145
कर्मचारियों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
प्रतिभूति		1,73,200		1,50,161	
अप्रतिभूति		10,865	1,84,065	18,788	1,68,949
अन्य			2,423		0
			4,46,175		4,53,094
अग्रिम (नगद या वस्तुओं के रूप में वसूलनीय अग्रिम या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए)					
कर्मचारियों के लिए					
अप्रतिभूति		27,448		15,911	
क्रय के लिए		30,349		16,009	
अन्य के लिए		6,89,664	7,47,461	7,41,421	7,73,341
जमाराशियां					
प्रतिभूति जमा		22,288		19,798	
जमा किया गया कर		35,138		4,950	
सरकार/न्यायालय में जमा राशियां		51,234		50,177	
अन्य जमाराशियां		487	1,09,147	114	75,039
उप जोड़			**13,02,783**		**13,01,474**
घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			887		1,485
योग			**13,01,896**		**12,99,989**
टिप्पणी : निदेशकों से देय (वर्ष के दौरान अधिकतम देय राशि रू. 663458.00 (पिछले वर्ष 64932.00 रू.)}					
मूलधन			169		0
ब्याज			401		0
योग			**570**		**0**
टिप्पणी : अधिकारियों से देय (वर्ष के दौरान अधिकतम देय राशि रू. 859172.00 (पिछले वर्ष 915908.00रू.)}					
मूलधन			250		324
ब्याज			535		516
योग			**785**		**840**
ऋणों तथा अग्रिमों के विवरण					
शोध्य समझे गए					
ऋण तथा अग्रिम (प्रतिभूति)		4,22,290		4,07,238	
ऋण तथा अग्रिम (अप्रतिभूति)		8,79,606	13,01,896	8,92,751	12,99,989
संदिग्ध समझे गए तथा जिनके लिए प्रावधान किया गया			887		1,485
योग			**13,02,783**		**13,01,474**

अनुसूची : 13

चालू देनदारियां

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 की स्थिति		31 मार्च, 2010 की स्थिति	
विविध लेनदार					
पूंजीगत व्यय के लिए		9,80,826		4,14,714	
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए		0		0	
अन्यों के लिए		14,58,388	24,39,214	1,16,941	5,31,655
जमाराशियां, ठेकेदारों से प्रतिधारण राशि इत्यादि			2,66,464		1,39,852
उपार्जित ब्याज, लेकिन जो देय नहीं हैं					
वित्तीय संस्थाएं		7,22,701	7,22,701	7,30,961	7,30,961
अन्य देनदारियां			1,14,916		77,897
योग			**35,43,295**		**14,80,365**

अनुसूची : 14

प्रावधान

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 की स्थिति		31 मार्च, 2010 की स्थिति	
I निर्माण					
प्रारंभिक शेष		3,70,291		3,99,032	
वर्ष के दौरान वृद्धि		2,04,807		3,26,484	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित		(3,70,160)	2,04,938	(3,55,225)	3,70,291
II कर्मचारियों से संबंधित					
प्रारंभिक शेष		19,93,684		16,68,374	
वर्ष के दौरान वृद्धि		5,13,680		4,35,811	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित		(2,31,990)	22,75,374	(1,10,501)	19,93,684
III प्रस्तावित लाभांश					
प्रारंभिक शेष		8,50,000		2,80,000	
वर्ष के दौरान वृद्धि		5,60,000		8,50,000	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित		(8,50,000)	5,60,000	(2,80,000)	8,50,000
IV अंतरिम लाभांश पर कर					
प्रारंभिक शेष		0		0	
वर्ष के दौरान वृद्धि		2,07,609		1,01,970	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित		0	2,07,609	(1,01,970)	0
V प्रस्तावित लाभांश पर कर					
प्रारंभिक शेष		1,44,458		47,586	
वर्ष के दौरान वृद्धि		93,009		1,44,458	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित		(1,44,458)	93,009	(47,586)	1,44,458
VI अन्य					
प्रारंभिक शेष		3,21,437		41,746	
वर्ष के दौरान वृद्धि		14,48,862		3,68,919	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित		(15,95,363)	1,74,936	(89,228)	3,21,437
योग			**35,15,866**		**36,79,870**

अनुसूची : 15

विविध व्यय (जिस सीमा तक बट्टे खाते में न डाला गया हो या समायोजित न किया गया हो)

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 की स्थिति		31 मार्च, 2010 की स्थिति	
आस्थगित राजस्व व्यय		2,195		3,415	
कमी लंबित छानबीन		89	2,284	815	3,600
योग			**2,284**		**3,600**

अनुसूची : 16

विद्युत बिक्री

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
विद्युत बिक्री		1,65,50,886		1,43,29,193	
घटाएं :–					
मूल्यह्रास के लिए अग्रिम–आस्थगित		0	1,65,50,886	3,91,497	1,39,37,696
लाभार्थियों से एफईआरवी वसूली			14,484		47,550
यू.आई./संकुचन प्रभार			1,35,047		1,81,786
योग			**1,67,00,417**		**1,41,67,032**

अनुसूची : 17

अन्य आय

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
ब्याज					
बैंक जमाराशि पर (इसमें टीडीएस 48420.00रू. शामिल है, (पिछले वर्ष 90495.00रू.)		5,722		5,660	
कर्मचारियों से		22,336		23,229	
अन्य से		916	28,974	3,028	31,917
मशीन किराए पर लेने पर प्रभार			9,820		373
किराया प्राप्तियां			5,561		2,946
फुटकर प्राप्तियां			21,117		16,729
प्रावधान की गई अधिक राशि को हटाना			1,879		321
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ			23,322		36,278
विलम्ब भुगतान अधिभार			2,347		6,247
योग			**93,020**		**94,811**
घटाएं :					
ईडीसी अनुसूची को अंतरित	26		31,350		22,777
परामर्शी सेवाओं को अंतरित	18		651		
योग			**61,019**		**72,034**

अनुसूची : 18

परामर्शी कार्यों से आय

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
परामर्शी कार्य से आय			1,30,625		0
अन्य आय	17		651		
योग			**1,31,276**		**0**

अनुसूची : 19

कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं लाभ

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
वेतन, मजदूरी, भत्ते एवं लाभ			25,23,689		13,87,012
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान			5,19,251		1,68,500
उपदान			77,810		1,50,978
कल्याण			36,883		27,651
योग			**31,57,633**		**17,34,141**
घटाएं :					
ईडीसी अनुसूची को अंतरित	26		16,05,262		9,58,792
परामर्शी सेवाओं को अंतरित	25		47,109		
योग			**15,05,262**		**7,75,349**

अनुसूची : 20

उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
किराया, दर एवं कर					
कार्यालय किराया		18,654		14,849	
कर्मचारी आवास किराया		59,806		26,537	
दर एवं कर		36,860	1,15,320	13,670	55,056
विद्युत एवं ईंधन			1,30,307		97,457
बीमा			37,559		39,039
संचार			23,910		16,701
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		2,08,104		83,672	
भवन		84,322		85,941	
अन्य		3,30,847	6,23,273	1,35,030	3,04,643
यात्रा एवं वाहन			88,814		92,959
वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन			1,04,223		79,074
सुरक्षा			1,37,510		1,23,718

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
प्रचार तथा जनसंपर्क			30,533		30,913
अन्य सामान्य व्यय			2,22,050		1,69,623
परिसंपत्तियों पर हानि			2,715		1,27,245
संर्वेक्षण एवं अन्वेषण खर्चे			59,576		30,636
परामर्शी परियोजना/अनुबंधों पर व्यय			80,246		0
बट्टे खाते में डाले गए आस्थगित राजस्व व्यय			1,220		1,219
निगम की सामाजिक गतिविधियों पर व्यय			98,132		1,26,030
योग			**17,55,388**		**12,94,313**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	26		6,04,341		4,13,955
परामर्शी सेवाओं को अंतरित	25		95,800		
योग			**10,55,247**		**8,80,358**

अनुसूची : 21

ब्याज एवं वित्त–पोषण प्रभार

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
ऋणों पर ब्याज			53,28,582		50,70,875
ग्राहकों को छूट			1,33,638		1,14,701
योग			**54,62,220**		**51,85,576**
घटाएं :					
अंतरित तथा सीडब्ल्यूआईपी लेखा के साथ पूंजीकृत			15,48,918		10,01,665
योग			**39,13,302**		**41,83,911**

अनुसूची : 22

प्रावधान

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
अशोध्य ऋणों, ब्याजों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान			2,114		6,652
भण्डारों तथा कल–पूर्जों के लिए प्रावधान			5,791		15,455
योग			**7,905**		**22,107**
घटाएं :					
ईडीसी अनुसूची को अंतरित	26		0		0
परामर्शी सेवाओं को अंतरित	25		0		
योग			**7,905**		**22,107**

अनुसूची : 23

पूर्वावधि आय/व्यय–(शुद्ध)

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
आय					
अन्य		1,15,258		2,945	
विविध प्राप्ति		0	1,15,258	0	2945
व्यय					
कार्मिक व्यय		(6,417)		1,282	
विद्युत एवं ईंधन		0		886	
मरम्मत एवं अनुरक्षण		9,621		0	
अन्य सामान्य व्यय		70,254		414	
मूल्यह्रास		(2,655)		617	
सुरक्षा		0		17,667	
किराया दर और कर		25,030		55	
विविध – अन्य		0	95,833	917	21,838
योग			**(19,425)**		**18,893**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	26		660		6,500
योग			**(20,085)**		**12,393**

अनुसूची : 24

कराधान के लिए प्रावधान

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
आयकर					
चालू वर्ष			13,63,120		8,55,572
योग			**13,63,120**		**8,55,572**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	26		0		0
योग			**13,63,120**		**8,55,572**
संपत्ति कर					
चालू वर्ष			5,036		3,879
योग			**5,038**		**3,879**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	26		1,958		2,087
योग			**3,080**		**1,792**

अनुसूची : 25

परामर्शी सेवाएं

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
कर्मचारियों को पारिश्रमिक एवं लाभ	19		47,109		
प्रशासन एवं अन्य खर्चे	20		95,800		
ब्याज ओर वित्तीय प्रभार	21		0		
मूल्यह्रास	5		1,013		
प्रावधान	22		0		
योग			**1,43,922**		

अनुसूची : 26

निर्माण के दौरान व्यय

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
व्यय					
कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं लाभ	**19**				
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ		12,76028		7,80,618	
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान		2,67,389		86,495	
उपदान		44,391		76,897	
कल्याण		17,454	16,05,262	14,782	9,58,792
प्रशासन तथा अन्य व्यय	**20**				
किराया, दर एवं कर					
कार्यालय किराया		15,195		13,396	
कर्मचारी आवास किराया		37,935		19,489	
दर एवं कर		1,798	54,928	1,290	34,175
विद्युत एवं ईंधन			51,885		30,819
बीमा			1,160		1,169
संचार			15,095		9,796
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		1,059		396	
भवन		30,101		20,271	
अन्य		1,68,224	1,99,384	46,680	67,347
यात्रा एवं वाहन			51,860		63,048
वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन			56,430		43,771
सुरक्षा			42,714		37,787
प्रचार तथा जनसंपर्क			13,029		15,508
अन्य सामान्य व्यय			1,07,867		1,04,659
परिसंपत्तियों पर हानि			407		81

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
सर्वेक्षण और अन्वेषण व्यय			9,364		144
बट्टे खाते में डाले गए आस्थगित राजस्व व्यय			218		258
निगम की सामाजिक गतिविधियों पर व्यय			0		5,393
मूल्यह्रास	5		1,22,359		1,28,449
कुल व्यय (क)			**23,31,962**		**15,01,196**
प्राप्तियां					
अन्य आय	**17**				
ब्याज		2,577		3,432	
कर्मचारियों से		10,422		11,626	
अन्य		108	13,107	1,800	16,858
मशीन किराया प्रभार			8,628		215
किराया प्राप्तियां			3,756		1,994
फुटकर प्राप्तियां			3,845		3,270
प्रावधान की गई अधिक राशि को हटाना			823		73
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			1,191		367
कुल प्राप्तियां (ख)			**31,350**		**22,777**
पूर्वावधि समायोजन	**23**		**660**		**6,500**
कराधान से पूर्व शुद्ध व्यय			**23,01,272**		**14,84,919**
कराधान के लिए प्रावधान	**24**				
आय कर		0		0	
सम्पत्ति कर		1,958	1,958	2,087	2,087
कराधान सहित शुद्ध व्यय			**23,03,230**		**14,87,006**
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष			17,691		17,789
कुल ईडीसी			**23,20,921**		**15,04,795**
घटाएं :					
सीडब्ल्यूआईपी को आबंटित ईडीसी / परिसम्पत्ति			22,24,002		14,67,389
अनुमोदनाधीन परियोजना की ईडीसी लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित			42,282		19,715
सीडब्ल्यूआईपी को अग्रेषित शेष			**54,637**		**17,691**

अनुसूची – 27

लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. पूंजीगत खातों में निष्पादित किए जाने के लिए शेष बचे ठेकों की अनुमानित राशि तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिमों का निवल) ₹ 15854.17 लाख (गत वर्ष ₹ 21969.79 लाख) है।

2. आकस्मिक देयताएं

(लाख ₹ में)

		2010–11	2009–10
(i)	कंपनी के प्रति दावे, जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है : माध्यस्थम/अदालती मामले [(इसमें विभिन्न माध्यस्थम/श्रम अदालती मामलों में कंपनी के विरूद्ध डिक्री की गयी ₹ 233.04 लाख (विगत वर्ष ₹ 219.22 लाख) की राशि शामिल है, जिनमें कंपनी ने पैसे जमा किए लेकिन जो विवादित हैं और अपीलों के अंतर्गत हैं।)]	151706.23	124046.16
(ii)	विवादित आयकर, व्यापार कर, वाणिज्य कर, प्रवेश कर जिसमें कंपनी द्वारा जमा किए गए ₹ 250.42 लाख (गत वर्ष ₹ 254.96 लाख) शामिल हैं। कंपनी ने इनके बारे में अपील की हुई है।	777.36	746.46
(iii)	अन्य (ठेकेदारों के दावे आदि) कर्मचारियों/विस्थापितों तथा अन्यों के द्वारा दायर किए गए दावों/अदालती मामलों के संबंध में देनदारी की राशि, यदि कोई हो, सुनिश्चित नहीं की जा सकती।	6603.78	12977.95

3. कंपनी ने ₹899.17 लाख (गत वर्ष ₹739.28 लाख) की एफडीआर/सीडीआर, ईएमडी/ प्रतिभूति जमा के रूप में भी स्वीकार की है। इसके अलावा अनुसूची –13 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार ठेकेदारों से ₹2664.64 लाख (गत वर्ष ₹1398.52 लाख) "जमा, प्रतिधारण राशि" के रूप में रखा है।

4. कंपनी के पास विद्युत के विभिन्न लाभार्थियों से ₹2069.50 लाख (गत वर्ष ₹1907.38 लाख) की राशि भुगतान के लिए बैंक प्रतिभूति के तौर पर पक्के साख पत्र (एलसी) हैं।

5. नए टिहरी शहर में सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों को अतिरिक्त जगह उपलब्ध कराने के लिए ₹7800.00 लाख की रकम खर्च की गयी थी। यह राशि उत्तराखंड सरकार (जीओयूके) से वसूल की जानी है। भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार, उत्तराखंड सरकार की ओर से 2005–06 में पंजाब नेशनल बैंक से ₹7800.00 लाख के सावधि ऋण लिए गये। यह राशि ब्याज सहित टिहरी एईपी चरण – I से दी जाने वाली 12% निःशुल्क विद्युत के उनके हिस्से से वसूल की जानी है।

27.03.2009 को विद्युत मंत्रालय के सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में हुई बैठक में आपस में यह तय कर लिया गया कि टीएचडीसी द्वारा आवासीय/ गैर–आवासीय भवनों के रूप में उपलब्ध कराई गयी अतिरिक्त जगह के लिए उत्तराखंड सरकार ₹7800.00 लाख की प्रतिपूर्ति कर देगी जिसमें बांध के निर्माण में प्रयुक्त क्ले/शेल सामग्री पर की राशि टीएचडीसी द्वारा देय राशि में समायोजित कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त इस बात पर सहमति बनी कि पारस्परिक समझौता होने के कारण उत्तराखंड सरकार या टीएचडीसी एक दूसरे को देय राशि पर कोई ब्याज नहीं वसूलेंगे। तदनुसार उत्तराखंड सरकार से वसूली योग्य ₹1857.42 लाख का ब्याज समायोजित कर लिया गया है। आगे यह भी फैसला किया गया कि रॉयल्टी प्रभार की राशि टीएचडीसी द्वारा दी गयी वास्तविक मात्राओं के आधार पर निकाली जाएगी। रॉयल्टी की रकम का हिसाब कर लिया गया है और यह ₹3820.00 लाख बैठती है। डीएम के पास जमा ₹1900.00 लाख घटाने के बाद बाकी राशि ₹1920.00 लाख बनती है जिसे ₹7800.00 लाख में से समायोजित कर लिया गया है और बाकी ₹5880.00 लाख की राशि को अनुसूची–12 में उत्तराखंड सरकार से वसूली योग्य दर्शाया गया है। संयुक्त सचिव (हाइड्रो) की अध्यक्षता में दिनांक 11.05.2010 को आयोजित बैठक में इस मामले पर आगे विचार किया गया जहां उत्तराखंड की सरकार के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि धनराशि शीघ्र जारी करने के लिए राज्य के वित्त विभाग से उठाया जाएगा।

कंपनी ने नैनीताल उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके रॉयल्टी और ब्याज के रूप में वसूली जाने वाली ₹6448.58 लाख की वसूली पर स्थगन लगाने का अनुरोध किया है। लेकिन 27 मार्च, 2009 के ऊपर बताई गयी संयुक्त बैठक के बाद नैनीताल उच्च न्यायालय से याचिका वापस लेने के बारे में टिहरी के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) से संपर्क किया गया है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने अपने 25.5.2009, 21.07.2009 और 04.03.2010 के पत्रों के माध्यम से उत्तराखंड सरकार के मख्य सचिव से 27.3.2009 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है। उत्तराखंड की सरकार ने कार्यवृत्त के अनुसार कंपनी द्वारा दायर किए गए शपथ–पत्र पर आपत्ति नहीं

की है। इस मामले में माननीय नैनीताल उच्च न्यायालय का निर्णय अभी प्रतीक्षित है। हालांकि लेखा बहियों में आवश्यक समायोजन शामिल कर दिए गए हैं।

6. (i) वर्ष के लिए उधार ली गयी कुल निधियों पर ब्याज 51675.35 लाख रुपये (गत वर्ष ₹50114.46 लाख) बैठता है। उधार लागत की राशि के रूप में वर्ष के दौरान ₹15489.18 लाख (गत वर्ष ₹10016.65 लाख) पूंजीकृत की गयी थी। इससे पहले वर्ष के दौरान अधिशेष उधार की निधियों पर अल्पावधि जमा पर मिले ब्याज की ₹25.01 लाख (गत वर्ष ₹9.06 लाख) को समायोजित कर दिया गया था।

(ii) वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव राशि ₹213.36 लाख (गत वर्ष ₹963.89 लाख) को प्रगति पर पूंजीगत कार्यों / परिसंपत्तियों में समायोजित किया गया है।

7. (i) कोटेश्वर परियोजना में डायवर्जन सुरंग को 28 दिसम्बर, 2003 को पूंजीकृत किया गया था। पिछले वर्षों के दौरान डायवर्जन सुरंग के परिशोधन को सुरंग के अपेक्षित उपयोगी जीवन के ऊपर सीधी रेखा विधि से प्रभारित किया गया है। इसका उपयोग परियोजना की पहली यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन के बाद बन्द हो जाएगा। चूंकि कोटेश्वर परियोजना की पहली यूनिट का वाणिज्यिक प्रचालन 31 मार्च, 2011 को 24.00 बजे से शुरू हो गया है इसलिए 2010–11 के दौरान शेष अपरिशोधित राशि मूल्यह्रास में प्रभारित किया गया है।

(ii) कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की यूनिट – I और यूनिट – II मार्च, 2011 में साथ–साथ पूरी की गई हैं और कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की यूनिट–I 31.03.2011 को 24.00 बजे या 1.4.2011 को 0.00 बजे शुरू हो गया है, इसलिए कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की यूनिट – I अस्थिर ऊर्जा को समायोजित कर 31 मार्च, 2011 को पूंजी में परिणत की गई है। कोटेश्वर परियोजना में प्रयुक्त स्थिर परिसंपत्तियों का सकल ब्लाक 31.3.2011 को इन परिसंपत्तियों के डब्लूडीवी के बराबर घटा दिया गया है।

8. (i) प्रबंधन ने कार्यपालकों, पर्यवेक्षकों और कामगारों का वेतनमान 01.01.2007 से पुनरीक्षित कर दिया है और 26.11.2008 से कैफेटेरिया आधारित अनुलाभ की शुरूआत की है। साथ ही प्रबंधन ने वर्ष 2009–10 और 2010–11 के लिए निष्पादन से जुड़ा वेतन (पी आर पी) शुरू किया है। तद्नुसार पूर्व प्रावधान को समायोजित कर बही में देयता / प्रावधान दर्ज किया गया है।

(ii) कारपोरेट वार्षिक परिपत्र संख्या 05 / 2011 के अनुसार 01.01.2007 से अधिवर्षिता लाभ के लिए नियोक्ता का अंशदान कर्मचारियों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 30% होगा। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ग्रैच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधाओं में पेंशन और अंशदायी स्कीम शामिल होंगी। पेंशन स्कीम को अंतिम रूप देने में देरी होने के कारण मूल वेतन और महंगाई भत्ते का लगभग 10% पेंशन निधि में करने का प्रावधान बहियों में किया गया है।

9. कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने में देरी होने के कारण 114.218 एकड़ जमीन, जिसकी कीमत ₹70.18 लाख (गत वर्ष 114.218 एकड़ जिसका मूल्य ₹70.18 लाख थी) के हक विलेख अभी कंपनी के नाम से रजिस्टर किए जाने हैं।

10. (i) चालू पूंजीगत कार्य के अंतर्गत पुनर्वास खर्चों में कार्यों के निष्पादन / विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अधिग्रहीत की गयी 609.04 एकड़ (पिछले वर्ष 608.77 एकड़) जमीन की लागत के लिए ₹536.18 लाख (गत वर्ष ₹460.63 लाख) राशि शामिल है

इसके अलावा टिहरी एचपीपी चरण – I से संबंधित सीडब्ल्यूआईपी और ईडीसी के पुनर्वास के लिए ₹ 7277.46 लाख (गत वर्ष ₹3467.34 लाख) वर्ष 2010–11 के दौरान पूंजीकृत किए गये, जिसमें 754.245 एकड़ (गत वर्ष शून्य एकड़) जमीन के अधिग्रहण के लिए ₹1237.33 लाख (गत वर्ष ₹177.84 लाख) शामिल हैं।

(ii) पुनःस्थापन के लिए नये स्थानों पर विस्थापितों को आबंटित सम्पत्ति का पंजीकरण चल रहा है और इसकी देख–रेख उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रही है, जिसे बांध के विस्थापितों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

(iii) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 17 / 23 अक्टूबर, 2002 के आदेश संख्या एफ सं. 8–3 / 89 एफ सी के अनुसरण में उत्तराखंड सरकार ने दिनांक 30 अक्टूबर, 2002 के कार्यालय आदेश संख्या जीआई 186 / 7–1–2002–300(459) / 88 अंतर्गत कोटेश्वर बांध परियोजना (4 x 100 मेगावाट) के निर्माण के लिए कंपनी के पक्ष में 30 वर्ष के पट्टे पर 338.932 हेक्टेयर सिविल सोयम तथा वन भूमि के डायवर्जन का आदेश जारी किया है। 337.057 हेक्टेयर के लिए पट्टा विलेख उत्तराखंड सरकार के साथ 01.01.2003 को निष्पादित किया जा चुका है। 1.875 हेक्टेयर वन भूमि के लिए पट्टा विलेख, जिसके के लिए भुगतान किया जा चुका है, कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए लम्बित है तथा पट्टा धारण भूमि के तौर पर दिखाया गया है। 338.932 हेक्टेयर में से 218.307 हेक्टेयर भूमि डूब क्षेत्र में आती है और बांध के पूरा होने पर पूंजीकृत किये जाने के लिए पुनर्वास के अंतर्गत दिखायी गयी है। डूब क्षेत्र के ऊपर 120.625 हेक्टेयर भूमि के बारे में 67.84 लाख रुपये की राशि को 30 वर्षों में परिशोधित किया जा रहा है।

(iv) कोटेश्वर बांध परियोजना (4 × 100 मेगावाट) के निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को निःशुल्क दी गयी 14.37 एकड़ भूमि का हिसाब एक रुपये की सांकेतिक कीमत पर लगाया है।

(v) भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 29.04.2008 के आदेश सं. 08बी/यूसीपी/06/312/2006/एफसी/144 द्वारा विष्णुगाड पीपलकोटी परियोजना में सड़क बनाने के लिए कंपनी के पक्ष में 30 वर्षों की अवधि के लिए 5.75 हेक्टेयर वन भूमि पट्टे पर देने के लिए मंजूरी दी गयी है जिसके लिए पट्टा प्रीमियम अदा कर दिया गया है। इस भूमि को लीज होल्ड के रूप में दिखाया गया है। लेकिन, इसके बारे में कानूनी औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं। अंतिम समाधान के समय आवश्यक समायोजन कर दिया जाएगा।

11. (i) अचल परिसम्पत्तियों के वास्तविक सत्यापन के दौरान जो छोटी–मोटी कमियां पायी गयी हैं, उनकी जांच की जा रही है तथा कमियों को दूर किया जा रहा है। अंतिम समाधान के समय वास्तविक समायोजन कर दिया जाएगा।

(ii) वास्तविक लागत के अभाव में वास्तविक सत्यापान के दौरान अधिक पायी कुछ परिसम्पत्तियों को ₹1 प्रत्येक के सांकेतिक मूल्य पर दर्ज किया गया है।

12. अग्रिमों, देनदारों, लेनदारों तथा संक्रमणाधीन/ठेकेदार के पास सामग्री के अंतर्गत दिखाये गये शेष पुष्टि/मिलान तथा परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अध्यधीन है।

13. बैंकों के पास जमा शेष में ₹136.78 लाख (गत वर्ष ₹136.78 लाख) शामिल हैं, जिसके संबंध में रॉयल्टी, स्पिलवे वृद्धि एवं विद्युत प्रभारों की वसूली के लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा ग्रहणाधिकार का प्रयोग किया गया है।

14. चल रही छानबीन के दौरान ₹0.89 लाख की क्षतियां/कमियां (गत वर्ष ₹1.85 लाख) कमी के द्योतक हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन लम्बित होने के कारण दावों का समायोजन करना अभी बाकी है।

15. कंपनी को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार से उनके दिनांक 17.12.2008 के पत्र सं. 40/2/2008–सीएल–III के जरिये भारत सरकार को आबंटित शेयर पूंजी के 277.87 इक्विटी शेयर (₹1000 प्रति) निरस्त करके शेयर पूंजी में ₹277.87 लाख कटौती की पुष्टि की सूचना मिली है। इसके लिए जरूरी प्रविष्टियां वर्ष 2008–09 में कर दी गयी हैं। यह कटौती पावर ग्रिड कार्रेरपोरेशन आफ इंडिया को ट्रांसमिशन लाइनों और संबद्ध सब–स्टेशनों के हस्तांतरण के एवज में मिली आंशिक क्रय राशि का द्योतक है। इस प्रकार इस मामले में कुल ₹1118.87 लाख की शेयर पूंजी की कमी, हुई जिसमें पहले 1998–99 में ₹841.00 लाख की गई कमी शामिल है।

16. (i) कंपनी द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर बने 90 फ्लैट (गत वर्ष 35 फ्लैट) विभिन्न व्यक्तियों अनधिकृत कब्जे में कार्यवाही की संभावना का पता लगाया जा रहा है।

(ii) 26 ई.सी. रोड, देहरादून में ₹20.10 लाख कीमत से टीएचडीसी परिसर में बने आवागमन कैम्प का इस्तेमाल टीएचडीसी तथा उत्तराखंड सरकार के उन विभिन्न विभागों द्वारा किया जा रहा है जो टिहरी बांध परियोजना के पुनर्वास कार्य के लिए उत्तरदायी हैं। हालांकि पुनर्वास गतिविधियां पूरी होने के बाद ये परिसम्पत्तियां कंपनी के कब्जे में बनी रहेंगी।

(iii) फ्रीहोल्ड भूमि में 0.458 हेक्टेअर भूमि शामिल है जो सौतियाल गांव में है और जिस पर अनाधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

17. संगम के अनुच्छेदों के अनुसार 1000 मेगावाट की टिहरी एचपीपी परियोजना के सिंचाई घटक के, जो कुल लागत के 20% के बराबर है, की लागत उपभोक्ता अंशदान के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जानी है। 31.03.2011 तक परियोजना पर उपगत कुल लागत ₹839245.05 लाख (गत वर्ष ₹839245.05 लाख) परिकलित की गई थी जिसमें फार्मूले के अनुसार सिंचाई क्षेत्र की लागत ₹144133.80 लाख (गत वर्ष ₹144133.80 लाख) बनती है। 31.03.2011 तक की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने ₹144118.38 लाख (गत वर्ष ₹144118.38 लाख) दे दिए हैं ।

18. संगम अनुच्छेदों के खंड संख्या 61 (बी) के अनुसार सिंचाई क्षेत्र के अनुरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाले अनुरक्षण खर्च कंपनी और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारस्परिक रूप से तय किये जाने हैं। पारस्परिक सहमति होने तक इसे उत्तर प्रदेश सरकार से प्रतिदेय नहीं दर्शाया गया है।

19. वर्ष 2007–08 के दौरान टिहरी एचपीपी – I ने उत्पादन स्टेशन का वाणिज्यिक प्रचालन शुरू कर दिया गया है। प्रबंधन का मत है कि टिहरी एचपीपी – I का प्रतिनिधित्व करने वाले नकद उत्पादन इकाई (सीजीयू) के संबंध में लेखाकरण मानक (एएस) 28 की दृष्टि से वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों के मूल्य में कोई कमी नहीं हुई है।

20. (i) विद्युत उत्पादन इस कंपनी की व्यापारिक गतिविधि है। इसीलिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी खंड रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक – 17 के अनुसार कोई अन्य रिपोर्ट करने लायक खंड नहीं हैं।

(ii) कंपनी के विद्युत गृह (पावर स्टेशन) देश के भीतर ही स्थित हैं। अतः इसके लिए भौगोलिक खंड लागू नहीं है।

21. संबद्ध पक्षकार द्वारा प्रकटीकरण :

लेखाकरण मानक –18 से संबद्ध "पक्षकार द्वारा प्रकटीकरण" में की गई अपेक्षा के अनुसार संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन–देन का ब्योरा इस प्रकार है:–

क) सम्बद्ध पक्षकार – प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

पूर्णकालिक निदेशक

1. श्री आर एस टी शाई — अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री ए. एस. बिष्ट — निदेशक (कार्मिक)
3. श्री सी. पी. सिंह — निदेशक (वित्त)
4. श्री डी. वी. सिंह — निदेशक (तकनीकी)

ख) संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन–देन का सारांश (अनुबंधित जिम्मेदारियों को छोड़ कर) – शून्य

ग) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक नोट 42 पर दर्शाया गया है।

घ) टीएचडीसीआईएल, एनपीसीआईएल संयुक्त उद्यम गठित किए जाएंगे जैसा कि नोट 28 में कहा गया है।

22. प्रति शेयर आय (ईपीएस) – मूल और परिवर्तित

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (मूल और परिवर्तित) इस प्रकार हैं:

	2010–11	2009–10
करोपरांत निवल लाभ जिसका प्रयोग न्यूमरेटर के रूप में हुआ है (लाख रुपये)	60047.87	47995.12
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जिनका प्रयोग डिनोगीनेटर के रूप में हुआ है	32975817	32975817
प्रतिशेयर आय रुपये मूल	182.10	145.55
परिवर्तित	182.10	145.55
प्रति शेयर अंकित मूल्य	1000	1000

23. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "आय पर करों का लेखांकन" के लेखांकन मानक 22 के अनुपालन में ₹5789.83 लाख (गत वर्ष ₹7502.67 लाख) जो कि आस्थगित देयता में कमी दर्शाता है, को लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया गया है। 31 मार्च, 2009 तक की आस्थगित कर परिसंपत्तियां लाभग्राहियों को वापस की जाएंगी, उसके पश्चात यह सीईआरसी विनियम 2009–2014 के सीईआरसी विनियम के अनुसार वापस नहीं की जा सकती है। संचयी आस्थगित कर देयताओं/ परिसंपत्तियों का ब्यौरा निम्नवत है:

₹ लाख में

क्र. सं.		31.03.2011	31.03.2010
(i)	आस्थगित कर देयता (ए)		
	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	0	0
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (बी)		
(ii)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	6867.55	1410.32
(iii)	मूल्यह्रास के बाबत अग्रिम को कर गणना में आय के रूप में माना जाए	9625.04	9625.04
(iv)	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	107.39	81.14
(v)	कर्मचारी हित योजनाओं के लिए प्रावधान	3005.48	2699.13
	शुद्ध आस्थगित कर देयता (परिसम्पत्तियां) (ए–बी)	**(19605.46)**	**(13815.63)**

24. भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप कंपनी के लिए आवश्यक है कि वह वर्ष 2010–11 के दौरान 2009–10 के कर पूर्व लाभ 2% लाभ की दर से कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधि के लिए उद्ग्रहित कर ले। खर्च न हुई राशि के लिए व्यपगम न करने योग्य सीएसआर अधिक के रूप में प्रावधान किया गया है।

25. प्रबंधन की राय में अचल परिसमपत्तियों, निर्माण संबंधी भंडारों, वसूले गये ऋणों और अग्रिमों के मूल्य तुलन–पत्र में दर्शाये गये मूल्य से कम नहीं होंगे।

26 (क) कंपनी के पास उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर ऐसे आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता नहीं हैं जिन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत 31 मार्च, 2011 तक सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों के रूप में पंजीकृत किया गया है।

ख) 31 मार्च, 2011 के लघु/सहायक उद्योगों से की गई खरीददारी/सेवाओं के संबंध में 30 से अधिक दिन से अधिक कोई देयता नहीं है।

27. (i) महाराष्ट्र सरकार ने अपने दिनांक 21.04.2008 के पत्र सं. एमआईएस – 1207/(126/2007)/एचपी के जरिये टीएचडीसी और एनपीसीआईएल के अभी निगमित किये जाने वाले संयुक्त उद्यम को दो परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण का काम सौंपा है। इन परियोजनाओं के नाम हैं – पुणे जिले में कालू नदी पर

मालशेज घाट (600 मेगावाट) और सतारा जिले में कोयना परियोजना की अपस्ट्रीम पर बनायी जाने वाली हुम्बर्ली (400 मेगावाट)। इसके लिए टीएचडीसी और एनपीसीआईएल के बीच अगस्त, 2008 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं और सर्वेक्षण तथा अन्वेषण का काम शुरू कर दिया गया है और 31 मार्च, 2011 तक टीएचडीसी ने इस पर ₹623.21 लाख (गत वर्ष ₹253.52 लाख) खर्च किये गए हैं। इसे संयुक्त उद्यम से वसूली योग्य दर्शाया गया है।

(ii) इसके अलावा भारत सरकार ने दिनांक 22.07.2008 के अपने डी.ओ. नं. 11/01/2008–बीबीएमबी के जरिये वांगचू, भूटान के डीपीआर को संकोश परियोजना (4060 मेगावाट), संकोश और बुनाखा एचईपी (180 मेगावाट) अद्यतन करने का काम परामर्शी आधार पर टीएचडीसी को सौंपा है। इसके लिए 23.03.10 को क्रमशः ₹ 1682.075 लाख तथा 24.06.10 को ₹1378.75 लाख के करार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और भूटान की शाही सरकार के बीच किए गए । तद्नुसार डीपीआर को अद्यतन करने का काम शुरू कर दिया गया है।

(iii) टीएचडीसीआईएल, उत्तर प्रदेश सरकार और यूपीपीएल के बीच खुर्जा, जिला – बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में 1320 मेगावाट का कोयला आधारित सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जो इसकी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता की स्थापना, ईंधन के लिए तालमेल, विद्युत लेने के लिए वचनबद्धता, पीपीए पर हस्ताक्षर तथा उचित अनुमति/अनुमोदन प्राप्त करने के अधीन होगा। तद्नुसार प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) के लिए आरंभिक कार्य टीएचडीसी इंडिया लि. द्वारा शुरू कर दिए गए हैं।

28. भारत सरकार के निर्देशानुसार कंपनी वरूणावत पर्वत के स्थिरीकरण के काम में एक सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में उत्तराखंड सरकार की मदद कर रही है व्यय हुए खर्च की प्रतिपूर्ति उत्तराखंड सरकार द्वारा की जानी है। इस सिलसिले में ₹787.18 लाख (गत वर्ष ₹677.37 लाख) के स्थान पर ₹566.36 लाख (गत वर्ष ₹239.77 लाख) कंपनी को पहले ही वापस किये जा चुके हैं।

29. भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 1998 में किये गये निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड सरकारों को योजना की पुनर्वास गतिविधियों का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इनका संचालन कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गयी निधियों में से सीधे उन्हीं के द्वारा किया जाना है। उत्तराखंड सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये समेकित व्यय विवरण के अनुसार उद्ग्रहित व्यय कंपनी के लेखा बहियों में दर्ज किया गया है जो उत्तराखंड सरकार से संबंधित प्रभागों द्वारा महालेखाकार, उत्तराखंड को दिये गये मासिक विवरण के आधार पर समेकित किया जाता है। पुनर्वास काम में लगे उत्तराखंड सरकार के कार्मिकों के स्थापना खर्च प्राप्त लेखा विवरण में दर्शायी गयी सीमा तक दर्ज किये गये हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा की गयी सीधी प्रतिपूर्ति का हिसाब–किताब उनके लिए दावे मिलने पर किया जायेगा।

30. निर्धारित हानियों का लेखाकरण अंतिम बिलों/सुपुर्दगी अनुसूची के निस्तारण पर किया जाता है।

31. टिहरी बांध के गृह विस्थापितों के पुनर्स्थापन के लिए केदारपुरम् में निर्मित भवनों और भूमि की कीमत अदर्गीकृत भूमि में शामिल की गई है। गृह विस्थापितों को आबंटित न की गई कुछ गौण भूमि और भवन का इस्तेमाल कंपनी कर रही है। इसका स्वामित्व अभी कंपनी को अंतरित नहीं किया गया है। लागत के ब्यौरों को पुनर्वास रिकार्ड से संबद्ध करना लंबित होने के कारण इसे भूमि और भवन को अंतरित नहीं किया गया है।

32. (i) पावरहाउस एवं स्पिलवेज संविदा प्रावधानों के अनुसार मात्रा विभिन्नता के लिए छूट हेतु क्रमशः ठेकेदारों (केसीटी एंड ब्रदर्स सी.एस. लिमिटेड (केसीटी) से वसूली हेतु नैनीताल उच्च न्यायालय में कंपनी द्वारा प्रतिवाद किया गया है। अदालत के आदेशों के अनुसार ये मामले माध्यस्थम को सौंप दिये गये हैं। यह मामला अभी माध्यस्थम ट्रिब्यूनल के पास लम्बित है। इन ठेकों के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का मूल्य मुकदमे के फैसले पर निर्भर करेगा।

(ii) ठेकेदारों को दिये गये अग्रिम में ₹20478.75 लाख (मूलधन ₹15899.99 लाख और 16% की दर से ब्याज ₹4578.76 लाख) (गत वर्ष ₹15610.07 लाख, मूलधन ₹12663.97 लाख और 16% की दर से ब्याज ₹2946.10 लाख) शामिल हैं जो जोखिम और खर्च लेखा, मोबलाइजेशन अग्रिम तथा उपस्कर अग्रिम के लिए केएचइपी ठेकेदार (मेसर्स पीसीएल) से वसूला जाना है। 31 मार्च, 2011 तक टीएचडीसी के पास उपलब्ध प्रतिभूति (निष्पादन गारंटी/नगद के रूप में केवल ₹5628.71 लाख) (गत वर्ष ₹5628.71 लाख) उपलब्ध है।

मैसर्स पीसीएल के संबंध में माध्यस्थम के मामले में टीएचडीसीआईएल ने इस मामले में माध्यस्थम के समक्ष प्रति दावा पेश किया है। माध्यस्थमों ने अपने फैसले में ठेकेदार (मैसर्स पीसीएल) से वसूली योग्य अग्रिम पर ब्याज की अनुमति नहीं दी है। टीएचडीसीआईएल ने माध्यस्थम के निर्णय के विरूद्ध न्यायालय में याचिका दायर की है। न्यायालय से फैसला न होने के कारण बहियों में ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

33. वर्ष 2010–11 के दौरान भारी वर्षा के कारण केएचईपी परियोजना में बाढ़ आई जिससे निर्माणाधीन कोटेश्वर परियोजना के कुछ उपस्करों को नुकसान हुआ ओर लगभग 30.00 करोड़ रुपये की हानि का अनुमान लगाया गया। इस नुकसान के लिए

ठेकेदार मैसर्स बीएचईएल द्वारा बीमा दावा कर दिया गया है। निर्माण कार्य की बहाली/दोबारा शुरू करने पर हुए खर्च का सीडब्लूआईपी के तहत दर्शाया गया है। बीमा दावा की राशि प्राप्त हो जाने पर इसे सीडब्लूआईपी में समायोजित किया जाएगा।

34. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने मार्च 2004 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (निबंधन और शर्तें) विनियम, 2004 अधिसूचित किया था। ये विनियम 01.04.2004 को लागू हुए और 5 वर्षों तक लागू रहे। कंपनी ने सीईआरसी की विनियमावली, 2004 के निर्धारित सिद्धांतों के अनुसरण में अनंतिम टैरिफ निर्धारण के लिए कंपनी ने सीईआरसी के समक्ष याचिका दायर की। सीईआरसी ने 28 दिसम्बर, 2006 को अनन्तिम टैरिफ आदेश जारी करते हुए कहा कि अनुमोदित टैरिफ एक अंनतिम उपाय है तथा याचिका में दावा किए गए वार्षिक नियत प्रभारों का अल्पीकरण करने वाला है। तद्नुसार 31.3.2007 तक की अवधि के लिए गौण ऊर्जा एवं क्षमता सूचकांक की कोई गणना नहीं होगी। इस प्रतिकूल आदेश के खिलाफ कंपनी ने विद्युत के लिए माननीय अपीलीय प्राधिकरण में अपील दायर की जिसने अपने दिनांक 02.07.2007 के आदेश में कहा है कि आयोग अंतिम टैरिफ निर्धारित करते समय सम्मिलित पक्षकरों के सभी सुसंगत तथ्यों पर विचार करेगा।

वर्ष 2007–2008 के दौरान अंतिम यूनिट अर्थात टिहरी चरण – I उत्पादन केन्द्र की पहली यूनिट को 08.07.2007 को वाणिज्यिक प्रचालन के लिए चालू घोषित किया तथा याचिका को 07.07.2007 तक लेखा परीक्षित एवं प्रमाणित खर्चों के आधार पर अद्यतन किया गया। बाद में सीईआरसी ने 14.03.08 के अपने आदेश द्वारा सूचित किया कि उत्पादन केन्द्र की अंतिम यूनिट यानि टिहरी चरण – I के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि 09.07.2007 को 0.00 बजे से गिनी जाएगी। तद्नुसार कंपनी 08.07.2007 तक के लिए आईडीसी तथा एसोसिएटेड लागतों की हकदार होगी।

भारत सरकार ने विद्युत मंत्रालय के दिनांक 11.11.2010 के पत्र सं. 11/6/2010–11–1 द्वारा ₹ 8392.45 करोड़ के टिहरी एचपीपी (चरण– I) के संशोधित लागत अनुमान को अनुमोदन दे दिया है और टीएचडीसीआईएल ने तद्नुसार 2006–2009 में प्रशुल्क अवधि के लिए सीईआरसी के समक्ष याचिका दायर की है। दिनांक 9.7.2007 को अंतिम यूनिट अर्थात टिहरी एचपीपी चरण– I के वाणिज्यिक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए लेखा परीक्षित और प्रमाणित एएफसी पर वित्त वर्ष 2010–11 की बहियों में विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त सीईआरसी विनियम, 2009 में निर्धारित सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए 2010–11 के लिए एएफसी की गणना कर ली गई है और सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित करवा लिया गया है। तद्नुसार कंपनी ने 165508.86 लाख रुपये का बिल (गत वर्ष ₹143291.92 लाख जिसमें पिछले वर्ष के ए एफ सी में संशोधन के कारण गौण ऊर्जा और प्रभारों के क्रमशः ₹2250.99 लाख तथा ₹5221.42 लाख) शामिल हैं। सीईआरसी द्वारा प्रशुल्क का निर्धारण होने तक वर्ष के लिए राजस्व अनंतिम रूप से तय किया गया है। सीईआरसी के अनुसार परिकलित एएफसी और प्रशुल्क को अंतिम रूप दिए जाने तक सीईआरसी द्वारा अनुमत्य अनंतिम दर के बीच बिलों में अंतर आने के कारण कर्जदारों पर ₹92457.69 लाख (गत वर्ष ₹56825.35 लाख) हैं। इसके अतिरिक्त कोटेश्वर एचईपी के यूनिट – I और II के माध्यम से उत्पादित अस्थिर ऊर्जा से ₹12.10 लाख अर्जित किए हैं।

35. वर्ष के दौरान कंपनी ने सीईआरसी (निवर्तमान विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के तहत गठित तथा विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत मान्यताप्राप्त निकाय) द्वारा टैरिफ वसूली के लिए अधिसूचित दरों पर वर्ष के दौरान मूल्यह्रास का प्रावधान किया है, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अर्न्तगत विनिर्दिष्ट दरों से अलग है। विद्युत मंत्रालय, – भारत सरकार ने टैरिफ नीति अधिसूचित की है, जिसमें सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास दरों को टैरिफ के साथ–साथ लेखाकरण के लिए लागू करने का भी प्रावधान किया गया है। सीईआरसी द्वारा टैरिफ नीति के अनुसार मानदण्डों के तय होने तक वर्तमान टैरिफ नीति मानदंडों के तहत अधिसूचित दरों को वर्ष के लिए मूल्यह्रास निकालने के लिए ठीक समझा गया है।

36. सीईआरसी विनियम 2004–2009 के तहत प्रशुल्क के घटक के रूप में अनुमत्य मूल्यह्रास के लिए अग्रिम को बिक्री से घटाकर आरथगित राजरव गान लिया गया था जिराका रागायोजन बाद के वर्षों में बिक्री में किया जाना था। सीईआरसी विनियन 2009–2014 के अनुसार इसे 01.04.2009 से समाप्त कर दिया गया है।

37. (i) कम्पनी ने कर्मचारियों/कार्यालयों/अतिथिगृहों/मार्गस्थ कैम्पों तथा वाहनों के लिए परिसर पट्टे/किराये पर लिए हैं। ये पट्टा व्यवस्थाएं प्रायः आपसी सहमति से तय शर्तों पर नवीकृत की जा सकती हैं लेकिन इन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता। किराया दर तथा करों में पट्टा भुगतान के लिए ₹774.77 लाख (गत वर्ष ₹402.72 लाख) शामिल है। (निवल वसूली)

(ii) टीएचडीसीआईएल ने दिल्ली मेट्रो रेलवे स्टेशन कारपोरेशन लिमिटेड से एनबीसीसी भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली में 01 जुलाई, 2010 से 6 वर्षों के लिए ₹212 प्रति वर्ग फीट की दर से 2270 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला कार्यालय पट्टे पर लिया है जिसकी कुल कीमत ₹481240.00 एवं सेवा कर होगी। पट्टे पर लिए गए कार्यालय का कुछ भाग, जो 1870 वर्ग फीट है, ₹212 प्रति वर्ग फीट की दर से फरवरी, 2011 से 9 माह के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को कुल ₹396440.00 में शिकमी पट्टे पर दिया गया है।

38. कम्पनी निम्नलिखित के अनुसार भी प्रावधान किए हैं :— **2010—2011** ₹ लाख में

क्रमांक	विवरण	आदि शेष	अभिवृद्धि	प्रयुक्त / समायोजन	अंतिम शेष
1.	निर्माण	3702.91	2048.07	3701.60	2049.38
2.	कर्मचारियों से संबंधित	19936.83	5136.80	2319.90	22753.74
3.	प्रस्तावित लाभांश	8500.00	5600.00	8500.00	5600.00
4.	अंतरिम लाभांश पर कर		2076.09		2076.09
5.	प्रस्तावित लाभांश पर कर	1444.58	930.09	1444.58	930.09
6.	अन्य	3214.37		1465.01	1749.36
	योग	**36798.70**	**15791.05**	**17431.09**	**35158.66**

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि निर्माण, कर्मचारियों, प्रस्तावित लाभांश, अंतरिम लाभांश पर कर, प्रस्तावित लाभांश पर कर तथा कर एवं अन्य का प्रावधान किया है। निर्माण कार्य में मुख्यतः 31.03.2011 की गैर—मापित निर्माण कार्य शामिल हैं। कर्मचारियों के लिए प्रावधान में लेखाकरण नीति संख्या 11 (i) के तहत छुट्टी नगदीकरण, उपदान, सेवा निवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, अंतिम संस्कार, बैगेज भत्ता तथा बकाया वेतन आदि शामिल हैं। कर एवं अन्य में आयकर, संपत्ति कर, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व शामिल हैं।

39. (i) कम्पनी पूर्व निर्धारित दरों से भविष्य निधि का निश्चित अंशदान एक अलग ट्रस्ट को अदा करती है जो इस राशि को अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में निवेश करता है। अवधि के लिए निधि के अंशदान को खर्च माना जाता है तथा लाभ एवं हानि खातों से प्रभारित किया जाता है। यह ट्रस्ट सदस्यों के अंशदान पर श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम ब्याज दर का भुगतान करता है। हालांकि, कम्पनी की प्रतिबद्धता ऐसे नियत अंशदान एवं ट्रस्ट द्वारा ब्याज प्रतिबद्धता, होने वाली कमी को पूरी करने तक सीमित हैं। तदनुसार वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार 31.03.2011 को एएस—15 (संशोधित) के अनुसार भविष्य निधि के लिए संवैधानिक ब्याज दर गारंटी के कारण देनदारी ₹323.03 लाख (गत वर्ष ₹320.00 लाख) होती है जबकि तुलन—पत्र के तारीख को राजस्व अधिशेष ₹20.35 लाख (गत वर्ष में ₹219.97 लाख) उपलब्ध थी। इसीलिए ₹302.68 लाख (गत वर्ष ₹100.03 लाख) के अंतर के देयता खातों दी गई है। वर्ष के दौरान खातों में ₹202.65 लाख (गत वर्ष ₹100.03 लाख) दिया गया है।

(ii) "कर्मचारियों को लाभ" के संबंध में एएस—15 के प्रावधानों के तहत प्रकटीकरण।

31.03.2010 को किए गए वास्तविक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए का प्रावधान किया गया है। तदनुसार "कर्मचारियों का लाभ" के संबंध में लेखांकन मानक 15 के प्रावधानों के तहत 31.3.2011 को समाप्त वित वर्ष के लिए प्रकटीकरण किया गया है।

सारणी—1 निम्नलिखित पर एक्यूरियल मूल्यांकन के लिए प्रमुख एक्यूरिज अनुमान ₹ लाख में

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
मृत्यु सारणी	एलआईसी (1994-96) विधिवत संशोधित	एलआईसी (1994-96) विधिवत संशोधित
छूट की दर	8%	7.5%
भावी वेतन वृद्धि	5.5%	5%

सारणी—2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन ₹ लाख में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता / सेवानिवृत्ति एवार्ड / एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	6911.35	2729.64	1513.99	2980.27	495.85
ब्याज लागत	552.91	218.37	121.12	238.42	39.67
गत सेवा लागत	....	.....	..	...	..
वर्तमान सेवा लागत	395.17	198.19	59.20	195.76	36.30
भुगतान किया गया लाभ	(130.79)	(375.57)	(19.42)	(63.23)	(33.91)
एक्यूरियल (लाभ / हानि)	(757.40)	359.55	(105.14)	(8.40)	(32.29)
वर्ष के अंत में पी वी ओ	6971.24	3130.17	1569.75	3342.82	505.62

सारणी–3 तुलन–पत्र में चिन्हित राशि

₹ लाख में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता/सेवानिवृत्ति एवार्ड/ एफबीएस
वर्ष के अंत में पीवीओ	6971.24	3130.17	1569.75	3342.82	505.62
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	....	.....	..	...	..
निधियों की स्थिति	(6971.24)	(3130.17)	(1569.75)	(3342.82)	(505.62)
चिन्हित न हुए एक्यूरियल लाभ/हानि	....	.....	..	...	..
तुलन–पत्र में चिन्हित शुद्ध देयता	6971.24	3130.17	1569.75	3342.82	505.62

सारणी– 4 लाभ और हानि खाते/ईडीसी में चिन्हित राशि

₹ लाख में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता/सेवानिवृत्ति एवार्ड/ एफबीएस
चालू सेवा लागत	395.17	198.19	59.2	195.76	36.30
ब्याज लागत	552.91	218.37	121.12	238.42	39.67
गत सेवा लागत	....	.....	..	...	..
योजनागत परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्रतिफल	....	.....	..	...	..
वर्ष के लिए चिन्हित निवल एक्टूरियल (लाभ)/हानि	(757.40)	359.55	(105.14)	(8.40)	(32.29)
वर्ष के लिए लाभ और हानि ईडीसी में चिन्हित व्यय	190.67	776.11	75.18	425.78	43.68

40. केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441ए के तहत देय उपकर की दर अधिसूचित नहीं की है इसलिए कंपनी ने कारोबार पर किसी प्रकार के उपकर का प्रावधान नहीं किया है।

41. लेखांकन नीति में परिवर्तन

क्र. सं.	नीति	प्रभाव
1.	परामर्शी कार्यों से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने के संबंध में नई लेखांकन नीति संख्या 10(vii) शुरू की गई है।	ऋण और अग्रिम 602.15 लाख रुपये का मूल्यह्रास तथा पूर्व अवधि के व्यय में तदनरूपी ₹602.15 लाख की बढ़ोत्तरी
2.	एलटीसी शब्द को हटाकर कर्मचारियों को लाभ देने के संबंध में लेखांकन नीति संख्या 11 (i) में संशोधन किया गया है।	कर्मचारियों से जुड़े प्रावधानों में ₹256.47 लाख का ह्रास तथा अधिशेष आय प्रावधान में ₹256.47 लाख की वृद्धि बट्टे खाते डाली गई।

42. निदेशकों को भुगतान किया गया/भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

	2010–11	2009–10
(i) वेतन और भत्ते	141.59	46.38
(ii) भविष्य निधि में अंशदान	6.87	5.32
(iii) अन्य लाभ	72.45	28.74
(iv) स्वतंत्र निदेशकों की फीस और व्यय	14.64	11.19
(v) निदेशकों का यात्रा भत्ता व्यय	16.09	7.21
(vi) पेंशन निधि	19.44	0.00

उपर्युक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त, पूर्णकालिक निदेशकों को स्टाफ कार जिसमें निजी यात्रा के लिए ₹ 780/–प्रति माह के भुगतान की अनुमति दी गई है। (जैसा कि उद्योग मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिनांक 26 मार्च, 1999 के परिपत्र संख्या 2(53)/90–डीपीई(डब्ल्यूओ)–जीआईवी के प्रावधानों के अनुसार लागू है।)

43. लेखा परीक्षकों को भुगतान

(₹ लाख में)

	2010–2011	2009–10
लेखा परीक्षा शुल्क (सेवाकर सहित)	4.13*	4.13
अन्य क्षमता में	7.06	8.16
आउट आफ पाकेट एक्सपेंस	2.62	4.48

* वार्षिक आम सभा में अनुमोदन के अधीन

44. कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग–II अनुसूची VI के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त सूचना निम्नानुसार है।

(₹ लाख में)

	विवरण	2010-11	2009-2010
क	विदेशी मुद्रा में व्यय (नकद आधार पर)		
	यात्रा	21.08	36.30
	परामर्श और व्यावसयिक प्रभार	611.19	230.8
	ऋण एवं ब्याज की अदायगी	2196.90	2660.36
	माल का आयात	74.61	66.77
	अन्य (संचालन प्रभार)	3.40	6.68
	कुल	2907.18	3000.91
ख	विदेशी मुद्रा में व्यय (नकद आधार पर)	1851.65	0.00
ग	सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य		
(i)	पूंजी माल	13.13	180.37
(ii)	अतिरिक्त पुर्जे	0.00	0.00
	कुल	13.13	180.37
घ	प्रयुक्त घटकों, स्टोरों और अतिरिक्त पुर्जों का मूल्य		
(i)	आयातित (रूपए में)	0.30	0.00
	%	0.27%	0.00%
(ii)	देशी (रूपए में)	110.84	33.81
	%	99.73%	100.00%
ङ.	निर्यात का मूल्य	0.00	0.00

45. लाइसेंसशुदा तथा संस्थापित क्षमताएं :

क्र. सं.	विवरण	2010-11	2009-10
(i)	लाइसेंसशुदा क्षमता (मे.वा.)	लागू नहीं**	लागू नहीं**
(ii)	संस्थापित क्षमता (मे.वा.)	1200 मे.वा.	1000 मे.वा.
(iii)	अनुमोदित क्षमता (मे.वा)– (सीसीईए द्वारा निवेश अनुमोदन पर आधारित)	2844 मे.वा.	2844 मे.वा.
(iv)	बिजली के उत्पादन एवं बिक्री के संबंध में मात्रात्मक (मिलियन यूनिटों में) सूचना		
(क)	पूर्व–वाणिज्यिक अवधि		
	उत्पादन	0.4338 मि.यू.	शून्य
	बिक्री	0.4295 मि.यू.	शून्य
(ख)	वाणिज्यिक अवधि		
	उत्पादन	3116.0253 मि.यू.	2116.7918 मि.यू.
	बिक्री (गृह राज्य को निःशुल्क विद्युत देने और अनुषंगी खपत के बाद निवल)	2730.5833 मि.यू.	1840.4124 मि.यू.

** विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 7 के अनुसार कोई भी उत्पादक कंपनी, इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन स्थापित कर सकती है। इसलिए लाइसेंसशुदा क्षमता लागू नहीं है।

46. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए यथावश्यक पुनः समूहबद्ध/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

47. अनुसूची '1' से '27' लेखाओं की अभिन्न अंग हैं।

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव

(सी. पी. सिंह)
निदेशक (वित्त)

(आर. एस. टी.शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एचडीएसजी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

(हरबीर सिंह गुलाटी)
भागीदार
सदस्यता संख्या – 084072

दिनांक : 31 अगस्त, 2011
स्थान : नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के तहत आवश्यक अतिरिक्त सूचनाएं

राशि हजार ₹ में

तुलन पत्र सार और कंपनी का सामान्य व्यापार प्रोफाइल	
i) पंजीकरण का ब्यौरा	
पंजीकरण संख्या	00009822
राज्य का कोड	00000020
तुलन पत्र की तारीख	31 मार्च, 2011
ii) वर्ष के दौरान उगाही गई पूंजी	
पब्लिक इश्यू	शून्य
राइट इश्यू	शून्य
प्राइवेट प्लेसमेंट	
(i) भारत सरकार को जारी शेयर (संख्या) (निवल)	शून्य
(ii) उत्तर प्रदेश सरकार को जारी शेयर (संख्या)	शून्य
शेयर पूंजी अंशदान आबंटन निम्नलिखित को लंबित	
भारत सरकार	शून्य
उत्तर प्रदेश सरकार	शून्य
बोनस मुद्दा	शून्य
iii) निधियां एकत्र करने और लगाने की स्थिति	
कुल देयताएं	11,65,27,009
कुल परिसंपत्तियां	11,65,27,009
निधियों के स्रोत	
प्रदत्त पूंजी	3,29,75,817
पूंजी लंबित आबंटन	शून्य
आरक्षित और अधिशेष जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) का अंशदान शामिल है	2,47,53,030
सुरक्षित ऋण	4,60,19,444
असुरक्षित ऋण	28,86,468
मूल्यह्रास के विरूद्ध अग्रिम के कारण आस्थगित राजस्व	28,33,089
निधियों का उपयोग	
निवल स्थिर परिसंपत्तियां	9,09,97,688
निर्माण स्टोरों और अग्रिमों सहित पूंजी कार्य प्रगति पर	1,10,29,748
निवेश	
आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	13,29,250
निवल चालू परिसंपत्तियां	61,08,878
विविध व्यय	2,284
iv) कंपनी निष्पादन	
कारोबार (अन्य आय सहित)	1,68,92,712
कुल व्यय	1,01,00,708
कर पूर्व लाभ / हानि	67,92,004
करोपरांत लाभ / हानि	60,04,787
प्रति शेयर आय (रू.)	182.10
लाभांश दर (%)	5.489
v) प्रमुख उत्पाद / कंपनी सेवा का सामान्य नाम	
मद कोड संख्या	लागू नहीं
उत्पाद विवरण	विद्युत का उत्पादन

दिनांक : 31 अगस्त, 2011
स्थान : नई दिल्ली

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव

(सी. पी. सिंह)
निदेशक (वित्त)

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

राशि हजार ₹ में
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कम के द्योतक हैं)

विवरण	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ तथा पूर्वानिधि समायोजन		**67,71,919**		**49,19,002**
निम्नलिखित के लिए समायोजन :–				
मूल्यह्रास	34,93,263		34,58,440	
प्रावधान	7,905		22,107	
मूल्यह्रास बाबत अग्रिम–आस्थगित	–		3,91,497	
ऋणों पर ब्याज	37,79,664		40,69,210	
ग्राहकों को छूट	1,33,638		1,14,701	
पूर्व अवधि समायोजन	20,085	74,34,555	(12,393)	80,43,562
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचलित लाभ		**1,42,06,474**		**1,29,62,564**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन हेतु समायोजन				
वस्तु सूची	(6,608)		(33,896)	
विविध देनदार	(35,72,832)		(38,32500)	
अन्य चालू परिसंपत्तियां	764		2,990	
ऋण और अग्रिम	(4,021)		(52,337)	
चालू देयताएं	20,62,930		(1,75,324)	
प्रावधान	(1,64,004)	(16,83,771)	12,43,132	(28,47,935)
परिचालनों से नकद अर्जन		**1,25,22,703**		**1,01,14,629**
चुकता प्रत्यक्ष कर		(13,66,200)		(8,57,364)
परिचालनों से निवल रोकड़ (क)		**1,11,56,503**		**92,57,265**
ख. निवेश गतिविधियों में परिवर्तन से नगदी प्रवाह				
निम्नलिखित में परिवर्तनः–				
अचल परिसंपत्तियां एवं सीडब्ल्यूआईपी	(75,22,549)		(64,94,495)	
निर्माण भण्डार	(15,505)		291	
पूंजी अग्रिम	(1,34,805)		(3,29,848)	
विविध व्यय (समायोजित न की जाने वाली सीमा तक)	1,316		1,226	

राशि हजार ₹ में
(कोष्ठक में दिये गये आकड़े कमी के द्योतक हैं)

विवरण	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
निवेश गतिविधियों से निवल प्रवाह (ख)		**(76,71,543)**		**(68,22,826)**
ग. वित्त–पोषण गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
अंश पूंजी	–		–	
सिंचाई अंशदान	–		4,53,400	
अन्य आरक्षित पूंजी	4,069		124	
ऋण	28,28,413		26,35,129	
ऋणों पर ब्याज	(37,79,664)		(40,69,210)	
ग्राहकों को छूट	(1,33,638)		(1,14,701)	
लाभांश एवं लाभांश पर कर	(21,10,618)		(16,96428)	
वित्त–पोषण गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह (ग)		**(31,91,438)**		**(27,91,686)**
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		**2,93,522**		**3,57,247**
ङ. प्रारंभिक नकद और नगदी समतुल्य		**2,30,870**		**5,88,117**
च. अंतिम नकदी और नकदी के समकक्ष (घ+ङ)		**5,24,392**		**2,30,870**

1. नगदी और नगदी समतुल्य में बैंको में शेष ₹136.78 लाख (पिछले वर्ष ₹136.78लाख) है जो कारपोरेशन द्वारा प्रयोग के लिए उपलब्ध नहीं है।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ो को पुनः एकत्रित/व्यवस्थित/दर्शित किया गया है।

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव

(सी. पी. सिंह)
निदेशक (वित्त)

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एचडीएसजी एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

(हरबीर सिंह गुलाटी)
भागीदार
सदस्यता संख्या–84072

दिनांक : 31 अगस्त, 2011
स्थान : नई दिल्ली

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के सभी सदस्य

1. हमने 31 मार्च, 2011 तक की स्थिति के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के संलग्न तुलन–पत्र तथा उसके साथ ही संलग्न उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि खाते तथा नगदी प्रवाह विवरण की भी लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के बारे में अपनी राय जाहिर करना है।

2. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उक्त मानकों में अपेक्षित है कि हम यह युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत कथनों से मुक्त हैं, लेखा परीक्षा की आयोजना तथा निष्पादन करें। लेखा परीक्षा में परीक्षण आधार पर राशियों के अनुसमर्थक साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटनों की जांच करना शामिल है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का मूल्यांकन करने के साथ–साथ समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को युक्त संगत आधार प्रदान करती है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4ए) के अनुसरण में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश, 2004 के साथ पठित कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2004 द्वारा यथापेक्षित तथा हमारे द्वारा उचित समझी गयी जांचों के अनुसार और हमें दी गयी सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, हम अनुलग्नक में इस कंपनी पर लागू सीमा तक उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 ओर 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण संलग्न कर रहे हैं।

4. हम आपका ध्यान निम्नलिखित की तरफ आकर्षित कर रहे हैं:–

(क) अनुसूची 27 की टिप्पणी संख्या 5 – उत्तराखंड सरकार द्वारा अतिरिक्त जगह के लिए 31 मार्च, 2011 को देय ₹ 5880.00 लाख की बाकी राशि रॉयल्टी के लिए देयताओं के समायोजन के बाद भी अभी वसूल करनी बाकी है।

(ख) अनुसूची 27 की टिप्पणी संख्या 10 (i) शीर्ष 'अवर्गीकृत भूमि' के तहत खातों में पूंजीकृत ₹ 7277.46 लाख के पुनर्वास व्यय को उत्तराखंड सरकार/ सरकारी प्राधिकारियों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर खातों में शामिल किया गया है और इस प्रकार यह सत्यापन के अध्यधीन नहीं है।

(ग) अनुसूची 27 की टिप्पणी संख्या 12 – फुटकर लेनदार, फुटकर देनदार, प्रतिभूति जमा/ धरोहर राशि जमा, ऋण एवं अग्रिम सभी पुष्टि एवं समाधान के अध्यधीन हैं।

(घ) अनुसूची 27 की टिप्पणी संख्या 16 (i) – यह कॉरपोरेशन द्वारा अधिग्रहित भूमि पर 90 फ्लैटों (गत वर्ष 35) पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत कब्जे से संबंधित है।

(ड.) अनुसूची 27 की टिप्पणी संख्या 32 (ii) केचएफपी ठेकेदार (मैसर्स पीसीएल) की ₹ 5628.71 लाख की प्रतिभूति के लिए उसके जोखिम और लागत पर निष्पादित कार्य के लिए ₹ 20478.75 लाख ठेकेदार को दिए गए अग्रिम में शामिल है।

(च) अनुसूची 27 की टिप्पणी संख्या 34 – बिक्री का लेखांकन सीईआरसी द्वारा टैरिफ को अंतिम रूप से तय करने तक अनंतिम आधार पर किया जा रहा है।

5. उपर्युक्त पैराग्राफ 3 में संदर्भित अनुलग्नक में अपनी टिप्पणी के आगे तथा उपर्युक्त पैराग्राफ 4 में दी गई अन्य मदों पर ध्यानाकर्षित करते हुए हम सूचित करते हैं कि:

(क) अपने अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमने अपनी परीक्षा के लिए जरूरी सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।

(ख) हमारी राय में विधि द्वारा यथापेक्षित खातों की उचित बहियां रखी गयी हैं, जैसा कि हमारे द्वारा बहियों की जांच करने से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि खाता तथा नगदी प्रवाह के विवरण खाते बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि खाता एवं नगदी प्रवाह विवरण, जिन्हें इस रिपोर्ट के साथ दिखाया गया है, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (3सी) में सदर्भित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

(ड.) कंपनी कार्य विभाग द्वारा जारी दिनांक 17.7.2003 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 829 (ई) के मद्देनजर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) का खंड (जी), जो निदेशकों को अयोग्य ठहराने से संबंधित है, का प्रावधान इस सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होता।

6. हमारी राय में सर्वश्रेष्ठ सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त खाते, जिन्हें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के साथ पढ़ा जाए एवं उन पर टिप्पणियां, जो उसके साथ संलग्न हैं, कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना निर्धारित तरीके से देते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार सच्ची एवं उचित तस्वीर प्रकट करते हैं:

(क) तुलन–पत्र के मामले में, दिनांक 31 मार्च, 2011 की कंपनी की कार्य स्थिति की।

(ख) लाभ एवं हानि के खाते के मामले में, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ की, तथा

(ग) नगदी प्रवाह विवरण के मामले में उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नगदी प्रवाह की।

कृते **एचडीएसजी एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
रजि. नं. 002871 एन

(हरबीर सिंह गुलाटी)
साझेदार, एफसीए
सदस्यता संख्या – 84072

दिनांक : नई दिल्ली
स्थान : 31.08.2011

लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट का संलग्नक

(इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में संदर्भित अनुलग्नक)

1. इसकी अचल परिसंपत्तियों के संबंध में :

(क) कंपनी ने सामान्य रूप से अचल परिसंपत्तियों की मात्रा, विवरण और स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकार्ड रखा है। लेकिन अचल परिसंपत्तियों की पहचान संख्या डालने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ मामलों को छोड़कर इन परिसंपत्तियों के संचालन के लिए रिकार्ड ठीक प्रकार से रखे गए हैं।

(ख) वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गयी है तथा सत्यापन के दौरान जानकारी में आई विसंगतियों को खाता बहियों में उचित प्रकार से दर्शाया गया है, हालांकि ये विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं हैं हमारी राय में आकार को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की बारंबारता उचित है।

(ग) वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी अचल परिसंपत्तियों के बड़े हिस्से का निपटान नहीं किया है।

2. इसकी वस्तुसूचियों के संबंध में :

(क) ठेकेदारों के पास पड़ी सामग्री को छोड़ कर वस्तु सूचियों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई है। हमारी राय में वस्तु सूची की वास्तविक जांच प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर की गई है।

(ख) कंपनी के आकार तथा व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा अपनाई गयी वस्तुसूची की जांच की प्रक्रिया उचित तथा पर्याप्त है।

(ग) कंपनी ने वस्तु सूची का उचित रिकार्ड रखा है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कंपनी ने न कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण लिया और न ही दिया है। तद्नुसार आदेश के पैराग्राफ–4 का खंड–(iii) लागू नहीं है।

4. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार वस्तु सूची एवं अचल परिसंपत्तियों की खरीद के मामले में आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां कंपनी के आकार और उसके व्यापार के प्रकृति के अनुरूप काफी हैं। लेखापरीक्षा के दौरान हमें न तो इस बात का कोई पता चला और न ही ऐसी कोई सूचना मिली कि अंतर्निहित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में प्रमुख कमजोरियों को ठीक करने में लगातार असफल रही हो।

5. हमारे द्वारा प्रयोग में लाई गयी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर हमारे अधिकतम ज्ञान और विश्वास तथा दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–301 में संदर्भित ठेके या व्यवस्थाएं ऐसी नहीं थीं जिन्हें इस धारा के तहत अपेक्षित रजिस्टर में दर्ज करना जरूरी हो। वर्ष के दौरान ₹ 5,00,000 से अधिक के लेन–देन के औचित्य का प्रश्न नहीं उठता।

6. कंपनी ने जनता से जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं, अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–58–ए, 58–एए तथा अन्य संगत प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता।

7. कंपनी के पास एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है, जिसमें कंपनी की विभिन्न इकाइयों की समय–समय पर लेखापरीक्षा करने के लिए बाहरी सनदी लेखाकार फर्मों को नियुक्त किया जाता है। हमारी राय में आतंरिक लेखापरीक्षा का क्षेत्र और व्यापकता इसके व्यवसाय के काम और प्रकृति के अनुरूप होती है।

8. केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा – 209 (1) (डी) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का रखरखाव निर्धारित किया है। कंपनी लागत रिकार्डों का अनुरक्षण कर रही है। लेकिन वर्ष 2010–11 के लिए लागत लेखा परीक्षा नहीं की गयी है।

9. (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अविवादित संवैधानिक देय राशियां उचित प्रधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है। इनमें भविष्यनिधि, आयकर, बिक्रीकर, संपत्तिकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा अन्य संवैधानिक देय, जो कंपनी पर लागू हैं, शामिल हैं। देय तिथि से छः महीने से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित संवैधानिक देय राशि 31 मार्च, 2011 को बाकी नहीं थी। जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी पर राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं हैं।

(ख) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर निम्नलिखित विवादित आयकर/ व्यापार कर / प्रवेश कर नहीं किए गए हैं।

निर्धारण वर्ष	धनराशि (₹ लाख में)	देयताओं की प्रकृति	वर्तमान स्थिति
1986–87	45.30	व्यापार कर	मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा लगाई गई ब्याज की राशि के लिए मामले को उपायुक्त (अपील), देहरादून द्वारा वापस प्रति प्रेषित कर दिया गया है तथा मूल्यांकन प्राधिकारी ने उसी राशि का पुनः निर्धारण किया है। टीएचडीसी ने ए.ओ. के आदेश के विरूद्ध जे.सी. (अपील) के समक्ष अपनी अपील की है तथा जे.सी. (अपील) ने स्थगनादेश दे दिया है। वित्त वर्ष 10–11 के दौरान पहली अपील टीएचडीसी के पक्ष में निर्णीत हुई और इस आदेश के विरूद्ध राज्य ने अपील संख्या 69–11 द्वारा ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर की है।
1989–90	0.36	व्यापार कर	वाणिज्यिक कर विभाग ने इस्तेमाल के अधिकार के संबंध में कर में राहत के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
1993–94	0.33	व्यापार कर	मूल्यांकन प्राधिकारी के द्वारा लगाई गई ब्याज धनराशि के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध व्यापार/ वाणिज्यिक कर विभाग ने उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
1993–94	0.39	व्यापार कर	वाणिज्यिक कर विभाग ने इस्तेमाल के अधिकार के संबंध में कर में राहत के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
1994–95	0.88	व्यापार कर	मूल्यांकन प्राधिकारी के द्वारा लगाई गई ब्याज धनराशि के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध व्यापार/ वाणिज्यिक कर विभाग ने उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
1994–95	1.10	व्यापार कर	वाणिज्यिक कर विभाग ने इस्तेमाल के अधिकार के संबंध में कर में राहत के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
1997–98	0.60	व्यापार कर	वाणिज्यिक कर विभाग ने इस्तेमाल के अधिकार के संबंध में कर में राहत के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
2000–01 125 महीनों के लिए ब्याज	136.35 340.88	प्रवेश कर	प्रवेश कर का मामला अपर आयुक्त (अपील) देहरादून के पास लंबित है।
2007–08	0.75	व्यापार कर	टीएचडीसी ने 28.02.2011 के मूल्यांकन आदेश में उठाई गई मांग के खिलाफ अपील दायर की है।

10. (क) कंपनी को वित्तीय वर्ष के अंत तक कोई संचयी हानियां नहीं हुई हैं तथा वित्त वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा के अंतर्गत और ठीक इसके पहले वाले वर्ष में भी कोई नकद हानियां नहीं हुई थीं।

(ख) कंपनी की चल रही परियोजनाओं के मामले में भी, जो निर्माणाधीन हैं, संचयी हानियों का यह खंड लागू नहीं होता।

11. कंपनी ने हमारे द्वारा अपनायी गयी लेखापरीक्षा पद्धति के आधार पर तथा अभिलेखों के अनुसार किसी वित्तीय संस्था या बैंक की देय राशियों को लौटाने में कोई चूक नहीं की है।

12. हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने प्रतिभूति के आधार पर शेयरों, डिबेन्चरों तथा अन्य प्रतिभूतियों को बंधक रखकर कोई ऋण तथा अग्रिम स्वीकृत नहीं किये हैं।

13. कंपनी चिट फंड या निधि / म्यूचुअल बेनीफिट फंड / सोसायटी नहीं है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड –xiii कंपनी पर लागू नहीं होता।

14. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार यह कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेन्चरों तथा अन्य निवेश का काम नहीं कर रही है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड –XIV कंपनी पर लागू नहीं होता।

15. हमें दी गयी सूचना के अनुसार कंपनी ने दूसरे लोगों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

16. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने सावधि ऋण जिस काम के लिए थे, वर्ष के दौरान उसी के लिए उनका इस्तेमाल किया।

17. हमारी राय में तथा समग्र रूप में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अल्पावधि आधार पर इकट्ठा की गयी निधियों का इस्तेमाल दीर्घावधि निवेश के लिए नहीं किया है।

18. वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत रखे जा रहे रजिस्टर में शामिल पार्टियों और कंपनियों को इस कंपनी ने शेयरों का काई अधिमानतः आबंटन नहीं किया है।

19. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेन्चर जारी नहीं किया और इसलिए उनके लिए प्रतिभूति या प्रभार सृजन करने का प्रश्न नहीं उठता।

20. वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई प्रतिभूति या सार्वजनिक निर्गम जारी नहीं किया। अतः सार्वजनिक निर्गम के द्वारा इकट्ठा की गयी राशि के अंतिम प्रयोग के प्रकटन का प्रश्न नहीं उठता।

21. भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा पद्धति के अनुसार वर्ष के लिए कंपनी की खाता बहियों और अभिलेखों का परीक्षण करने के दौरान हमें या कंपनी का जालसाजी का कोई मामला नहीं मिला और न ही प्रबंधन द्वारा इस तरह का मामले की कोई सूचना दी गयी।

कृते **एचडीएसजी एण्ड एसोसिएट्स**
भागीदार लेखाकार
रजि. नं. 002871 एन

(हरबीर सिंह गुलाटी)
भागीदार, एफसीए
सदस्यता संख्या – 84072

दिनांक : नई दिल्ली
स्थान : 31.08.2011

गोपनीय

सं. No. RAP/THDC/3RD PHASE/ACCOUNTS/2001-12/675

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा,
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–III
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL
AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-III
NEW DELHI

दिनांक / Dated: 15 / 9 / 2011

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड,
ऋषिकेश

विषयः 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड, ऋषिकेश, के वार्षिक लेखों पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड, ऋषिकेश, के वर्ष 2010–11 की समाप्ति हेतु कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन लेखों पर भारत के नियत्रंक–महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित करता हूँ। कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

(एम.के. बिश्वास)
प्रधान निदेशक

संलग्न : यथोपरि।

छठा एवं सातवाँ तल, एनेक्सी बिल्डिंग, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002
6th & 7th floor, Annexe Building, 10, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110002
Ph.: 2329227; Fax: 23239211; e-mail: mabnewdelhi3@cag.gov.in

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के खातों के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत टिप्पणियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार तैयार करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। उनके पेशेवर निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा और आश्वासन मानदंडों के अनुरूप स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणों पर राय जाहिर करने की जिम्मेदारी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक की है। सूचना दी गयी है कि ऐसा उनके द्वारा 31 अगस्त, 2011 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किया जा चुका है।

मैंने, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (बी) के अधीन 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वित्तीय विवरणों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्यों के कागजात के बिना तथा सांविधिक लेखा परीक्षक की प्रारम्भिक जांच की सीमा तक और कंपनी के कार्मिकों तथा कुछ लेखा अभिलेखों के चुनिंदा परीक्षण के आधार पर की गयी। मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात नहीं आयी है जिस पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के तहत टिप्पणी करना या "सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुपूरक" अपेक्षित हो।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षक की ओर से

(एम.के. बिश्वास)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड – III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15 सितम्बर, 2011

न्यू टिहरी टाउन का विहंगम दृश्य

A panoramic view of New Tehri Town